महानगर नई दिल्ली मंगलवार 25 जून, 2019, रु. 5.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

आरबीआइ के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य का इस्तीफा

नई दिल्ली,24 जून (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपना कार्यकाल पूरा होने से छह महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। वे मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी थे। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को बयान जारी कर कहा- कुछ हफ्ते पहले आचार्य ने आरबीआइ को पत्र लिखकर सूचित किया था कि अपरिहार्य निजी कारणों से 23 जुलाई, 2019 के बाद वह डिप्टी गवर्नर के अपने कार्यकाल को जारी रखने में असमर्थ हैं।बयान के मुताबिक उचित प्राधिकारी उनके इस पत्र पर आगे की कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति ने क्योंकि आचार्य की नियुक्ति की थी, इसलिए उनका त्यागपत्र भी वही समिति स्वीकार करेगी। पिछले सात महीने में रिजर्व बैंक से इस्तीफा देने वाली आचार्य दूसरे बड़े पदाधिकारी हैं। दिसंबर 2018 में आरबीआइ के गवर्नर उर्जित पटेल ने सरकार के साथ मतभेदों के कारण कार्यकाल पूरा होने से नौ महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। सितंबर 2016 में पटेल को गवर्नर के तौर पर पदोन्नत किए जाने के बाद जनवरी 2017 में आचार्य रिजर्व बैंक से ज्गुड़े थे।

आरबीआइ में अब तीन डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन, बीपी कानूनगो और एमके जैन बचे हैं। आचार्य की नियुक्ति तीन साल के लिए हुई थी।

न्यूयॉर्क टाइम्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर आचार्य ने एक बार खुद को 'गरीबों का रघुराम राजन' कहा था। आचार्य ने ऐसे समय में आरबीआइ के डिप्टी गवर्नर का पद संभाला था जब केंद्रीय बैंक नोटबंदी के बाद रुपए जमा करने निकालने की नीतियों में बार-बार बदलाव को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहा था।

विरल आचार्य 23 जुलाई के बाद डिप्टी गवर्नर के पद पर बने रहने में असमर्थ: आरबीआइ का बयान

न्यूयॉर्क टाइम्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर आचार्य ने एक बार खुद को 'गरीबों का रघुराम राजन' कहा था

आरबीआइ में अब तीन डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन, बीपी कानूनगो और एमके जैन बचे हैं

अमेरिकी संरक्षणवाद पर

मोदी, शी, पुतिन करेंगे बातचीत

बेजिंग, 24 जून (भाषा)।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी20 शिखर बैठक के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन और समूह के कुछ अन्य नेताओं से अलग से बात करेंगे। चीन के एक वरिष्ठ मंत्री ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इन नेताओं के साथ बैठकों में अमेरिका की ओर से एकतरफा व्यापारिक कार्रवाइयों और संरक्षणवादी नीतियों पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी।

चीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एकतरफा व्यापारिक कार्रवाइयों का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि ट्रंप व्यापार और प्रशुल्क को केवल अमेरिकी हित को प्राथमिकता देने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

जी20 शिखर सम्मेलन इसी सप्ताह जापान के ओसाका शहर में 28-29 जून को होने जा रहा है। राष्ट्रपति शी वहां एक दिन पहले पहुंचने वाले हैं। वह वहां ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) के नेताओं से बातचीत में अमेरिकी संरक्षणवाद का मुद्दा विस्तार से उठा सकते हैं। मोदी, शी और पुतिन अभी पिछले बाकी पेज 8 पर

ओसाका में 28-29 जून को होने जा रहा है जी20 शिखर सम्मेलन

चीन का रुख

अमेरिका की ओर से एकतरफा व्यापारिक कार्रवाइयों और संरक्षणवादी नीतियों पर चीन का कहना है कि वह अपनी संप्रभुता की कीमत पर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। दोनों ही पक्षों को कुछ झुकना होगा।

महत्त्वपूर्ण बैठक

मोदी, शी और पुतिन अभी पिछले दिनों किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के समय भी मिले थे। चीन के सहायक विदेश मंत्री झांग जुन ने मोदी-शी-पुतिन बैठक को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, 'वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में इन तीनों नेताओं की बैठक भी महत्वपूर्ण है। आप तो जानते ही हैं कि रूस और भारत के साथ चीन के संबंधों में ठोस वृद्धि दिख रही है।'

यातायात नियमों के उल्लंघन पर भरना होगा कड़ा जुर्माना

नई दिल्ली, 24 जून (भाषा)।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य घोषित होने के बावजूद वाहन चलाते रहने पर दस-दस हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी।

विधेयक इससे पहले राज्य सभा में लंबित था और 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह निरस्त हो गया था। सूत्रों ने बताया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। इसमें बाकी पेज 8 पर

10000 रुपए जुर्माना देना होगा आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर

1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है तेज गाड़ी भगाने पर

1000 रुपए तक का जुर्माना बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, बिहार और यूपी सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 24 जून (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने इन्सेफेलाइटिस की बीमारी से मुजफ्फरपुर में 100 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में सोमवार को केंद्र और बिहार सरकार को सात दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायामूर्ति संजीव खन्ना और न्यायामूर्ति बीआर. गवई के अवकाश पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस बीमारी से राज्य में हुई मौतों के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

पीठ ने बिहार सरकार को चिकित्सा सुविधाओं, पोषण व स्वच्छता और राज्य में स्वच्छता की स्थिति के बारे में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील ने न्यायालय को बताया कि उत्तर प्रदेश में भी पहले इसी तरह से कई लोगों की जान जा चुकी है। न्यायालय ने इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए उप्र सरकार को भी इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले में अब 10 दिन बाद आगे सुनवाई की जाएगी।

अधिवक्ता मनोहर प्रताप ने बिहार में इन्सेफेलाइटिस की बीमारी से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत की घटनाओं को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पिछले सप्ताहों में इस बीमारी से 126 से अधिक बच्चों, जिनमें अधिकांश बाकी पेज 8 पर

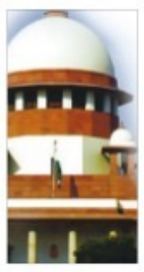

इन्सेफेलाइटिस से हुई मौत के मामले में *केंद्र* और बिहार सरकार से सात दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है

एनआइए को मजबूत बनाने के लिए

दो कानूनों में संशोधन को मंजूरी

नई दिल्ली, 24 जून (भाषा)।

देश और विदेश में आतंकी मामलों की जांच में एनआइए को और मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो कानूनों को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सूत्रों ने सोमवार को इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) कानून और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून को संशोधित करने के लिए आगामी दिनों में संसद में अलग-अलग विधेयक लाए जाएंगे। प्रस्ताव से अवगत सूत्रों ने बताया कि संशोधन से एनआइए साइबर अपराध और मानव तस्करी के मामलों की जांच कर पाएगी। यूएपीए की अनुसूची चार में संशोधन से एनआइए आतंकवाद से जुड़े संदिग्ध लोगों को आतंकी घोषित कर पाएगी। अभी केवल संगठन ही 'आतंकी संगठन' घोषित किए जाते हैं।

मुंबई में आतंकी हमले के बाद 2009 में एनआइए की स्थापना की गई थी। हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी। सूत्रों ने कहा कि 2017 के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय नई चुनौतियों से मुकाबला के वास्ते एनआइए को और शक्तिशाली बनाने के लिए दो कानूनों पर विचार कर रहा है। विदेशों में बाकी पेज 8 पर

संशोधन से एनआइए साइबर अपराध और मानव तस्करी के मामलों की जांच कर पाएगी

ट्रंप ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए

वाशिंगटन, 24 जून (भाषा)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों से ईरान के सर्वोच्च नेता और अन्य अधिकारी अमेरिकी क्षेत्र में किसी भी बैंकिंग सुविधा के लाभ नहीं उठा पाएंगे। ईरान ने कहा था कि उसने गुरुवार को बाकी पेज 8 पर

डेरा प्रमुख के पैरोल के आवेदन पर पुलिस ने कहा

गुण-दोष के आधार पर याचिका पर विचार करेंगे

चंडीगढ़, 24 जून (भाषा)।

जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिह को पैरोल दिए जाने के मामले में सिरसा पुलिस ने अब तक अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को नहीं सौंपी है। हालांकि, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि याचिका के गुण-दोष को देखते हुए यह रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अधिकारियों ने बताया था कि डेरा प्रमुख ने हरियाणा के सिरसा जिले में अपने खेतों में खेती करने के लिए एक महीने से अधिक की पैरोल मांगी है। डेरा प्रमुख रोहतक की सुनारिया जेल में बंद हैं।

गुरमीत राम रहीम सिंह बलात्कार के दो मामलों व एक पत्रकार की हत्या के सिलसिले में दोषी पाए जाने के बाद से जेल में बंद हैं । सिंह के 42 दिन के पैरोल आवेदन के बाद जेल अधीक्षक ने सिरसा जिला प्रशासन को पत्र लिखा था। अधिकारी ने बाकी पेज 8 पर

सऊदी महिलाओं ने उठाया कदम | बढ़ते कदम | शादी तभी जब कार चलाने की इजाजत

निकाह की शर्तों में ड्राइविंग का हक भी

दम्मम (सऊदी अरब), 24 जून (एएफपी)।

सऊदी अरब ने कानूनी तौर पर भले ही महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति जरूर दे दी है लेकिन इस अधिकार के उपयोग में कभी कोई रोड़ा न अटकाए यह सुनिश्चित करने के लिए महिलाएं कार रखने और उसके चलाने के अधिकार को अपने निकाह की शर्तों में शामिल करा रही हैं।

दम्मम के रहने वाले सेल्समैन माजद ने हाल ही में अपने निकाह की शर्तों के बारे में बातचीत करते हुए बताया कि कैसे उनकी मंगेतर ने शर्त रखी है कि वह कभी उसे गाड़ी चलाने से नहीं रोकेंगे। वैसे बाकी पेज 8 पर

फाइल फोटो

दम्मम के रहने वाले सेल्समैन माजद ने हाल ही में अपने निकाह की शर्तों के बारे में बातचीत करते हुए बताया कि कैसे उनकी मंगेतर ने शर्त रखी है कि वह कभी उसे गाड़ी चलाने से नहीं रोकेंगे।

रियाद में निकाह पढ़ाने वाले एक मौलवी अब्दुलमोसेन अल-अजेमी का कहना है, 'निकाह में किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए कुछ महिलाएं ड्राइविंग के अधिकार को निकाहमाने में शामिल करा रही हैं।'

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Catherine Barla W/o Bimal Minj R/o-1005,Sector-8, R.K.Puram,New Delhi-110022,inform that Catherina Barla & Catherine Barla both name are same purposes. 0040500587-2

I, Birender Das S/o Tustoy Das, R/o B-38, Pandav Nagar, East Delhi, Delhi-110092, have changed my name from Birender Das to Biren Das for all future purposes. 0040500440-1

I, Bhupinder Singh Chalyana S/o Hajara Singh R/o T-566, Galino.2, Baljeet Nagar, New Delhi-8, changed my name to Bhupinder Singh. 0040500487-9

I, Bhupinder Singh Chalyana S/o Hajara Singh R/o T-566, Galino.2, Baljeet Nagar, New Delhi-8, changed my name to Bhupinder Singh. 0040500487-6

I, Bharti W/O, Naresh Kumar Verma R/o H.No 201-B, New Colony, Gurugram, Haryana, have changed my name to Bharti Rani Verma. 0040500444-1

I, Ashima Taneja R/o 634, Nimri Colony, Ashok Vihar, Phase - 4, Delhi-110052 have changed my name to Aashima Taneja. 0070661801-1

I, Anupama Dewan D/o-Laxman Das Satija, W/o Rajiv Dewan, R/o-10,Basai Road, Near Sethi Hospital,Opp. Model Town,Gurugram (Haryana) have changed my name to Anupama. 0040500522-2

I, Anjana Devi W/o Sudesh Sharma R/o Flat No.12142, Tower-10, GH-07, Crossings Republik, Ghaziabad, UP-201016 have changed my name to Anjana Sharma. 0040500502-1

I, Anand Jatin S/O-Ramesh Chander Anand R/O-D/7, Kasturba Niketan Complex, Lajpat Nagar-2,New-Delhi-110024 Have Changed my Name to Jatin(given Name) Anand (Surname). 0040500522-3

I, Amit Kumar Gautam S/O. Rajender Kumar R/O. G-70, School Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have changed my name to Amit Gautam for all purposes. 0040500548-6

I, Alok Goel S/o Uttam Kumar Agarwal, R/o 15/98, Vasundhra, Ghaziabad-201012, have changed my name to Alok Kumar Goel for all purposes. 0040499563-2

I hitherto known as Roopa Dhiman @ Roopa Sharma D/O.Ram Lok Dhiman W/O Nitin Sharma R/O.179(Second Floor) Sant-Nagar, New Delhi-110065 have changed my name and shall hereafter be known as Roopa Dhiman. 0040500487-2

I Swati Johri D/o Late Sh. Sanjay Kumar Johri W/o Sh. Amit Mohan R/o M-5/9, Second Floor, DLF Phase-2, Chakarpur (74), Gurgaon, Haryana-122002 have changed my name after marriage to Swati Amit Mohan for all purposes. 0040500436-1

I Kumar Saurav S/o Mr. Kamlesh Kumar R/o B-74, Freedom Fighter Enclave, Neb Sarai, Delhi-110068 have changed my name to Saurav Shandilya for all purposes. 0040500436-2

I Hitherto known as Avtar Singh Bangal S/o Joginder Pal R/o-Village Khanpur PO, Mahilpur Hoshiarpur-146105 Punjab,India presently at new delhi have changed my name and shall hereafter be known as Avtar Singh. 0040500522-6

It is for general information that I,Kishan S/o Prem Bahadur R/o-N-427 First Floor,Raghubir Nagar,Delhi-110027 inform that my wife & my minor son name is wrongly written as Poonam & Hardeep(dob-09/12/2014) in my minor son Birth Certificate.But my wife & my minor son actual name are Poonam Devi & Hardik which may be amended accordingly. 0040500522-8

I,Yashpal Mangal S/o-Shiv Kumar Gupta R/o-G-29/195 First Floor, Sector-3, Rohini, New Delhi-110085, have changed my name to Yash Pal Gupta for all purposes. 0040500492-1

I,Vrindra Lakra D/O-Kapil Lakra R/O-M-132,G S Apartment, Sector-13,Rohini,Delhi-85 Changed My Name To Vrinda Lakra. 0040500522-4

I, Vinod Chandra Bhatt S/o Jeevan Chandra Bhatt R/o A-147, 3rd-Floor Gali.no.-15 Pal Optical New Ashok Nagar Delhi have changed my name to Vinod Chandra for all Purposes. 0040500466-2

I,Sunil Kumar/Sunil Bindal S/O-Din Dayal Gupta R/O B-133, Pushpanjali Enclave, Pitam pura, Delhi-110034.Changed My Name To Sunil Gupta. 0040500589-2

I, Darshana Devi W/o-Anil Kumar Jain R/o-168, Sukhdev Vihar, New Friends Colony, New Delhi- 28 have changed my name to Darshana Jain. 0040500522-1

I, Chanchal Kumar S/o Om Prakash R/o-H-96 Second-Floor, Lajpat-Nagar-1,Delhi-110024,Have Changed My Name To Chanchal Chaudhary. 0040500589-4

व्यक्तिगत

I,Suman Lata/Suman Bindal W/O-Sunil Gupta R/O B-133,Pushpanjali Enclave, Pitampura, Delhi-110034. Changed My Name To Suman Gupta. 0040500589-1

I,Sharma Garima Pramod Kumar W/O Pramod Kumar Sharma R/O Ds-220/2, Minar Gate, Near Main Bazar, Palwal, Haryana-121102 Changed My Name To Garima Gaur. 0040500548-9

I,Shama Praveen D/O Irfan Ulgani R/O 295,Galino.2,Jain Nagar,Karala,Rohini,Delhi-110085. Changed My Name To Shama Parveen. 0040500589-3

I,Sanjith Kumar G S, S/O Gopinathan Nair R/O Ihq Mod Camp (Army) Shankar Vihar,Delhi Cantt, New Delhi-110010 Have Changed My Wife Name From Shyma Sanjith To Shyma M A. 0040500589-7

I,Rohit Kumar Yadav S/O-Lal Singh Resident of Pancha Wala Mohalla,Qutabpur, Rewari, Haryana-123401 have changed my name to Rohit Yadav for all purposes. 0040500589-8

I,Ramesh Singh,S/o Shri Shankar Sain,R/o HNo 19/133,Main 25 Futa Road, Shiv kunj,Sant Nagar Burari,Delhi-84,have changed my name to Ramesh Kumar. 0040500466-4

I,Raj Rani Kaushik W/o Ram Rattan Kaushik R/o G-22/172,Sector-7, Rohini,Delhi-110085, have changed my name to Raj Kaushik. 0040500522-7

I,Pramod Kumar Panna Lal Sharma S/O Sharma Panna Lal Beniram R/O DS-220/2, Minar Gate, Near Main Bazar, Palwal,Haryana-121102 Changed My Name To Pramod Kumar Sharma. 0040500548-10

I,Ofisar S/O Subedar Singh R/O,Laloni, Dholpur, Rajasthan.have changed my name to Virendar Gujar for all future purpose. 0040500487-3

I,Naresh Kumar S/O, Chanu Ram Verma R/o-H. No 201-b,new Colony, gurugram(HR) have changed my name to Naresh Kumar Verma. 0040500592-3

I,Narain Dass S/o-Late Sh.Ram Lal Juneja R/o-F-450,First Floor,Sushant Lok-II,Sector-57,Gurugram,Haryana,have changed my name to Narain Dass Juneja for all future purposes. 0040500587-1

I,MOHD ADIL s/o-MOHD RAFIQ R/o - 473, Gali no.-21,jafrabad DELHI-53 changed my name to ADIL ANSARI. 0040500592-4

I,Mohammad Naeem Khan S/o Anwar Ali R/o-C-381,Rajeev Colony,Mohan Nagar, Ghaziabad have changed my name to Md. Naeem. 0040500588-3

I,Mamta Rani, D/o Krishan Lal, W/o Gulshan Arora, R/o 7 B, Jhang Apartments, Sector-13, Rohini, New Delhi-110085, have changed my name to Mamta Arora. 0040500548-8

I,Kumkum Gugansingh Chauhan/ Kumkum Singh W/O-Varun Pratap Singh R/O-Flat No-C 577,Ist Avenue,Gaur City-1,Sec 4,Greater Noida West, Gautam Budh, Nagar, Uttar Pradesh-201009,Changed My Name To Kumkum Chauhan. 0040500589-6

I,Kooresha Begum W/o Mo. Naeem R/o C-381,Rajeev Colony,Mohan Nagar, Ghaziabad have changed my name to Kauresa Begam. 0040500588-2

I,Km Mamta/Smt.Mamta Devi W/o.Sh.Pradeep Singh Rawat R/o.E-465/D,First-Floor Gali.No.8,West Vinod-Nagar Delhi-110092.have changed my name to Mamta Rawat,for all purposes. 0040500589-9

I,Jyoti Kapoor W/O-Vishal Lamba R/O-M-51,Sham Nagar New Delhi 110018 Have Changed My Name To Jyoti Lamba. 0040500589-5

I,Hitarth S/O Mahendra singh residing at House No. 1698, Sector 13, Karnal, Haryana - 132001. have changed my name to Hitarth Singh for all future purpose. 0040500487-8

I,Gurmeet Kaur D/o Sh.Jogpal Singh R/o-B-2C/25A Janakpuri, New Delhi-110058,inform that my Mother Name is wrongly written Param Jeet kour Bhatia instead of Paramjit Kaur 10th class certificate 0040500432-3

I,Girvar Yadav S/o Mathura Prasad Yadav R/o Plot-644, Second-Floor, Shakti Khand-4, Indirapuram, Ghaziabad have changed my name to Girver Yadav. 0040500588-1

I,Geeta Parashar, D/o Genda Ram Parashar, W/o Naveen Kumar Vats,R/o 83, Dabar Enclave, Rawta More, Jaffar Pur Kalan, Delhi-110073, have changed my name to Geeta. 0040500522-10

I, Gurmeet Kaur D/o Sh.Jogpal Singh R/o-B-2C/25A Janakpuri New Delhi-110058,have Changed my Name from Gurmeet kour to Gurmeet kaur in my 10th class certificate. 0040500432-1

I, Gopal Krishan S/O, Sharvan Kumar Sharma R/o J-3/8, GF, Krishna Nagar, ND-51, have changed my name to Gopal Krishan Sharma for all purposes. 0040500463-1

I, Devinderpal Singh, S/o Sh. Herdit Singh,R/o B-36, Shankar Garden, Vikas Puri,New Delhi-110018,have changed my namefrom Devinderpal Singh to Davinderpal Singh for all future purposes. 0040500588-8

I,Bhagwati Devi W/o Guru Charan Singh R/o F-77,Gali No.12,Jagat Puri,Krishna Nagar, Delhi-110051 have changed my name to Bugli Devi. 0040500592-1

I,Ashvani Kumar S/o Madan Lal Manocha R/o C-115, TF, Inder Puri Delhi-12 have changed my name to Ashwani Manocha. 0040500592-2

I,Anju Singh D/o Late WO Ranbir Singh(Service No.214219) R/o-D-217 Dashrath Puri,Gali No.13,Palam Dabari Road, New Delhi-110045, have changed my Name from Anju Singh to Anju Yates vide Affidavit dated-23.06.2019 before Notary Public,New Delhi. 0040500522-5

I,Alok Kumar Bains S/O Vijay Kumar Bains R/O E-1/2, Police Station, Defence Colony, Andrewsganj, New Delhi-110049 Have Changed My Name To Alok Bains. 0040500487-1

I, Vinay Kumar s/o Hanuman Prasad Pandey r/o F-18/9A, Madhuban Bapudham, near 8 no. Power House, Ghaziabad, UP-201013 have changed my name to VINAY KUMAR PANDEY. 0040500428-1

I, Vandana Dahiya W/o Dr. Charu Mohan Marya, permanent R/o House No.: 986, Sector 15, Faridabad, Haryana-121007. I want to change my name from Vandana Dahiya to Vandana Marya. 0040500485-1

I, Upasna Vashisht d/o Suresh Kumar Vashisht Address- 542, Sector-7, Urban Estate, Gurugram, Haryana-122001 have changed my name to UPSNA VASHIST. 0040500427-1

I, Tabassum Nish Khan D/o Sh. Abdul hameed Khan R/o D-505, Fakhruddin Apptt, Plot No-18, Sector-10, Near DDA Market, Dwarka, New Delhi-110075, Tabassum Nisha Khan and Tabassum Nisha both are one and same person, my correct name is Tabassum Nisha Khan. 0040500565-1

I, Surinder Pal Mahindru S/o Sohan Lal R/o,H.No.6, Road-27,Punjabi Bagh-Extn.,West Punjabi Bagh, N.Delhi-26,have changed my name to Surender Pal Mahendru. 0040500588-6

I, Surinder Kaur Chalyana W/o Bhupinder Singh, R/o T-566, Galino.2, Baljeet Nagar, New Delhi-8, changed my name to Surinder Kaur. 0040500487-10

I, Surinder Kaur Chalyana W/o Bhupinder Singh, R/o T-566, Galino.2, Baljeet Nagar, New Delhi-8, changed my name to Surinder Kaur. 0040500487-7

I, Suman Sejwal w/o Pravesh Kumar r/o Girls School, 100 Bhola Ram House, Rangpuri, Delhi-110037, have changed my name to Suman Sehrawat. 0040500573-1

I, Sudharani Gautam W/o Satish Kumar R/o.A-156 Kondli Delhi-110096,have changed my name to Sudha Gautam for all future purposes. 0040500519-1

I, Ruchi Rajendra Thaker, D/o Thaker Rajendra Mugatlal, W/o Kulwant Singh Thandi, R/o Flat 604, Tower 3A, Orris Aster Court, Sector-85, Gurugram (Haryana),have changed my name to Ruchi Kulwant Singh. 0040500588-7

I, Rohit Narain Chopra S/o Late Sh.Narain Das Chopra R/o-B-80,Sector-44, Noida,Distt. Gautam Buddha-Nagar, Uttar-Pradesh-201301,Confirm that Rohit Narain Chopra and Rohit Chopra are both one and the same person. 0040500588-9

I, Rajender Kumar S/o Itwari Lal R/o C-337 J.J.Colony Wazirpur Ashok-Vihar Delhi-110052.changed my name to Rajender. 0040500592-5

I, Pradeep Kumar S/o S. B. Jain R/o A-156,Surya Nagar, Ghaziabad, U.P.-201011 have changed my name to Pradeep Jain. 0040500588-5

I, Pradeeep Maan s/o Satya Pal Maan r/o Hno-385, Pole no-76, Near Shahid Bhagat Singh Park, Mundka Delhi-110041 Have Changed My Name To PRADEEP MAAN Permanently. 0040500550-2

I, Philip James S/o Kalarickal Philip James R/O-H No-B-3/32, Azad Apartments,Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016.Have Changed My Minor Son Name From Nikhil To Nikhil Philip. 0040500548-7

I, Noor Mohd Khan,S/o Late Chajju Khan R/o Type-II/46, Sch-B, President Estate,New Delhi-110004,have changed my name to Noor Mohammad for future. 0040500466-5

I, Narinder Singh Anand/Narinder Singh s/o Prelahd Singh Anand r/o B-191, B-Block, Part-1, Gujranwala Town, Dr. Mukerjee Nagar, New Delhi-110009, have changed my name to NARENDER SINGH for all purpose. 0040500434-1

I, Deepak Mittal,S/O-Late Shri Om Prakash Mittal,R/O-D-14/5-6,Sector-7,Rohini Delhi-110085,inform that Deepak Aggarwal & Deepak Mittal both the Same & one person. 0040500466-3

I, Daya Kishan, S/o Sh. Premanand Pandey R/o House No.592-A, Gali No.1,Pratap Vihar Part-2, Kirari Suleman Nagar, Delhi-110086, inform that my name has been wrongly printed as Daya Kishan Pandey in my Son Manoj Pandey's 10th & 12th Certificate. My actual name is Daya Kishan, which may be amended accordingly. 0040500575-1

व्यक्तिगत

कु. विनीता पुत्री सुभाषचन्द्र एवं विनीता कुमारी पुत्री सुभाषचन्द्र निवासी म. न. 217 बेला परसुआ, निघासन, थाना चन्दन चौकी, लखीमपुर खीरी एक ही व्यक्ति है। मुझे दोनों नाम से जाना-पहचाना जाए।

मैं, महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री दीन दयाल शर्मा निवासी C-68 हस्ताल विहार जे.पी. डेरी रोड, नियर होली चौक उत्तम नगर 110059 महेश शर्मा के नाम से भी जाना जाता हूँ।

I, Mohammad Anas Khan S/o Zahid Akhtar Khan R/o M-90 SF Abul Fazal Enclave, Part-1, Jamia Nagar, New Delhi-110025 have changed my name Mohd Anas Khan for all purposes. 0040500477-1

I, Manoj Kumar Alias Manoj Kr. Chauhan S/o Shri Pritam Singh R/o H.No. 19, Samaspur Jagir, Pandav Nagar, Delhi-110091. I have changed my name from Manoj Kumar Alias Manoj Kr. Chauhan to Manoj Chauhan for all future purposes. 0040500433-1

I, Manjeet Singh s/o Davinder Singh r/o 2367 Mandir Wali Gali Shadipur Delhi-110008 have changed my name to MANJIT SINGH permanently. 0040500550-1

I,Kanwaldeep Singh Gill S/O-Dilbagh Singh R/O 1132, Sector-2, R.K.Puram, Delhi-110022 Have Changed my Name to Chetan Gill. 0040500588-4

I, Krishna W/O Ranbir Singh Panwar,H.No-420 Shahpur Jaat.New Delhi-110049.Have Changed My Name To Krishna Panwar. 0040500487-4

I, Jitender S/o Sh. Om Prakash R/o H no.-200, 2nd Floor Bhai Parmanand Colony Delhi-110009 have changed the name of my minor son Hitesh Banga to Harshit for all purposes and his correct Date of Birth is 03.03.2005. 0040500445-1

I, Jitender Banga, S/o Sh. Om Prakash R/o H No.-200, 2nd Floor , Bhai Parmanand Colony Delhi-110009, have changed my name to Jitender for all purposes. 0040500441-1

I, Inderjit Kaur Keith W/o Avtar Singh Keith R/o H-35, Karampura Delhi-15 have changed my name to Inderjeet Kaur. 0040500487-5

I, Gurmeet Kaur D/o Sh.Jogpal Singh R/o-B-2C/25A Janakpuri New Delhi-110058,inform that my father name is wrongly written Jagpal Singh Bhatia instead of Jogpal Singh 10th class certificate 0040500432-2

खोया+पाया

We, Aman Gupta, Gurbachan Singh, Neeraj Kumar Gupta and Tanuj Kapur have lost Conveyance Deed/ Sale Deed Dt. 09.07.1956 & Lease Deed Dt. 20.04.1963 of Property No.2898. Beadon Pura, Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005. Finder Contact: 9810161679 0040500488-1

I, Tony S/o Narender kumar R/o-K-35A st.no-2 kanhaiya vihar johripur Delhi-94 Have lost my original certificate class-10th year-2013 Rollno-8640738 C.B.S.E Delhi 0040500548-2

I, Shanti Munjal wife of Shri Surinder Kumar Munjal has lost my property documents namely possession and allotment letter in respect of A 707 MAHINDRA APARTMENTS GANGA CGHS, VIKASPURI, NEW DELHI-110018 (Membership No 119) in the name of Shri Kewal Krishan

LOST AND FOUND

We Girdhari finlease Private Ltd Lost Certificate of Registration on 07/06/2019, R. Office-202 Jain Bhawan 18/12 WEA KaroL Bagh New Delhi 110005. COR Number B-14.01857 And Company Registration No. 078546 Dated 26/04/1996. We would return the original COR to Regional office of RBI if Found. Please finder may contact at above address. or Mob. no. 9599355961

By the Order of Board,
Harish Sharma (Director)
DIN-03315697.

रिक्त स्थान

Recruitment

बंगलोर, ठाणे, मुंबई, गुजरात **Fire, HVAC** में वेल्डर, फिटर, हेल्पर चाहिए। रहने की सुविधा, अच्छी पगार। संपर्क- **6362292425, 9821115545 50150569**

WHITE LEAF PUBLIC SCHOOL
Main Narela Road, Bawana, Delhi-39
Walk in Interview on 04/07/2019 Thursday from 9:00A.M. to 1:00 P.M. for NTT, AT, TGT's, PGT's(All Subjects), Librarian & Special Educator
Em: whiteleaf2013@gmail.com
Ph.: 9213062301

WHITE LEAF PUBLIC SCHOOL
Plot No.89, Gali No.2&3 Pooth Khurd, Delhi-110039
Walk in Interview on 03/07/2019 Wednesday from 9:00A.M. to 1:00 P.M. for NTT, AT, TGT's, PGT's(All Subjects), Librarian & Special Educator
Em: whiteleafpooth@gmail.com
Ph.: 9999143642

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को विदित हो कि मेरे मुव्वकिल सज्जन कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री निवासीगण 1/10179-ए, गली नं. 1, वेस्ट गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032 ने अपने पुत्र किशन कुमार एवं इसकी पत्नी राधिका शर्मा को अपनी हर चल व अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है और अपने समस्त रिश्ते नाते समाप्त कर लिये हैं क्योंकि वे मेरे मुव्वकिल के आज्ञाकार नहीं रहे हैं और उनका व्यवहार मेरे मुव्वकिल एवं उनके परिवार के प्रति ठीक नहीं है। मेरे मुव्वकिल को उनसे खतरा है। अतः भविष्य में वे अपने समस्त कार्यों व लेन-देन के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे, मेरे मुव्वकिल व उनके अन्य परिवारजनों का कोई लेना-देना नहीं होगा।

BIRENDER KUMAR YADAV - ADVOCATE
24/18, St. 6, Jharoda Mazra, Part-III, Delhi -110084

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I SUNITA THAREJA wife of CHARANJIT SINGH residing at F-137, PRASHANT VIHAR, ROHINI, DELHI-110085, declare that name of mine & my husband has been wrongly written as SUNITA THRIJA & CHARANJIT SINGH THRIJA in my Passport No. G0480281. The actual name of mine & my husband are SUNITA THAREJA & CHARANJIT SINGH respectively which may be amended accordingly. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my client Adarsh Luthra S/o. Bansi Lal R/o. 2901, (Third Floor), Gali No.4, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi -110055, disowned his son Mukesh Luthra and his wife Jyoti Kapoor Luthra and their to be children, from his all moveable and immovable properties as they are abusing and Quarreling with my client and other family members and my client has broken all relations from them and my client have no concern with any liabilities or any transactions belongs to them in any manner.

BIRENDER KUMAR YADAV - ADVOCATE
24/18, St. 6, Jharoda Mazra, Part-III, Delhi -110084

PUBLIC NOTICE

This is to inform to all, that my client Shri Jaswant Singh S/o Shri Hirdey Ram and his wife Om Wati both R/o House No. 231, Gali No. 14, Village Dheerpur, Delhi-110009, have severed all their relations with their son Satbir Singh and his wife Usha and his sons namely Divesh, Deepanshu and Jatin and disowned and disinherited them from all their movable and immovable properties as the said persons are not within the control of my clients and are disobedient and disregardful to my clients. My clients shall not be liable for any act and deeds of them.

Sd/-
Z.S. YADAV
(Advocate)
Ch. No. 351, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

My client Mr. Mahesh Kumar & his wife Smt. Rekha Bhardwaj both R/o House No. 26-27, 3rd Floor, Pocket-2, Sector-25, Rohini, Delhi-110085, severe all relations and debar their son Karan and his wife Mamta Bhardwaj from all movable, immovable properties and relations due to their misconduct and hostile behavior. My client will not be responsible for any of their acts in future.

Rajesh Gehlawat (Advocate)
Ch. No. 513, Rohini Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

The public at large is hereby informed that my client Rabia Khatoon W/o Late Md. Abdul R/o H.No.209, Pocket-8, Sector-A5, Narela Delhi-110040 has debar her son and son's wife namely Md. Azad S/o Late Md. Abdul R/o H.No.209, Pocket-8, Sector-A5, Narela Delhi-110040 and Chadni W/o Md. Azad D/o Md. Samim R/o H No-688, Pocket-8, Sector-A5, Narela Delhi-110040 from her life, movable and immovable properties due to their bad conduct/quarrel and disobedient towards my client and my client has no control of any manner over them and they wants to grab property of my client, of which my client is the sole owner with possession. If anyone deals with them will be at his/her own risk then my client will not responsible in any manner and my client has snapped her relations with them in all manner for all purposes.

RAVINDER KHATRI
Chamber No.V-15, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Notified to the public that my client Mr. Sunil Dutt s/o Sh. Goverdhan Prasad R/o B-7/12, Sector-3, Rohini, Delhi-110085, his wife Mrs. Babita Dutt, younger son Prashant Naudiyal, have got no connection of whatsoever nature with his elder son Shri Vikrant Naudial, and his wife Anuradha, both of whom have been living separately. My aforesaid client and his family, have severed all their relations and connections from them and have disowned them. Any person dealing with them shall do so on their own risks and consequences and my client and his family will not be liable for any of their acts and actions at any point of time.

Sd/-
(R.D.Vats) Advocate
Ch. No. 668, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054.

PUBLIC NOTICE

Be it known it all public that I disown my son Navdeep Singh Gill Aged About 30 Years R/o I-23, Lajpat Nagar-III, New Delhi from all my immovable and movable properties due to his disobedience, bad and violent behavior towards me and my younger son aged about 23 years. I shall not be responsible for his any acts and deeds in any manner whatsoever.

H.S. GILL (Advocate)
Enrl. D-1208/12

PUBLIC NOTICE

MY CLIENTS GOPI LAL SHARMA AND HIS WIFE SIMRAN SHARMA R/O 436, NEW SANJAY AMAR COLONY, SHAHDARA, DELHI-110032, HAVE SEVEARED ALL RELATIONS AND DEBARRED THEIR SON SHIVAM SHARMA AND HIS WIFE SAPNA SHARMA THEIR ENTIRE MOVABLE AND IMMOVABLE PROPERTIES. MY CLIENTS SHALL NOT BE LIABLE FOR THEIR ANY ACT IN FUTURE.

Sd/-
Pradeep Kumar Sharma
Advocate
En. No. D/3070/17
Seat No. D-20,Saraswati Hall
1st Floor Karkardooma Courts,
New Delhi-110032

PUBLIC NOTICE

NOITCE IS HEREBY GIVEN TO THE PUBLIC that Bimla Devi is the owner of Flat No. C-158-C, Kanchanjunga Appartments, sector-53, Noida. original Allotment Letter in the name of NIRMAL GOYAL of the said property has been misplaced somewhere. An FIR/NCR to that effect has been lodged to U.P. Police vide LAR No:320835/2019 on 23/06/2019.

Any person(s) dealing in any way with the said property shall do so at his/her own peril as the same shall be considered legally null and void. Anybody aware of any such persons claiming any right, interest, title based on the said Allotment Letter or being found in possession of the same, may please write to/contact Mr. Vishnu Kumar, Advocate, at his office-Chamber No.5, Rohini court Delhi and on his Mobile No. 9650267092 within 7days from the date of publication of this notice

व्यापार संबंधित

Golden Gate®
Chemicals - Spices
Dry Fruits
We Wholesale in :
Citric Acid, Yeast, Monosodium Glutamate Cloves (Laung), Cassia (Dalchini), Javitri, Jayfal, Rice, Raisin, Cashew Almonds, etc.
Golden Gate is Registered Trademark
Email: kejriwalindia@gmail.com
Website: www.goldengate.co.in

सूचना

सूचित करना है कि विवाह पूर्व मेरा नाम दीपमाला था, जो विवाह के बाद बदलकर साक्षी मंध्यान हो गया है। भविष्य में मुझे साक्षी मंध्यान के नाम से जाना व पहचाना जाये।- साक्षी मंध्यान पत्नी श्री रितेश मंध्यान निवासिनी प्लाट नं. 5, इंसाफ नगर कालोनी, निकट पारिजात गेस्ट हाउस, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

PUBLIC NOTICE

IT IS HEREBY INFORMED THAT MY CLIENT **SH. RAHUL ARORA** S/O LATE SH. DEVKI NANDAN ARORA & LATE SMT. VARESH KUMARI R/O PP-66 PITAM PURA, DELHI, IS THE OWNER OF **SHOP BEARING NO. 16, IN BLOCK-J(P), AREA MEASURING 12.10 SQ.MTRS., CSC IN PITAM PURA, DELHI** AND HE HAS MISPLACED/LOST THE ORIGINAL DDA DEMAND LETTER/BID FORM, DDA POSSESSION, SITE POSSESSION & HAVE LODGED A FIR/NCR VIDE LR NO. 1177647/2019 DATED 22.06.2019, WITH POLICE STATION, CRIME BRANCH, DELHI, IF ANY BODY FIND THE SAID DOCUMENT, PLEASE INFORM HIM AT THE ABOVESAID ADDRESS OR PH. NO: - 9891315687.

IF ANY OTHER CLAIMENT HAS ANY RIGHT IN THE AFORESAID PROPERTY, HE/SHE SHOULD FILE AN FIR & GIVE INTIMATION TO DY/ASST. DIRECTOR (IMPL.), DDA VIKAS SADAN, INA, NEW DELHI WITH IN 30 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE OF THIS NOTICE

Sd/-
RENU BALA (Advocate)
Enrol No. D-4533/2014

PUBLIC NOTICE

This is to inform the General Public that my client Mrs. Rashmi Arora w/o Mr. Ashish Arora r/o J-42, Sarita Vihar, New Delhi, is intending purchaser of the following portions of Property No. 89, in Khasra No. 121, situated at Garhi Jharia. Maria, now popularly known as Amritpuri, New Delhi;

a) Front Portion of the First Floor, measuring about 2400 sq. ft. (super area) from the owner M/s. Logicstat Intl. Pvt. Ltd., 1114, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi, through its Director Om Prakash Talwar

b) Rear Portion of the First Floor, measuring about 1200 sq.ft. (super area) from the owner M/s. Transformer House, B-282, Okhla Indl. Area Ph-I, ND, through its Partner Om Parkash Talwar

There is some documents are missing. Any person (s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of the said documents may contact with above named person at above address within 10 days from the date of publication of this notice.

Sd/-
SANYOGITA
(Advocate)
R-16, Kalkaji Main Road,
New Delhi-110019

PUBLIC NOTICE

My clients 1) Munni Devi W/o Late Sh. Narender, 2) Dilip Singh S/o Sh. Narender Singh, 3) Ms. Nidhi Singh W/o Sh. Dilip Singh, 4) Kapil Singh S/o Sh. Narender Singh, all R/o C-204, Pkt.-A, I.N.A. Colony, New Delhi-110023, have debarred/ disclaimed namely MS. NEELAM SINGH D/O SH. NARENDER SINGH from their movable and immovable properties and have broken down all their ties and relation with her. My clients shall not be responsible for any kind of her dealing, illegal decision, act, conduct and police or court proceedings against her.

Sd/-
(RAVI KARAN VESHNAV)
ADVOCATE
CHAMBER NO. D-508,
LAWYER'S CHAMBER,
KARKARDOOMA COURT, DELHI-110032
MOBILE NO. 9811844696

PUBLIC NOTICE

Know all that my client Eric Paul S/o Sh. Herbert Paul, R/o B-319, Chungi No.2, Lal Kuan, Pul Prahladpur, New Delhi-110044 has severed / disowned his relations & connections from his son namely Vincent Ashish Paul R/o D-40, Vishwakarma Colony, Pul Prahladpur, New Delhi & his wife & debar his above mentioned son & his wife from all his movable & immovable properties due to their rude behaviour towards my client & his family. My client will not responsible for any acts of his son & his wife.

Jitender Tanwar (Advocate)
Ch. No. 385, Saket Courts, New Delhi-17

PUBLIC NOTICE

MY CLIENT Sh. Amar Singh S/o Late Sh. Nanak Chand R/o 2/384, Block-2, Dakshinpuri, New Delhi- 110062, has severed all relations and disowned his daughters namely Sunita Kumari, Anita Kumari and Dolly Kumari from his all moveable-immoveable properties due to their disobedience and disrespectful behaviour towards my client. My client and his other family members shall not be responsible for their acts.

Sd/-
ROHIT KUMAR (Advocate)
Ch No., 768, Saket Courts,
New Delhi

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my clients Sh. Hari Mohan S/o Sh. Jagdish Chand and his wife Smt. Veena Aggarwal Both R/o Flat No.4, DDA MIG Flats, Metro Apartment, Jahangir Puri, Delhi-110033, have severed their all relations with their son Mayank Aggarwal and his wife Aarti Aggarwal, R/o RZ-236, Roshan Garden Najafgarh, Delhi-110043 and debarred them from their movable and immovable properties/assets. My clients shall not be liable for their any act or deeds in any manner whatsoever. Anybody dealing with them will be at his own cost and risk.

N.L. SINGH ADVOCATE
CH.NO.B-132, B.G.S. BLOCK,
TIS HAZARI COURTS, DELHI-110054

PUBLIC NOTICE

This is to inform all concerned that my client sh. Noor Mohammed S/o Sh. Rateek R/o H.No.154, Naveen Kunj, Loni Dehat, Loni, Ghaziabad, U.P. has disowned and disinherited his son namely Sh. Hasan and son's wife namely Gulsan from all movable and immovable properties of my abovesaid client My client shall not be liable for the any act of the said person.

ANKIT BANSAL ADVOCATES
Chamber No.231, Civil Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client Sh. **Deep Chand Son of Sh. Bhagwan Shahi and his wife Smt. Narvada both R/O H. No. 7, A-Block, Inder Enclave-2, Kirari, Suleman Nagar, Delhi- 110086**, have severed at their relations with their son **"MAHAVIR @ BUNTY AND HIS WIFE BABLI"** who are quarrelsome and disobedient to my clients and are leading their life as per their wishes and against the wishes of my clients. Henceforth, neither my client nor any of their other family members has/have any relation or connection with their son mahavir @ Bunty and his wife Babli and thus my clients hereby debar them from all their movable and immovable property.

(SUBHASH BAGHEL) (ADVOCATE)
ENRL No. - D-1161/13

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client **Sh. MANGE RAM** S/o Sh. Luttan R/o House No. 45, Street No.3, Bhajanpura, Delhi-110053, has disowned his son namely **"Sh. SANJAY KUMAR** S/o Mange Ram R/o 45, Gali No.3, Bhajanpura, Delhi-110053 and severed all his relations social and financial with him due to his disobedience. He has debarred them from inheriting his properties movable and immovable. He shall not be responsible for any of his acts, deeds and things. Anybody dealing with him shall be doing so at his/her risk.

SHARAD CHANDRA GUPTA
(Advocate)
2-A, POCKET-A, MIG FLATS GTB
Enclave, DELHI- 110093

PUBLIC NOTICE

My client Sh. **Suresh Kumar Jain S/o Late Mahavir Prasad Jain** & his wife **Smt. Sulochana Jain** R/o 11/122, Sec-3, Rajender Nagar, Near Swami Vivekanand School, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201006 have discard all their relationship from their son **Gaurav Jain** along with his wife **Money Jain and grandson Mst. Agastya Jain** and disowned them from all their movable & immovable properties due to their misdeeds and ill behaviour with their parent. my client shall not be responsible for any acts of his son **Gaurav Jain and his wife Mrs. Money Jain**.

Nitin Pandey (Advocate)
Enrolment No. D-2430/15

The Indian EXPRESS Classifieds FROM ANYTHING TO EVERYTHING.

EXPRESS EDUCATION

IBPS RRB
ऑनलाइन प्रिलिम्स क्रैश कोर्स
M Tyra और team द्वारा
100+ घंटे की क्लास
प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट
प्रतिदिन डाउट क्लास
प्रिवियस पेपर डिस्कशन
30 दिन में सिलेबस पूरा
सिर्फ ₹1100 में
सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज ही इनरॉल करें, सीमित सीटें उपलब्ध हैं।
live.bscacademy.com
+91-8287206390

ECONOMICS OPTIONAL
by Ravindra N. Jha
CSE - 2018 RESULT
AIR-29 AIR-43 AIR-48 AIR-97 AIR-102 AIR-162
AIR-222 AIR-290 AIR-432 AIR-538 AIR-629 AIR-725
OFFLINE & ONLINE BOTH
TEST SERIES 16 JUNE
New Batch 1 JULY @ 2:00 PM
9811343411, 9811343938, 9811343464

THE STUDY (An Institute for IAS)
HISTORY
By MANIKANT SINGH
English Medium
OPEN LECTURE TODAY
6:00 PM
at Mukherjee Nagar
Now Online classes also available

मौसम

तापमान **नई दिल्ली**
अधिकतम–38.6 डि.से. सूर्योदय– 5:25
न्यूनतम– 27.4 डि.से. सूर्यास्त– 19:23

केजरीवाल ने दिल्ली के लिए केंद्र से मांगा अधिक पानी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जून।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्र से राष्ट्रीय राजधानी को मिल रहे पानी के हिस्से को बढ़ाने की गुजारिश करते हुए कहा कि शहर के लिए पानी की जो मात्रा 1994 में मंजूर की गई थी, उसमें तब से अब तक कोई बदलाव नहीं आया है। उनकी सरकार 2024 तक महानगर के हर निवासी को हर वक्त पेयजल मुहैया करा देगी। उन्होंने कहा कि 1994 में महानगर की आबादी 1.25 करोड़ थी जो अब बढ़कर 2.25 करोड़ हो गई है लेकिन इस अनुपात में उसे मिलने वाले पानी की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सरकार के एक प्रवक्ता ने ट्वीट में कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से दिल्ली के पानी के हिस्से को नए तरह से आबंटन का अनुरोध किया है।

इससे पहले केजरीवाल ने चंद्रावल फेज–2 जलशोधन संयंत्र के शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली के पास अपना जल स्रोत नहीं है। इसके लिए यमुना एवं गंगा नदियों के पानी के आबंटन (हिस्सा) का फैसला 1994 में लिया गया था। उन्होंने कहा कि 25 साल में, शहर की आबादी 1.25 करोड़ से बढ़कर 2.25 करोड़ हो गई है लेकिन मुनक नहर से मिलने वाले पानी को अगर छोड़ दें तो पानी का उसका हिस्सा जस का तस है। हम केंद्र से इसे बढ़ाने की अपील करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और शहर में पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करना हर सरकार की साझा जिम्मेदारी है। हम सिंचाई के लिए पानी की मांग नहीं कर रहे, हमें पेयजल चाहिए। वर्तमान में दिल्ली को गंग नहर, पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा नहर एवं यमुना नदी से उसका पानी मिलता है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड हर दिन 8 करोड़ गैलन भूजल निकालता है।

चंद्रावल फेज–2 जलशोधन संयंत्र शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। फोटो : आरुष चोपड़ा

सेंट स्टीफंस में अंग्रेजी और अर्थशास्त्र ऑनर्स में 98.75 फीसद पर मिलेगा दाखिला

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जून।

डीयू से संबद्ध सेंट स्टीफंस कॉलेज ने सोमवार को स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पहली कटऑफ जारी की। इसके मुताबिक बीए अंग्रेजी ऑनर्स और अर्थशास्त्र ऑनर्स पाठ्यक्रमों में सामान्य वर्ग के कॉमर्स के विद्यार्थियों को 98.75 फीसद पर दाखिला मिलेगा। पिछले साल बीए अर्थशास्त्र ऑनर्स की कटऑफ 98.75 फीसद ही थी जबकि इस साल बीए ऑनर्स अंग्रेजी की कटऑफ में 0.25 फीसद का इजाफा हुआ है।

बीए प्रोग्राम में सामान्य वर्ग के कॉमर्स और विज्ञान के विद्यार्थियों को 98 फीसद पर दाखिला मिलेगा जबकि 12वीं में कला विषयों से पढ़ाई करने वाले सामान्य वर्ग विद्यार्थियों को 96.50 फीसद पर प्रवेश दिया जाएगा। बीएससी गणित के लिए 12वीं में विज्ञान विषय पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 97.75 फीसद अंक चाहिए, जबकि कॉमर्स विषयों से 12वीं पास करने वाले सामान्य वर्ग विद्यार्थियों को 97.50 फीसद पर दाखिला मिल जाएगा। बीए ऑनर्स इतिहास में कॉमर्स और विज्ञान के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 98.50 फीसद पर प्रवेश मिलेगा। बीए ऑनर्स दर्शनशास्त्र में दाखिला लेने के लिए कॉमर्स और कला के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों 97 फीसद चाहिए। बीए ऑनर्स संस्कृत में सामान्य वर्ग के सभी विद्यार्थियों को 65 फीसद की जरूरत है। बीएससी ऑनर्स रसायन शास्त्र में दाखिले के लिए पीसीएम में 96.33 फीसद, बीएससी ऑनर्स भौतिक शास्त्र के लिए 96.66 फीसद बीएससी प्रोग्राम (रसायन शास्त्र) के लिए 95 फीसद और बीएससी प्रोग्राम (कंप्यूटर साइंस) के लिए 96.66 फीसद की आवश्यकता होगी।

जेएनयू में स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य करने की तैयारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जून।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने स्नातक स्तर पर हिंदी को अनिवार्य करने की तैयारी कर ली है। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 28 जून को होने वाली विद्वत परिषद (एसी) की बैठक में एक प्रस्ताव पेश करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रस्ताव का विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की ओर से विरोध किया जा रहा है। जेएनयू में स्नातक स्तर पर बीए और बीटेक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। इस बारे में जेएनयू की ओर से कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

जानकारी के मुताबिक, जेएनयू यह प्रस्ताव यूजीसी के अक्तूबर, 2018 में आए उस निर्देश के तहत ला रहा है जिसमें सभी विश्वविद्यालयों को हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने को कहा गया था। यूजीसी के निर्देश के तहत जेएनयू ने प्रस्ताव तैयार किया है जिसके तहत बीए और बीटेक पाठ्यक्रमों में हिंदी को अनिवार्य विषय बनाने की तैयारी है। विद्यार्थियों ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे वापस लाने की मांग की है।

LG
Life's Good

एलजीईआईएल एयर कंडीशनर के नए सीडीएम पॉजेक्ट का परिचय

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (बाद में, 'एलजीईआईएल' से संदर्भित) की भारत के रिहाइशी क्षेत्रों में सीडीएम परियोजना वाले नए ऊर्जा कुशल एयर कंडीशनर बनाने की योजना है। यह परियोजना मांग पक्ष पर बिजली खपत घटाकर भारत के सतत विकास में योगदान देगी और वैश्विक ताप के प्रभाव को कम कर हरितग ह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में मदद करेगी।

सीडीएम क्योटो प्रोटोकॉल (आईपीसीसी 2007) में परिभाषित तंत्रों में से एक है, जो उत्सर्जन–कटौती परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ऐसी परियोजनाएं सीईआर (सर्टिफाइड इमीशन रिडक्शन्स) नामक कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करती हैं, जिसका उत्सर्जन–कटौती योजनाओं में व्यापार किया सकता है। सीडीएम का उद्देश्य विकासशील देशों में स्वच्छ विकास को बढ़ावा देना है। सीडीएम प्रोटोकॉल के 'परियोजना आधारित' तंत्रों में से एक है, जिनमें उत्सर्जन घटाने वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सीडीएम बनता है।

भारत के घरेलू बाज़ार में ऊर्जा दक्ष रेफ्रिजिरेटर बनाने और बेचने के ज़रिये एलजीईआईएल पहले ही सीडीएम प्रोजेक्ट बना चुकी है और इसको 2013 में संयुक्त राष्ट्र में सफलतापूर्वक पंजीकृत भी कर चुकी है। अब तक संयुक्त राष्ट्र से 340,000 टन कार्बन डाई ऑक्साइड का सीईआर जारी हो गया है और अब यह अनुमान लगाया गया है कि भविष्य में जारी होने वाले सीईआर हर साल बढ़ेंगे।

इस मामले में, एलजीईआईएल सीडीएम प्रोजेक्ट वाले नए एयर कंडीशनर की व्याख्या के लिए एलएससी (लोकल स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन या स्थानीय हितधारक परामर्श) नाम की एक बैठक करना चाहती है और इसमें सवाल–जवाब के लिए भी समय होगा। इस बैठक का पूरा ब्योरा नीचे है–

– दिनांक: 27 जुलाई, 2019 (समय 10-12 बजे)
– स्थान: रेडिसन ब्लू होटल, सेकंड क्रॉस एवेन्यू, कासना रोड, ग्रेटर नोएडा
– एजेंडा
• एलजीईआईएल के बारे में
• चालू सीडीएम प्रोजेक्ट वाले रेफ्रीजिरेटर का परिचय
• नए सीडीएम प्रोजेक्ट वाले एयर कंडीशनर का परिचय
• प्रश्नोत्तर सत्र

एलजीईआईएल उन सभी का, उनकी आयु, लिंग, नौकरी, सामाजिक स्थिति, वगैरह के बगैर, इस बैठक में हार्दिक स्वागत करती है, जो सीडीएम प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते है।

दिल्ली के तकनीकी संस्थानों में ईडब्लूएस कोटा लागू, 388 सीटें बढ़ीं

सुशील राघव
नई दिल्ली, 24 जून।

दिल्ली सरकार के चार तकनीकी संस्थानों ने सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्लूएस) कोटा को लागू कर दिया है। कोटा लागू होने की वजह से बढ़ी 25 फीसद सीटों में से इस साल सिर्फ 10 फीसद सीटों को बढ़ाने का निर्णय किया गया है। बाकी बची 15 फीसद सीटें अगले साल बढ़ाई जाएंगी। ईडब्लूएस कोटा लागू होने की वजह से इस साल चारों संस्थानों में कुल 388 सीटों की वृद्धि हुई है।

दिल्ली सरकार के तकनीकी संस्थानों दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू), नेताजी सुभाष तकनीकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी), इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (आइआइआइटीडी) और इंदिरा गांधी दिल्ली प्रौद्योगिकी महिला विश्वविद्यालय (आइजीडीटीयूडब्लू) ने केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए दस फीसद ईडब्लूएस कोटा को अपने यहां लागू किया है। ये सभी संस्थान इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय की भांति बढ़ी हुई कुल 25 फीसद सीटों में से इस साल केवल 10 फीसद सीटें ही बढ़ा रहे हैं। डीटीयू में ईडब्लूएस कोटा लागू होने के बाद कुल सीटों की संख्या 2115 हो गई है। इसी तरह एनएसयूटी में इस साल 1188 सीओं पर दाखिले होंगे। आइजीडीटीयूडब्लू में 469 और आइआइआइटीडी में 429 सीटें हो गई हैं। इन चारों संस्थानों की दाखिला प्रक्रिया को आयोजित करने वाली इकाई ज्वाइंट एडमिशन काउंसलिंग (जैक) ने ईडब्लूएस वर्ग के विद्यार्थियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। पहले चरण की काउंसलिंग के लिए डीटीयू व एनएयूटी में 28 जून तक और आइजीडीटीयूडब्लू व आइआइआइटीडी में 26 जून को काउंसलिंग होगी।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ
प्रबन्ध नगर, आई.आई.एम.रोड, लखनऊ–226013 (उ0प्र0)
द्वारा नामांकन आमंत्रण
18वां एक वर्ष अंशकालिक कार्यकारी अधिकारी हेतु
सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम 2018–19
(240 घंटों का शिक्षण, प्रत्येक 9 दिनों के 4 ''परिसर स्थित मॉड्यूल के साथ)

जीएमपी को कार्यरत कार्यकारी अधिकारियों के आगामी करियर परिवर्तन हेतु तैयारी के लिए आवश्यक सहयोग को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम वास्तविक विश्व व्यापारिक प्रचलनों के साथ उन्नत प्रबंधन सिद्धांत, व्यवहारिक कौशल और मात्रात्मक विधियों को जोड़ने का कार्य करेगा।

पूर्ण आवेदन, रु. 2,000/– (गैर–वापसी योग्य) डिमांड ड्राफ्ट या एनईएफटी द्वारा देय ''वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (एमडीपी), भारतीय प्रबन्ध संस्थान, प्रबंध नगर, आईआईएम रोड, लखनऊ–226013'' के साथ अंतिम तिथि : 16 जुलाई, 2019 तक भेजना होगा। आवेदन पत्र http://www.iiml.ac.in/sites/default/files/upload/news/gmpe18applform-27may2019.pdf से डाउनलोड किया जा सकता है।

विवरण हेतु संपर्क करें : फोन नं. (0522) 6696278/6696282–83, 6696288, ईमेल : gmpe18@iiml.ac.in वेबसाइट : http://www.iiml.ac.in/

सहरावत और वाजपेयी ने विस अध्यक्ष से सुनवाई टालने का अनुरोध किया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जून।

दलबदल के आरोपों का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों देवेंद्र सहरावत और अनिल वाजपेयी ने दिल्ली विधानसभा के सचिव के समक्ष अपनी लिखित दलीलें सोमवार को प्रस्तुत की और इस मुद्दे पर अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई को आगे टालने का अनुरोध किया। इस मामले में सुनवाई मंगलवार को होनी है। इन दोनों को 'आप' विधायक एवं पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज की याचिका पर नोटिस जारी किया गया था। भारद्वाज ने दोनों पर लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा में शामिल होने का आरोप लगाया था।

विपक्ष के नेता की पत्नी का बैग चोरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जून।

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की पत्नी शोभा विजेंद्र गुप्ता की बैग चोरी कर बदमाश फरार हो गए। घटना सोमवार सुबह करीब 10:15 बजे मंडी हाउस इलाके में घटी। घटना के समय शोभा विजेंद्र अपनी कार से कहीं जा रही थीं। तभी मोटरसाइकिल बदमाशों ने उनकी कार के बोनट पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया। चालक और शोभा विजेंद्र जब कार से बाहर निकलीं तो इसी दौरान बदमाश उनका बैग लेकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है।

विकास मामले में पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी बरकरार

नई दिल्ली, 24 जून (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने नीतीश कटारा की हत्या के लिए 25 साल जेल की सजा काट रहे विकास यादव को 2011 में दीपावली की रात बिना पैरोल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से जाने की अनुमति देने वाले दो पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है।

केनरा बैंक Canara Bank सार्वजनिक सूचना
ए.एस. रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005, टेलीफोन नं. 011–28756401; 28756406
फैक्स: + 9111–28756418, ई–मेल: cb0367canarabank.com

आरईएफ/केवी/लॉकर/1/2018 तिथि: 24.6.2019

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि लॉकर धारकों ने बैंक की करोल बाग शाखा में बड़ी संख्या में लॉकर हॉयर की है। उसके संदर्भ में लॉकर अनुबंध या तो गुम हो गए हैं अथवा ही लॉकर–धारक पिछले कई वर्षों से लॉकर का प्रचालन नहीं कर रहे हैं तथा लॉकर शुल्क की बकायों का बैंक को भुगतान नहीं कर रहे हैं।

क्रम Sl.	सेफ लॉकर नं. SAFE LOCKER NO.	नाम NAME	अंतिम प्रचालनकी तिथि DATE OF LAST OPERATION	बकाए की तिथि ARREAR DATE	राशि AMOUNT
1	PSR0125	LALITA KUMAR	15/02/2017	01/04/16	5900
2	PSR0561	KANWALJIT SINGH NAGPAL	02/11/12	01/04/14	8838
3	PSR0654	GURPREET KAUR	18/12/2015	01/04/16	5900
4	ASR0322	LAL CHAND	NA	01/04/14	8838
5	ASR0410	KAILASH URANA	22/07/2004	01/04/11	13464
6	ASR0413	VEERAWALI SAHNEY	13/05/2008	01/04/12	11765
7	ASR0445	VARSHA SADANA	02/04/11	01/04/12	11765
8	ASR0523	VICKY MADAN	29/04/2005	01/04/14	8838
9	ASR0542	ANJALI KUMARI	06/01/12	01/04/12	11765
10	ASR0576	SHEELA DEVI	15/09/2008	01/04/11	13464
11	ASR0620	URMIL KAPOOR	18/06/2009	01/04/11	14172
12	ASR0643	SAROJ CHOPRA/VEENA PURI	13/04/2010	01/04/12	11765
13	ASR0673	SWARN GAIND/ANJU GAIND	24/12/2009	01/04/12	11765
14	ASR0748	DEEPAK KUMAR	01/03/06	01/04/14	8838
15	ASR0768	TRIPTA DEVI	05/05/09	01/04/16	5900
16	ASR0781	VIKASH MADAN	NA	01/04/14	8838
17	PSR0154	RASHMI SRIVASTAVA	26/06/2007	01/04/16	5900
18	PSR0194	DEV RAJ ARORA	NA	01/04/16	5900
19	ASR0476	SURINDER MALHOTRA	NA	01/04/11	12756
20	ASR0352	DHAVANINDER MOHAN	NA	01/04/11	12756
21	ASR0417	SANTOSH GULATI	NA	01/04/15	7375
22	ASR0540	KAMALJEET SINGH	NA	01/04/15	7375

कुछ मामलों में कथित रूप से लॉकर–धारकों का निधन होने की सूचना है। इस सूचना के द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे लॉकर के स्वामित्व के प्रमाणिक प्रमाणों जैसे पास्पोर्ट, आधार कार्ड, निवास के प्रमाण के साथ इस सूचना के एक माह की अवधि के भीतर करोल बाग शाखा में संपर्क कर नए सिरे से लॉकर अनुबंधों को निष्पादित करें तथा लॉकर की बकाए किराए का भुगतान कर अपने सामानों का दावा करें। यदि किसी लॉकर के सिलसिले में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होती है तो बैंक, लॉकर चार्जेज के बकाए की वसूली के लिए लॉकरों की सामग्रियों पर अपने लिएन का प्रयोग करते हुए गवाहों की उपस्थिति में लॉकरों को तोड़कर खोलने तथा उसकी सामग्रियों को हटाने के लिए विवश होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 24.6.2019 केनरा बैंक

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK दूसरा तल, जीएमटीटी भवन डी–7 सैक्टर 3 नोएडा (उ.प्र.) 201301

कब्जा सूचना (अचल संपत्तियों के लिए) [नियम–8(1)]

चूंकि, **उज्जीवन स्माल फाइनांस बैंक लि.** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुन:निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) के नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित राशि की अदायगी के लिए कर्जदार/गारंटर को आमंत्रित करते हुए यहां नीचे वर्णित तिथियों को कर्जदारों/गारंटरों को डिमांड नोटिस जारी किया था।

कर्जदार/रेहनकर्ता, सह–कर्जदार/रेहनकर्ता व सह–कर्जदार द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार/रेहनकर्ता, सह–कर्जदार/रेहनकर्ता व सह–कर्जदार व सामान्य तौर पर जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन नियमों, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए कथित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के अंतर्गत वर्णित तिथियों को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

कर्जदार/रेहनकर्ता, सह–कर्जदार/रेहनकर्ता व सह–कर्जदार के ध्यान में लाया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूतित सम्पत्तियों को बचाने के समय उपलब्ध है।

कर्जदार/रेहनकर्ता, सह–कर्जदार/रेहनकर्ता व सह–कर्जदार को विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर कथित नीचे वर्णित सम्पत्तियों के साथ लेन–देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और कथित सम्पत्तियों के साथ कोई भी लेन प्रत्येक खाते के अंतर्गत यहां नीचे वर्णित राशि के अलावा ब्याज व अन्य प्रभार/खर्चे के लिए **उज्जीवन स्माल फाइनांस बैंक लि.** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार/रेहनकर्ता के नाम	अचल संपत्तियों का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	कब्जा सूचना की तिथि	डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया
श्री राकेश सुपुत्र रामफल और सह–कर्जदार/रेहनकर्ता सोनिया पत्नी राकेश व बालिश्री देवी पत्नी रामफल सभी निवासी शिव शक्ति नगर, नजदीक एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, गढ़ रोड, जयभीम नगर, उत्तर प्रदेश–250004 ऋण खाता संख्या: 222079700000047	खसरा नं. 900, मोहल्ला जयभीम नगर, गांव दतावली गेसुपुरा, परगना तहसील व जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित 37.50 वर्ग यार्ड के विस्तार वाली भूमि के साथ भवन, निर्माण तथा उस पर सभी सुधार के सभी अनिवार्य अंग। सीमाबद्ध: पूर्व: 18 फुट सड़क, पश्चिम: अंजू देवी की संपत्ति, उत्तर: उमेश की संपत्ति, दक्षिण: अन्य की संपत्ति।	28.12.2018	20.06.2019	3,85,513/– रु. वर्तमान बकाया 3,80,936/– रु. जो 17.06.2019 को देय है व उस पर ब्याज।
अखलेक सुपुत्र मुजफ्फर अली और सह–कर्जदार/रेहनकर्ता मोहसिना पत्नी अखलेक सभी निवासी 195/2, मौखास 2, पोस्ट मुंडली, मेरठ–250001, उत्तर प्रदेश ऋण खाता संख्या: 222079700000030	खसरा नं. 273, गांव मौखास, परगना तहसील व जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में स्थित 100 वर्ग यार्ड के विस्तार वाली भूमि के साथ भवन, निर्माण तथा उस पर सभी सुधार के सभी अनिवार्य अंग। सीमाबद्ध: पूर्व: अन्य की कृषीय भूमि, पश्चिम: 20 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर: श्रीमति नूरजहां का प्लाट, दक्षिण: अन्य व्यक्ति का प्लाट।	25.01.2019	20.06.2019	4,69,624/– रु. वर्तमान बकाया 4,60,340/– रु. जो 17.06.2019 को देय है व उस पर ब्याज।

दिनांक: 24.06.2019 स्थान: मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

This is a public announcement for information purposes only and is not a prospectus announcement. This does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities. Not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.

indiamart **IndiaMART InterMESH LIMITED**

Our Company was incorporated in New Delhi as 'IndiaMART InterMESH Limited' on September 13, 1999, as a public limited company under the Companies Act, 1956, with a certificate of incorporation granted by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana ("**RoC**").

Corporate Identity Number: U74899DL1999PLC101534

Registered Office: 1st Floor, 29 Daryaganj, Netaji Subhash Marg, New Delhi 110 002, India; **Tel:** (+91) (11) 3027 2100; **Fax:** (+91) (11) 4350 9807. For details of the change in the registered office of our Company, see "*History and Certain Corporate Matters*" on page 178 of the Red Herring Prospectus dated June 17, 2019 ("**RHP**"). **Corporate Office:** 7th & 8th Floors, Advant-Navis Business Park, Plot No. 7, Sector 142, Noida 201 301, Uttar Pradesh, India; **Tel:** +91 (120) 6777 800; **Fax:** +91 (120) 4873 101; **Contact Person:** Manoj Bhargava, Senior Vice President (Legal and Secretarial), Company Secretary and Compliance Officer; **Tel:** +91 (120) 6777 800; **Fax:** +91 (120) 4873 101; **E-mail:** cs@indiamart.com; **Website:** www.indiamart.com

OUR PROMOTERS: DINESH CHANDRA AGARWAL AND BRIJESH KUMAR AGRAWAL

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 4,887,862 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF INDIAMART INTERMESH LIMITED ("INDIAMART" OR "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•]* PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING TO ₹ [•] MILLION (THE "OFFER") THROUGH AN OFFER FOR SALE OF (A) UP TO 2,590,000 EQUITY SHARES BY INTEL CAPITAL (MAURITIUS), LIMITED; UP TO 255,753 EQUITY SHARES BY AMADEUS IV DPF LIMITED AND UP TO 475,000 EQUITY SHARES BY ACCION FRONTIER INCLUSION MAURITIUS (TOGETHER, THE "INVESTOR SELLING SHAREHOLDERS"), (B) UP TO 852,453 EQUITY SHARES BY DINESH CHANDRA AGARWAL AND UP TO 577,656 EQUITY SHARES BY BRIJESH KUMAR AGRAWAL (TOGETHER, THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS") AND (C) UP TO AN AGGREGATE OF 137,000 EQUITY SHARES BY THE OTHER SELLING SHAREHOLDERS (COLLECTIVELY, THE "SELLING SHAREHOLDERS"). THE OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO 10,000 EQUITY SHARES, FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES, (WHICH SHALL NOT EXCEED 5% OF THE POST-OFFER EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY) (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER", AGGREGATING UP TO 4,877,862 EQUITY SHARES. THE OFFER AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE 16.99% AND 16.95% OF THE POST-OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY, RESPECTIVELY.

***A discount of ₹ 97 per Equity Share is being offered to Eligible Employees bidding in the Employee Reservation Portion.**

Price Band: ₹ 970 to ₹ 973 per Equity Share of face value of ₹ 10 each.
The Floor Price is 97 times the face value of the Equity Shares and the Cap Price is 97.3 times the face value of the Equity Shares.
Bids can be made for a minimum of 15 Equity Shares and in multiples of 15 Equity Shares thereafter.
Employee discount of ₹ 97 per Equity Share is being offered to Eligible Employees Bidding in the Employee Reservation Portion.

ASBA* | Simple, Safe, Smart way of Application!!!

***Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For details, check section on ASBA below.**
Mandatory in public issues. No cheque will be accepted.

UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE **Now available in ASBA for Retail Individual Investors**

*Investors have to apply through the ASBA process. *ASBA has to be availed by all the investors except anchor investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form and abridged prospectus and also please refer to the section "Offer Procedure" on page 500 of the RHP. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India and Stock Exchanges and in the General Information Document. ASBA Bid-cum-Application Forms can be downloaded from the websites of BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. HDFC Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Offer, in accordance with the requirements of the SEBI circular dated November 1, 2018. For details of the Banks eligible to act as Issuer Banks for UPI, kindly refer to the website of SEBI (https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=40).*

Risks to Investors:

- **The three Book Running Lead Managers associated with the Offer have handled 25 public issues during the current financial year and two financial years preceding the current financial year, out of which 7 closed below the issue price on listing date.**
- **The Price/Earnings ratio based on diluted EPS for fiscal 2019 for the Company at the upper end of the Price band is as high as 203.41, on an unconsolidated basis and 127.79, on a consolidated basis. The P/E of Nifty 50 as on June 17, 2019 is 28.87.**
- **The average cost of acquisition per Equity Share for our Selling Shareholders is in the range of ₹ 0.24 to ₹ 385.00 per Equity Share. The Offer Price at the upper end of the Price Band is ₹ 973.**
- **Weighted Average Return on Net Worth for fiscals 2019, 2018 and 2017 is (4.68)% on an unconsolidated basis and 9.20% on a consolidated basis.**

Corrigendum to the Red Herring Prospectus

This corrigendum is with reference to the Red Herring Prospectus dated June 17, 2019, in relation to Offer. In this regard, please note the following:
• The fax number for the Registered Office should be read as (+91) (11) 4350 9807.
• The fax number for the Corporate Office, contact person and the Chief Financial Officer should be read as (+91) (120) 4873 101.
The Red Herring Prospectus, the Application Forms, the Abridged Prospectus, the pre-Offer advertisement dated June 18, 2019 and the advertisement announcing the Price Band dated June 18, 2019 in relation to the Offer, each of which was published in the Financial Express (all editions) and Jansatta (all editions) on June 19, 2019 shall be read in conjunction with this Corrigendum. The RHP, the Application Forms, the Abridged Prospectus and the above mentioned advertisement stands amended to the extent of modification stated above. Relevant changes shall be reflected in the Prospectus, including on the cover page and in the sections entitled "***General Information***" and "***Other Regulatory and Statutory Disclosures***", when registered with the RoC and filed with SEBI and the Stock Exchanges. Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Red Herring Prospectus.

For **IndiaMART InterMESH LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Company Secretary and Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: June 24, 2019

IndiaMART InterMESH LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offer of its Equity Shares and has filed a Red Herring Prospectus dated June 17, 2019 with the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi & Haryana. The Red Herring Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and the BRLMs at www.icicisecurities.com, www.edelweissfin.com and www.jefferies.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details refer to the Red Herring Prospectus, including the section titled '*Risk Factors*' on page 20 of the Red Herring Prospectus.

This announcement is not an offer of securities for sale in the United States or elsewhere. This announcement has been prepared for publication in India only and is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. The securities described in this announcement have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**U.S. Securities Act**") and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. No public offering of securities in the United States is contemplated.

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	35.4 डि.से.	35.4 डि.से.	35.5 डि.से.	36.1 डि.से.
न्यूनतम	27.4 डि.से.	27.4 डि.से.	27.4 डि.से.	27.4 डि.से.

दिल्ली में बढ़ते अपराधों पर दावे और दलील

दिल्ली सरकार और पुलिस उलझे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जून।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच अपराध के बढ़ते मामलों में आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है। केजरीवाल ने बीते दो दिनों में सीनियर सिटीजन सहित नौ हत्याओं का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इसके जबाब में दिल्ली पुलिस ने आंकड़े जारी करते हुए दावा किया है कि दिल्ली में साल 2018 की तुलना में अपराधों में इस साल कमी आई है। दिल्ली पुलिस के जन संपर्क अधिकारी मधुर वर्मा ने कहा है कि दिल्ली में 2018 की तुलना में दिल्ली में अपराध, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ होने वाले अपराधों में कमी आई है। अपराध रोकने के लिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल के ट्वीट का जवाब देते हुए मधुर वर्मा ने कहा है कि दिल्ली में अपराध बढ़ा नहीं है। साल 2018 की तुलना में जघन्य अपराधों की संख्या में 10 फीसदी कमी आई है। बुजुर्गों के खिलाफ अपराध में भी 22.22 फीसदी कमी आई है। ज्यादा से ज्यादा हथियार बरामद किए जा रहे है। अवैध हथियारों से अपराध में छह फीसद की कमी आई है। सीनियर सिटीजन की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बीट अफसर उनसे मिलते हैं। दिल्ली में हाल ही में हुए नौ कत्ल की वारदातों पर वर्मा ने कहा है कि महरौली वाला निजी था, जबकि द्वारका वाला मामला सुलझा लिया गया है। उन्होंने वसंत विहार तिहरे हत्याकांड को जल्द सुलझाने का दावा किया है। वसंत विहार इलाके की वारदात के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है।

इजाफा तो हुआ है!

पुलिस सूत्रों का कहना है कि लाख प्रयासों के बावजूद राजधानी में 2018 के मुकाबले 2019 में हत्या के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। 15 जून , 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों बताते हैं कि राजधानी में कुल 233 हत्याएं हो चुकी हैं जबकि इसी अवधि में 2018 में 223 हत्याएं हुई थीं। दिल्ली में 13-14 जून को 12 घंटे के अंदर ही 5 हत्याएं हुईं। वहीं 22-23 जून को 24 घंटों के अंदर ही 9 हत्याएं हो गईं। यह अलग बात है कि इनमें से कई मामलों में परिवार या किसी करीबी का हाथ रहा। बलात्कार के मामले में दर्ज रिकार्ड के मुताबिक इस साल जहां यह 973 है वहीं बीते साल यह 1005 था। अभी यह आंकड़ा पूरी तरह से तब तक साफ नहीं हो पाएगा जब तक कि साल के छह महीने का पूरा ब्योरा सामने नहीं आ सके। हालांकि 2018 और 2017 में तुलनात्मक रूप में 2017 में 462 के मुकाबले 2018 में 477 लोगों की दिल्ली में हत्या की गई। इनमें सबसे अधिक 38 फीसदी लोगों को किसी न किसी रंजिश की वजह से जान गंवानी पड़ी। हत्या में इस्तेमाल हथियार की बात करें तो 43 फीसदी लोगों की धारदार हथियार से हत्या की गई जबकि 19 फीसदी मामलों में लोगों को गोली से मारा गया।

शून्यकाल में उठाया दिल्ली में अपराध का मामला

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जून।

राज्यसभा में सोमवार को आम आदमी पार्टी के एक सदस्य ने पिछले दिनों शहर में एक ऑटो चालक की पुलिस द्वारा कथित तौर पर पिटाई किए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दिल्ली 'अपराध की राजधानी' बनती जा रही है। शून्यकाल में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपराध का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है और एक माह में दिल्ली में करीब 220 गोलियां चली हैं। बीते एक साल में बलात्कार के 243 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह हत्या के मामले भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को राज्य के आला पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलानी चाहिए जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी बुलाया जाना चाहिए और चर्चा की जानी चाहिए कि अपराध पर किस तरह रोक लगाई जाए।

केजरीवाल ने कहा, केंद्र को पूरा सहयोग देंगे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जून।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि शहर में कानून-व्यवस्था में सुधार के लिए वह केंद्र को पूरा सहयोग देंगे। केजरीवाल का यह बयान राजधानी में अपराध की घटनाओं में वृद्धि के लिए उनकी पार्टी द्वारा भाजपा को जिम्मेदार ठहराए जाने के एक दिन बाद आया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था की हालत में सुधार के लिए हमें साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने बड़े पैमाने पर सीसीटीवी लगाने का काम शुरू कर दिया है। इससे मदद मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि सभी एजंसियों, सरकारों और दिल्ली के निवासियों को साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। हम केंद्र सरकार के साथ पूरा सहयोग करेंगे। राजनीति को अलग रख हमें शहर में सुधार करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

वसंत विहार तिहरा हत्याकांड

महिला सहायिका के दोस्त पर अटकी शक की सुई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जून।

वसंत विहार थाना क्षेत्र के वंसत अपार्टमेंट में बुजुर्ग दंपति और महिला सहायिका की हत्या के मामले में पुलिस सहायिक के दोस्त और एक अन्य युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस को सहायिका के दोस्त पर शक है कि इस हत्याकांड में उसकी अहम भूमिका है। हालांकि पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। पर अभी तक 25-30 लोगों से पूछताछ की गई है। वहीं, जिला पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के बाद ही हत्याकांड के उद्देश्य का पता चलेगा। फिलहाल जिला पुलिस और स्पेशल स्टॉफ की 10 टीमें इस मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं।

पुलिस ने बताया कि सहायिका के दोस्त से लगातार 15 घंटे से ज्यादा पूछताछ की है, लेकिन युवक अभी तक टूटा नहीं हैं। पूछताछ कर रही पुलिस टीम ने बताया कि आरोपी यह नहीं बता पा रहा है कि उसने अपना फोन रात भर क्यों बंद रखा था और रात को वह कहां था? और न ही युवक यह बता पा रहा है कि उसने फोन बंद करने से पहले खुशबू से क्या बता की थी? हालांकि पुलिस ने उससे पूछताछ के बाद लक्ष्मी नगर से एक युवक को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस वारदात के समय सीसीटीवी में दिखाई दे रही संदिग्ध बाइक के बारे में दोनों से पूछताछ कर रही है। लेकिन बाइक के बारे में भी दोनों ने कोई ठोस जानकारी नहीं दी है।

- दिल्ली पुलिस की 10 टीमें कर रही है मामले की छानबीन
- अभी तक 25-30 लोगों से हो चुकी है इस मामले में पूछताछ

पांच बार किया था खुशबू को फोन

वारदात वाले दिन खुशबू के दोस्त ने अपना फोन 8:30 बजे नोएडा में बंद किया था। फोन बंद करने से पहले करीब 30 मिनट में 5 बार उसकी खुशबू से बात हुई थी। रात करीब 1:30 बजे दोनों बुजुर्ग शशि माथुर ओर विष्णु माथुर के फोन उनके घर में ही बंद हुए। दोनों बुजुर्गों के फोन बंद होने के 20 मिनट बाद खुशबू का फोन 1:50 पर बंद हुआ। ऐसे में पुलिस यह मान कर चल रही है कि हत्यारों ने पहले बुजुर्गों की हत्या की और बाद में खुशबू की हत्या की गई है। वारदात के बाद भी खुशबू के दोस्त का फोन बंद था, जो रविवार सुबह 11 बजे के बाद खुला।

मोबाइल कंपनी से मांगी सक्रिय नंबरों की जानकारी

फिलहाल पुलिस की एक टीम डंप डाटा के आधार पर इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों के बारे में सुराग जुटा रही है। पुलिस ने घटना के पहले और बाद के उन सभी मोबाइल नंबरों की जानकारी मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों से मंगवाई है, जो इलाके में सक्रिय थे। इसके साथ ही पुलिस इलाके के आपराधिक रेकॉर्ड वाले अपराधियों की भी पड़ताल कर रही है।

खबरों में शहर

कायस्थ महासभा में डिजीटल प्रसार पर जोर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जून।

अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक सोमवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित की गई। शुरुआत भगवान चित्रगुप्त की स्तुति से की गई। इस मौके पर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोधकांत सहाय ने कहा कि महासभा बिल्कुल सही दिशा, सही गति के साथ अग्रसर है। सहाय ने कहा कि महासभा के विस्तार के लिए क्षेत्रवार जिम्मेदारी देने के लिए कुछ उपसमितियों के गठन की जरूरत है। उन्होंने हर प्रदेश को सदस्यता अभियान के लिए संपर्क डिजीटल माध्यम के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे हम विश्व में फैले कायस्थ परिवार के लोगों को महासभा से जोड़ सकते हैं। इसी क्रम में समाज के व्यवसायियों के लिए चित्रांश चैंबर ऑफ कॉमर्स का गठन, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के सहयोग हेतु चित्रांश को-ऑपरेटिव बैंक की स्थापना, कायस्थों की शैक्षणिक संस्था 'कायस्थ पाठशाला' का विस्तार, ट्रस्ट की देश भर में अपनी फ्रेंचाइजी देने और ट्रस्ट के चेयरमैन महासभा को पदेन संरक्षक बनाने पर बल दिया गया।

रक्तदान समाज के लिए सर्वोपरि : गर्ग

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 24 जून।

सेक्टर- 31 स्थित रक्तदाता सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री अतुल गर्ग ने कहा कि रक्तदान को समाज के लिए सर्वोपरि है। यह विभाग मेरे अधीन है, गुणवत्ता का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। आयोजन रविवार शाम सेक्टर-31 स्थित ब्लड बैंक परिसर आइएमए हाउस में हुआ। अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉ महेश शर्मा ने की। अतिथियों में उत्तर प्रदेश गन्ना संस्थान अध्यक्ष नवाब सिंह नागर, उत्तर प्रदेश महिला आयोग अध्यक्ष विमला बाथम मौजूद रहे।

लैंड पूलिंग नीति में बदलाव की मांग की

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जून।

स्वराज इंडिया ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की लैंड पूलिंग नीति में बदलाव की मांग की है। स्वराज इंडिया दिल्ली देहात मोर्चा के अध्यक्ष राजीव यादव के अनुसार नीति पर डीडीए असफल साबित हुई है।

आज के कार्यक्रम

सभा/संगोष्ठी

सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री और द एसोसिएटेड चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया : ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड बेस्ट प्रेक्टिसेज फॉर होमलैंड सिक्योरिटी पर आपसी समझौता। बोर्ड रूम, एसोचैम हाउस, 5, सरदार पटेल मार्ग, चाणक्यापुरी, सुबह 10:30 बजे।

मरम्मत लालकिले में हो रहे पुनरुद्धार को देखते पर्यटक।

बाइक बोट कंपनी की तर्ज पर बाइक फॉर यू का फर्जीवाड़ा

36 करोड़ ठगने वाले कंपनी के एमडी समेत तीन गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 24 जून।

हजारों करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा करने वाली बाइक बोट इलाके में अकेला नाम नहीं है। बाइक बोट के घपले से आइडिया लेकर एक अन्य कंपनी बाइक फॉर यू ने छह हजार से अधिक लोगों से कई करोड़ रुपए की ठगी की है। पीड़ितों की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने सोमवार सुबह कंपनी के प्रबंध निदेशक समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

बाइक फॉर यू कंपनी को एक एमबीए छात्र ने शुरू किया था। उसने एक घोषित अपराधी (हिस्ट्रीशीटर बदमाश) को कंपनी का एमडी बनाया, ताकि लोगों के विरोध करने पर वह निपट सके। जनवरी, 2019 में बाइक बोट के फर्जीवाड़े का मामला दर्ज होने के दो महीने बाद यह कंपनी भी रातोंरात फरार हो गई। तब से इसके निवेशक परेशान चल रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी बबलू यादव, रोहित चौहान और जीवन हैं। एसएसपी वैभव कृष्ण के मुताबिक, एटा का रहने वाला बबलू बाइक फॉर यू कंपनी का एमडी है। वह एटा जिले का घोषित अपराधी है। सरगना उत्तराखंड के रुड़की का रोहित चौहान है। रोहित ने दिल्ली से एमबीए किया है। बाइक बोट कंपनी के शुरू होने के बाद रोहित ने उसी की तर्ज पर बाइक फॉर यू कंपनी बनाने की योजना बनाई थी। जिसके लिए करीब 10 महीने पहले नोएडा के सेक्टर- 63 में किराए पर ऑफिस लिया था। कंपनी में रोहित और जीवन, निदेशक के पद पर थे। कंपनी में कई अन्य निदेशकों का भी पता चला है, जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों से जालसाजी की रकम से खरीदी गई तीन मंहगी कार और बाइक फॉर यू के नाम से ली गई आठ मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

- छह महीने में छह हजार लोगों को जोड़कर 36 करोड़ रुपए से अधिक का फर्जीवाड़ा
- सरगना युवक एमबीए किए है और एटा के घोषित अपराधी को बनाया एमडी

इस खेल में बाइक फॉर यू ने मोटरसाइकिल टैक्सी खरीदने के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति से 60250 रुपए लिए थे। जिसकी एवज में एक साल तक हर महीने प्रति व्यक्ति नौ से दस हजार रुपए मिलने का लालच दिया था। मामले को लेकर 17 अप्रैल को ही काफी संख्या में पीड़ित सेक्टर- 63 स्थित कंपनी के ऑफिस पहुंचे थे, जहां ताला लटका मिला था। वहीं बोर्ड पर लिखा था कि कंपनी ऑफिस खाली कर अन्यत्र चली गई है। यह पता चलने पर लोगों ने काफी हंगामा किया था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि अगस्त, 2018 में कंपनी को शुरू किया था।

एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में तीन को लगी गोली, दो पकड़े गए

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 24 जून।

आइटीबीपी गोल चक्कर के पास सोमवार को एक पेट्रोल पंप प्रबंधक की हत्या कर लूट की योजना बना रहे मिर्ची गिरोह के बदमाशों और एसटीएफ नोएडा के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से कार में सवार तीन बदमाश घायल हो गए। जबकि दो को एसटीएफ ने दबोच लिया। बदमाशों की गोली से एसटीएफ का एक सिपाही भी घायल हो गया। घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पेट्रोल पंप प्रबंधक की हत्या कर लूट की योजना को नाकाम करने का दावा किया है। बताया गया है कि गिरोह गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सक्रिय है। डीएसपी एसटीएफ राजकुमार मिश्र ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि मिर्ची गैंग के कुछ बदमाश थाना बीटा-टू इलाके में आइटीबीपी गोल चक्कर के पास स्थित एक पेट्रोल पंप को लूटने आ रहे हैं। बदमाशों की योजना पेट्रोप पंप प्रबंधक की हत्या करने की भी है। सूचना पर एसटीएफ ने बदमाशों के बारे में जानकारी एकत्र की। निशानदेही के आधार पर एसटीएफ ने सोमवार दोपहर आइटीबीपी गोल चक्कर के पास कार सवार बदमाशों की घेराबंदी की तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। घायल बदमाशों की पहचान सन्नी उर्फ डमरू, राहुल सिंह व उमेश गुप्ता के रूप में हुई है। दो अन्य के नाम सुरेश सिंह और पारस हैं। मुठभेड़ में सिपाही सचिन को भी गोली लगी है।

राष्ट्रीय खिलाड़ी पर गोली चलाने वाला पकड़ा गया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जून।

अपराध शाखा ने रणहोला में राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी पर जानलेवा हमला करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मोनू उर्फ आकाश नामक 23 साल के इस युवक ने आपसी रंजिश में अपने पांच साथियों के साथ मिलकर एक जून को खिलाड़ी पर गोली चलाई थी। इस वारदात में दो लोग गोली लगने से घायल हो गए थे। पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार कर उसके पास से देसी पिस्तौल, चार कारतूस बरामद करने का दावा किया है। इलाके में जसमीत उर्फ जिम्मी और सूरज फाइटर गिरोह के बीच वर्चस्व की लड़ाई में ही यह गोलीबारी हुई थी। गिरफ्तार आरोपी अपने आप को टिकटॉक सेलेब्रिटी कहता है। उसकी गिरफ्तारी भी इसी एप के वीडियो और वाट्सएप से हुई है। अपराध शाखा के अधिकारी के मुताबिक गिरफ्तार मोनू विकासपुरी के बुंदेला गांव में रहता है। तीन साल पहले वह हुक्का बार चलाता था। इसी दौरान उसने टिकटॉक वीडियो देखा और फिर इलाके में सेलेब्रिटी के रूप में खुद को रौब जमाने लगा। एक साल पहले वह हुक्का बार से अलग होकर सट्टेबाजी शुरू कर दी।

पिता का बदला बच्ची से लिया, बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जून।

नरेला में एक युवक ने अपना बदला लेने के लिए सात साल की बच्ची को निशाना बनाया। आरोप है कि उसने बच्ची से बलात्कार किया और फिर हत्या कर शव को फेंक दिया। उसने पुलिस को बताया कि ऐसा उसने बच्ची के पिता से बदला लेने के लिए किया था। बच्ची के पिता के आरोपी की बहन से अवैध संबंध थे जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, 15 जून को पुलिस को सूचना मिली थी कि नरेला औद्योगिक इलाके के टिकड़ी खुर्द स्वर्ण जयंती विहार से सात साल की एक बच्ची गायब हो गई है। पुलिस ने आसपास के पार्क, खाली जगह और नाले में बच्ची की तलाश शुरू की। तलाश के लिए स्थानीय मस्जिद से भी उद्घोषणा कराई गई और ई-रिक्शा पर ढोल बजाकर भी स्थानीय लोगों से मदद मांगी गई। 16 जून को बच्ची का शव स्वर्ण जयंती विहार के पास एक जल शोधन संयंत्र में मिला। पुलिस को जांच में पता चला कि वारदात से पहले एक युवक को बच्ची के घर के पास देखा गया था। युवक की पहचान इमरान उर्फ इमान के रूप में हुई। वह बच्ची का पड़ोसी निकला। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में इमरान ने बतया कि उसकी बहन के साथ बच्ची के पिता के अवैध संबंध हैं। एक बार उसने दोनों को रंगेहाथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसी का बदला लेने के लिए उसने उसकी सात साल की बेटी से बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी।

कानपुर से दिल्ली आई युवती से बलात्कार, दो गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 24 जून।

कानपुर की रहने वाली एक युवती अपने परिवारवालों से नाराज होकर दिल्ली आई और दो युवकों के चंगुल में फंस गई। यहां अमर कॉलोनी में दो भाईयों ने युवती के साथ चार दिन तक बलात्कार किया। पुलिस ने बलात्कार के आरोप में दोनों भाईयों को रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बलात्कार करने वाले आरोपियों की पहचान शतरुंध और भरत के रूप में हुई है।

आरोपियों की मां लाजपत नगर में एक चाय की दुकान पर काम करती है। आरोप है कि ये दोनों भाई इसी दुकान पर आई युवती को अपने साथ घर ले गए और फिर बंधक बनाकर बलात्कार किया। पीड़ित 22 साल की युवती ने पुलिस में दी शिकायत में कहा है कि वह 16 जून को अपने परिवारवालों से नाराज होकर कानपुर से दिल्ली आई थी। एक दिन निजामुद्दीन स्टेशन पर रुकने के बाद अगले दिन 18 जून को युवती काम की तलाश में लाजपत नगर पहुंची। वहां वह एक चाय की दुकान पर बैठी थी। चाय की दुकान पर एक महिला से युवती की बातचीत होने लगी। इसी दौरान महिला ने युवती को काम दिलाने का वादा किया। युवती उसके झांसे में आ गई। इसके बाद रात को महिला के दो बेटे दुकान पर आए और पीड़ित युवती को अपने साथ घर ले गए। आरोप है कि रात में दोनों भाईयों ने पीड़िता के साथ बारी-बारी से बलात्कार किया। इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित महिला को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया।

ओखला पक्षी विहार की कायापलट की योजना नाकाम

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 24 जून।

पिछले साल अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के मौके पर ओखला पक्षी विहार की 80 करोड़ रुपए से कायापलट करने की महत्त्वाकांक्षी केंद्रीय योजना नाकाम हो गई है। पशु-पक्षियों और हरियाली के लिहाज से बनी यह योजना प्रशासनिक और शासकीय बेरुखी का शिकार हो गई है। शुरुआती स्तर पर 80 करोड़ रुपए की योजना अब सिमट कर महज 9.55 करोड़ रुपए की रह गई है।

इस रकम में भी एक करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है जबकि 66 लाख रुपए विकास के लिए नोएडा प्राधिकरण को खर्च करने हैं। इससे पक्षी विहार की चारदीवारी और प्रकाश की व्यवस्था की जानी है। करीब पांच हजार बीघा क्षेत्रफल में यमुना किनारे स्थित पक्षी विहार को विकसित कर विश्वस्तरीय पक्षी पर्यटन स्थल बनाने की योजना कागजों तक ही सीमित रह गई है।

2018 में इसके विकास की तीन बार रूपरेखा बनाई गई। इसके आधार पर चार साल में इसे पूरी तरह विकसित करने की योजना तय की गई थी। चारदीवारी के अलावा वॉच टॉवर, भव्य प्रवेश द्वार, व्याखान केंद्र, प्राकृतिक वास, अंदर की सड़कें, कैफेटेरिया, झील का सौंदर्यीकरण आदि शामिल था। वन दिवस पर पक्षी विहार की कायापलट करने के लिए 80 करोड़ रुपए की केंद्रीय योजना का शिलान्यास हुआ था। तब दावा किया गया था कि दिल्ली और आसपास आने वाले पर्यटकों को पक्षी विहार आकर्षित करेगा। साथ ही पक्षी विहार को फिल्म उद्योग के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने की भी जरूरत बताई गई थी। विशेष प्रकार का योग एवं ध्यान केंद्र बनाने के अलावा पर्यटकों के लिए साइकिल ट्रैक बनाने की भी योजना थी। इनका आकलन कर करीब 80 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तय किया गया था। हालांकि लंबे समय तक धन मंजूर नहीं होने पर योजना का दो तरह से बजट तैयार कराया गया। पहला 14 करोड़ रुपए और दूसरा 56 करोड़ रुपए की लागत था लेकिन बाद में केवल 9.55 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर वन मंत्रालय को भेज दिया गया था। जिला वनाधिकारी पी. के. श्रीवास्तव के मुताबिक बजट के सापेक्ष एक करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। इस रकम से कराए जाने वाले कार्यों की सूची बनी हुई है।

SKP SECURITIES LIMITED

CIN: L74140WB1990PLC049032

Registered Office: Chatterjee International Centre, Level 21, 33A, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata - 700 071

Phone: +91 033 4007 7000; **Fax:** +91 033 4007 7007; **Website:** www.skpsecurities.com; **Email:** cs@skpsecurities.com; **Company Secretary and Compliance Officer:** Alka Khetawat

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF SKP SECURITIES LIMITED FOR THE BUYBACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER ROUTE UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED.

This Public Announcement ("**PA**") is being made pursuant to the provisions of Regulation 7(i) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, for the time being in force and includes any statutory modifications and amendments from time to time (the "**Buyback Regulations**") and contains the disclosures as specified in Schedule II read with Schedule I of the Buyback Regulations.

CASH OFFER FOR BUYBACK OF UPTO 9,95,000 (NINE LAKHS NINETY FIVE THOUSAND) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- (RUPEES TEN ONLY) EACH AT A PRICE OF RS. 70/- (RUPEES SEVENTY ONLY) PER FULLY PAID UP EQUITY SHARE ON A PROPORTIONATE BASIS THROUGH TENDER OFFER ROUTE.

1. DETAILS OF THE BUYBACK OFFER AND OFFER PRICE

1.1 The Board of Directors ("**Board**") of SKP Securities Limited (the "**Company**"), which expression shall include any committee constituted and authorized by the Board to exercise its powers, including the powers conferred by the resolution at its meeting held on Saturday, April 27, 2019 ("**Board Meeting**") where in the Board has, subject to the approval of the members of the Company by way of Special Resolution through Postal Ballot/e- voting pursuant to the provisions of Article 41 of the Articles of Association of the Company , Section 68, 69, 70, 110 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 as amended (the "**Companies Act**") read with the Companies (Share Capital and Debentures Rules), 2014 (the "**Share Capital Rules**"), the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("**Management and Administration Rules**") to the extent applicable, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("**SEBI Listing Regulations**"), the Buyback Regulations read with Securities and Exchange Board of India circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 as amended by way of SEBI circular no. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 (the "**SEBI Circulars**") and subject to such approvals of statutory, regulatory orgovernmental authorities or Stock Exchange of which the Company is Registered as a Member & approval of Depositories of which the Company is a Depository Participant as may be required under applicable laws, approved the buyback of upto 9,95,000 fully paid up equity shares of face value of Rs. 10/- each ("**Equity Shares**") on a proportionate basis, through the "Tender Offer", the tendering and the settlement of the same shall be facilitated through Stock Exchange mechanism in accordance with the provisions of the Buyback Regulations, at a price of Rs. 70/- (Rupees Seventy Only) per Equity Share (the "**Buyback Offer Price**") payable in cash, for an aggregate amount not exceeding Rs. 6,96,50,000/- (Rupees Six Crores Ninety Six Lakhs Fifty Thousand Only) ("**Buyback Offer Size**") excluding Company's expenses incurred or to be incurred for the Buyback like filing fees payable to the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), advisors/legal fees, PA publication expenses, printing and dispatch expenses and other incidental and related expenses, transaction costs such as brokerage, securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty etc.) ("**Transaction Costs**") being 24.99% and 24.96% of the fully paid up equity share capital and free reserve as per latest Audited Standalone and Consolidated Audited Financials for the year ended 31st March, 2019 respectively (which is within the limit of 25% of the fully paid up equity share capital and free reserves of the Company as per latest Audited Financials) from all the equity shareholders/beneficial owners who hold equity shares as on Record Date i.e., July 05, 2019 (hereinafter referred to as "**Eligible Shareholders**").

1.2 Since the Offer Size for the Buyback is more than 10% of the total paid-up Equity Share capital and free reserves of the Company, in terms of Section 68(2)(b) of the Companies Act, the Board had sought approval of the shareholders of the Company for the Buyback, by way of a special resolution through postal ballot/e-voting.

1.3 The shareholders of the Company approved the Buyback, by requisite majority, by way of a special resolution, through postal ballot/ e-voting pursuant to a postal ballot notice dated April 27, 2019 (the "**Postal Ballot Notice**"), the results of which were announced on June 22, 2019.

1.4 The Buyback is in accordance with Article 41 of the Articles of Association of the Company, the provisions of Sections 68, 69, 70, 110 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, the Share Capital Rules and Management and Administration Rules framed thereunder and the provisions of the Buyback Regulations. The Buyback is subject to approvals, permissions and sanctions as may be necessary from regulatory authorities as required under applicable laws, including but not limited to Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), Stock Exchange of which the Company is Registered as a Member and approval of Depositories of which the Company is a Depository Participant, BSE Limited ("**BSE**"), the only stock exchange where the equity shares of the Company are listed. The Buyback would be facilitated by tendering of Equity Shares by the shareholders and settlement of the same through the stock exchange mechanism as specified in accordance with SEBI Circulars, which prescribes the mechanism for tendering and settlement of shares through stock exchange. In this regard, the Company will request BSE to provide the acquisition window. For the purpose of this Buyback, BSE would be the Designated Stock Exchange.

1.5 The Buyback Size of Rs. 6,96,50,000/- (Rupees Six Crores Ninety Six Lakhs Fifty Thousand Only) represents 24.99% and 24.96% of the fully paid up equity share capital and free reserve as per latest Audited Standalone and Consolidated Audited Financials for the year ended 31st March, 2019 respectively (which is within the limit of 25% of the fully paid up equity share capital and free reserves of the Company as per latest Audited Financials). Further, under the Companies Act, the number of equity shares that can be bought back in any financial year cannot exceed 25% of the total paid up equity share capital of the Company in that financial year. Since the Company proposes to Buyback up to 9,95,000 (Nine Lakhs Ninety Five Thousand) equity shares representing 22.62% of the total number of shares in the paid-up equity capital of the Company as at March 31, 2019, the same is within the aforesaid 25% limit.

1.6 The Equity Shares of the Company are proposed to be bought back at a price of Rs. 70/- (Rupees Seventy only) per Equity Share ("**Buyback Offer Price**"). The Buyback Offer Price has been arrived at after considering various factors including, but not limited to the trends in the volume weighted average prices of the Equity Shares on the BSE where the Equity Shares are traded, the net worth of the Company, price earnings ratio, impact on other financial parameters and the possible impact of Buyback on the earnings per Equity Share.

1.7 The Buyback shall be on a proportionate basis from all the Shareholders of the Company through the "**Tender Offer**" route as prescribed under Regulation 4(iv)(a) of the Buyback Regulations. Please refer to Paragraph 12 below for details regarding Record Date and shareholder's entitlement for tender in the Buyback.

1.8 The participation in the Buyback by Eligible Shareholders may trigger capital gains taxation in India and/or in their country of residence. The transaction of Buyback would also be chargeable to securities transaction tax in India. In due course, the Eligible Shareholders will receive a letter of offer, which will contain a detailed note on taxation. However, in view of the particularized nature of tax consequences, the Eligible Shareholders are advised to consult their own legal, financial, accounting and tax advisors prior to participating in the Buyback.

1.9 A Copy of the Public Announcement is available on the Company's website (**www.skpsecurities.com**) and is expected to be available on the website of SEBI (**www.sebi.gov.in**) and on the website of the stock exchange (**www.bseindia.com**).

2. NECESSITY FOR THE BUYBACK

2.1 Share buyback is the acquisition by a company of its own shares. The Board is of the view that the proposed Buyback will help the Company achieve the following objectives (a) Optimize returns to shareholders; (b) Enhance overall shareholders value and (c) Optimizes the capital structure. The above objectives will be achieved by returning part of surplus cash back to shareholders through the Buyback process. This may lead to reduction in outstanding Equity Shares, improvement in earnings per Equity Share and enhanced return on invested capital. The Buyback will not in any manner impair the ability of the Company to pursue growth opportunities or meet its cash requirements for business operations. The Board at its meeting held on April 27, 2019, considered the accumulated free reserves as well as the cash liquidity reflected in the latest audited financial statement as on 31st March 2019 and considering these, the Board decided to allocate a sum of Rs. 6,96,50,000/- (Rupees Six Crores Ninety Six Lakhs Fifty Thousand Only) (excluding Transaction Cost) for distributing to the shareholders holding Equity Shares of the Company through the Buyback.

2.2 After considering several factors and benefits to the shareholders holding Equity Shares of the Company, the Board decided to recommend Buyback at a price of Rs.70/- (Rupees Seventy only) per Equity Share for an aggregate consideration of Rs. 6,96,50,000/- (Rupees Six Crores Ninety Six Lakhs Fifty Thousand Only). Buyback is being undertaken, inter-alia, for the following reasons:
(i) The Buyback will help the Company to return surplus cash to its shareholders holding Equity Shares broadly in proportion to their shareholding, thereby enhancing the overall return to shareholders;
(ii) The Buyback, which is being implemented through the tender offer route as prescribed under the SEBI Buyback Regulations, would involve allocation of number of shares as per their entitlement or 15% of the number of shares to be bought back whichever is higher, reserved for the small shareholders. The Company believes that this reservation for small shareholders would benefit a large number of public shareholders, who would get classified as "small shareholder" as per Regulation 2(i)(n) of the SEBI Buyback Regulations;
(iii) The Buyback may help in improving return on equity, by reduction in the equity base, thereby leading to long term increase in shareholders' value;
(iv) The Buyback gives an option to the Shareholders holding Equity Shares of the Company, who can choose to participate and get cash in lieu of Equity Shares to be accepted under the Buyback offer or they may choose not to participate and enjoy a resultant increase in their percentage shareholding, post the Buyback offer, without additional investment.

3. MAXIMUM AMOUNT REQUIRED UNDER THE BUYBACK, ITS PERCENTAGE OF THE TOTAL PAID UP EQUITY CAPITAL AND FREE RESERVES AND THE SOURCES OF FUNDS FROM WHICH THE BUYBACK WOULD BE FINANCED

Pursuant to Section 68 (2)(c) of the Companies Act and Regulation 4(i) of Buyback Regulations, a Company can Buyback 25% or less of the aggregate paid up equity share capital and free reserves as per the last audited financials. The proposed Buyback of Rs. 6,96,50,000/- (Rupees Six Crores Ninety Six Lakhs Fifty Thousand Only) represents 24.99% and 24.96% of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per the Standalone and Consolidated Audited Financials of the Company for the financial year ended March 31, 2019 respectively (which is within the limit of 25% of the fully paid up equity share capital and free reserves of the Company as per latest Audited Financials). The Buyback would be financed out of free reserves of the Company (including securities premium account) or such other source as may be permitted by the SEBI Buyback Regulations or the Companies Act. The Company shall transfer from its free reserves a sum equal to the nominal value of the equity shares bought back through the Buyback to the Capital Redemption Reserve Account and the details of such transfer shall be disclosed in its subsequent Audited Financial Statements.

4. BUYBACK PRICE AND THE BASIS OF ARRIVING AT THE BUYBACK PRICE

The Equity Shares of the Company are proposed to be bought back at a price of Rs. 70/- (Rupees Seventy only) per Equity Share ("**Buyback Offer Price**"). The Buyback Offer Price has been arrived at after considering various factors including, but not limited to the trends in the volume weighted average prices of the Equity Shares on the BSE Limited ("**BSE**") where the Equity Shares are traded, the net worth of the Company, price earnings ratio, impact on other financial parameters and the possible impact of Buyback on the earnings per Equity Share.

The Buyback Offer Price represents:
(i) Premium of 42.97% over the volume weighted average market price of the Equity Shares on BSE, during the three months preceding the date of intimation to the BSE for the Board Meeting to consider the proposal of the Buyback.
(ii) Premium of 16.59% over the volume weighted average market price of the Equity Shares on BSE, for two weeks preceding the date of intimation to the BSE for the Board Meeting to consider the proposal of the Buyback.
(iii) Premium of 8.70% over the closing price of the Equity shares on the BSE as on one day prior the date of intimation of Buyback.
(iv) Premium of 14.38% over the closing price of the Equity shares on the BSE as on the day of intimation of Buyback.

The Company confirms that as required under Section 68(2)(d) of the Companies Act, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company will be not more than twice the paid-up Equity capital and free reserves after the Buyback.

5. MAXIMUM NUMBER OF EQUITY SHARES THAT THE COMPANY PROPOSES TO BUYBACK

The Company proposes to buyback 9,95,000 fully paid up Equity Shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each, representing 22.62% of the total number of equity shares in the total paid-up equity capital of the Company.

6. METHOD TO BE ADOPTED FOR BUYBACK

The equity shares shall be purchased through buyback by the Company using 'Tender Offer' route as prescribed under "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 and circular no. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016 following the procedure prescribed in the Companies Act and the Buyback Regulations and as may be determined by the Board (including the committee authorized to complete the formalities of the Buyback) and on such terms and conditions as may be permitted by law from time to time.

7. DETAILS OF PROMOTERS SHAREHOLDING AND INTENTION TO PARTICIPATE IN THE BUYBACK

7.1 The aggregate shareholding of the Promoters and Promoter Group of the Company and the persons who are in control of the Company, as on the date of the notice of the postal ballot i.e., 27th April, 2019 is given below:

Sr. No.	Name	No. of Equity Shares	% of Shareholding
1.	Naresh Pachisia	22,89,000	52.03
2.	Naresh Pachisia & Sons (HUF)	3,80,000	8.64
3.	Manju Pachisia	3,00,000	6.82
4.	Nikunj Pachisia	1,65,000	3.75
5.	Vaibhav Pachisia	1,65,000	3.75
	Total	**32,99,000**	**74.99**

7.2 Shareholding of Directors of the Promoter Group Companies is given below:

Sr. No.	Name and detail of company in which directorship is held	No. of Equity shares	% of Shareholding
	Not Applicable		

7.3 The aggregate shareholding of Directors and Key Managerial Personnel of the Company as on date of notice of postal ballot i.e., 27th April, 2019:

DIN/PAN	Name	Designation	No. of Equity Shares	% of Shareholding
00233768	Naresh Pachisia	Managing Director	22,89,000	52.03
00233821	Manju Pachisia	Non Executive Non Independent Director	3,00,000	6.82
06933720	Nikunj Pachisia	Whole Time Director	1,65,000	3.75
AKLPS0016P	Anil Shukla	Chief Financial Officer	-	-
DXHPK8817E	Alka Khetawat	Company Secretary	-	-
TOTAL			**27,54,000**	**62.60**

7.4 No Equity Shares or other specified securities in the Company were either purchased or sold (either through the stock exchange or off market transactions) by any of the (i) promoters; (ii) members of the promoter group and of persons who are in control of the Company during a period of six months preceding the date of the Public Annoucement.

7.5 **Intention of the Promoters and Persons in Control of the Company to tender Equity shares in the Buyback**

In terms of the Buyback Regulations, under the tender offer route, the Promoter and Promoter Group have an option to participate in the Buyback. In this regard, the promoter and promoter group have expressed their intention, vide their letters dated 27th April 2019 to participate in the Buyback and tender upto 32,99,000 (Thirty Two Lakhs Ninety Nine Thousand) equity shares.

The maximum number of Equity Shares to be tendered by each of the Promoter and Promoter Group are as under:

Sr. No.	Name of the Promoter and Promoter Group entity	Maximum number of Equity Shares intended to be offered
1	Naresh Pachisia	22,89,000
2	Naresh Pachisia & Sons (HUF)	3,80,000
3	Manju Pachisia	3,00,000
4	Nikunj Pachisia	1,65,000
5	Vaibhav Pachisia	1,65,000
	Total	**32,99,000**

The Buyback will not result in any benefit to Promoter and Promoter Group or any Directors of the Company except to the extent of the cash consideration received by them from the Company pursuant to their respective participation in the Buyback in their capacity as equity shareholders of the Company, and the change in their shareholding as per the response received in the Buyback, as a result of the extinguishment of Equity Shares which will lead to reduction in the equity share capital of the Company post Buyback.

The details of the date and price of acquisition/sale of Equity Shares that Promoters / Promoter's Group intent to tender are set-out below:

i. Naresh Pachisia

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (Rs.)	Issue/Acquisition/Sale/Price per equity shares (Rs.)
Opening Balance as on 01/04/2010	-	1,003,850	10	-
31/12/2012	Partition of Surendra Kr Pachisia & Sons (HUF)	542,850	10	-
25/05/2013	Gift from Mrs Suraj Devi Pachisia	100,000	10	-
08/08/2014	Purchase	1,438,300	10	22.22
26/08/2014	Gift to Vaibhav Pachisia	(220,000)	10	-
12/09/2017	Buyback	(567,270)	10	51.00
11/12/2017	Offer for sale (OFS)	(8,730)	10	70.00
Closing Balance as on 27.04.2019	-	2,289,000	10	-

ii. Nikunj Pachisia

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (Rs.)	Issue/Acquisition/Sale/Price per equity shares (Rs.)
Opening Balance as on 01/04/2010	-	50,850	10	-
08/08/2014	Purchase	154,250	10	22.20
12/08/2014	Purchase	14,900	10	22.13
12/09/2017	Buyback	(53,176)	10	51.00
11/12/2017	Offer for sale (OFS)	(1,824)	10	70.00
Closing Balance as on 27.04.2019	-	165,000	10	-

iii. Manju Pachsia

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (Rs.)	Issue/Acquisition/Sale/Price per equity shares (Rs.)
Opening Balance as on 01/04/2010	-	200,000	10	-
08/08/2014	Purchase	200,000	10	22.22
12/09/2017	Buyback	(96,684)	10	51.00
11/12/2017	Offer for sale (OFS)	(3,316)	10	70.00
Closing Balance as on 27.04.2019	-	300,000	10	-

iv. Naresh Pachisia & Sons (HUF)

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (Rs.)	Issue/Acquisition/Sale/Price per equity shares (Rs.)
Opening Balance as on 01/04/2010	-	207,300	10	-
11/08/2014	Purchase	85,850	10	24.33
12/08/2014	Purchase	211,550	10	22.23
12/09/2017	Buyback	(121,989)	10	51.00
11/12/2017	Offer for sale (OFS)	(2,711)	10	70.00
Closing Balance as on 27.04.2019	-	380,000	10	-

v. Vaibhav Pachisia

Date of Transaction	Nature of Transaction	No. of Equity Shares	Face Value (Rs.)	Issue/Acquisition/Sale/Price per equity shares (Rs.)
Opening Balance as on 01/04/2010	-	-	-	-
26/08/2014	Gift from Naresh Pachisia	220,000	10	-
12/09/2017	Buyback	(53,176)	10	(51.00)
11/12/2017	Offer for sale (OFS)	(1,824)	10	(70.00)
Closing Balance as on 27.04.2019	-	165,000	10	-

7.6 **Confirmation from Company as per the provisions of Buyback Regulations and Companies Act**
(i) The Company confirms that there are no defaults subsisting in repayment of deposits, redemption of debentures or interest thereon or redemption of preference shares or payment of dividend due to any shareholder, or repayment of any term loans or interest payable thereon to any financial institution or banking company;
(ii) Company shall not issue any equity shares or other securities (including by way of bonus, or convert any outstanding ESOPs/outstanding instruments into equity shares) from the date of resolution passed by the shareholders approving the proposed Buyback till the date of expiry of the Buyback period;
(iii) The Company shall not raise further capital for a period of one year from the date of expiry of the Buyback period, except in discharge of subsisting obligations such as conversion of warrants, stock option schemes, sweat equity or conversion of preference shares or debentures into Equity Shares;
(iv) The Company shall not withdraw the Buyback after the draft letter of offer is filed with SEBI or the public announcement of the offer to buyback is made;
(v) The Company shall not buyback locked-in shares and non-transferable shares or other specified securities till the pendency of the lock-in or till the shares or other specified securities become transferable;
(vi) The equity shares bought back by the Company will be compulsorily cancelled and will not be held for re-issuance;
(vii) The Company shall transfer from its free reserves or securities premium account, a sum equal to the nominal value of the equity shares bought back through the Buyback to the Capital Redemption Reserve account;
(viii) The Company shall not buyback its Equity Shares from any person through negotiated deals whether on or off the Stock Exchange or through spot transactions or through any private arrangement in the implementation of the Buyback;
(ix) The Company has been in compliance with Sections 92, 123, 127 and 129 of the Companies Act; and
(x) The ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company shall not be more than twice the paid-up Equity Share capital and free reserves after the Buyback.

8. Confirmations from the Board

The Board of Directors of the Company has made a full enquiry into the affairs and prospects of the Company and after taking into account the financial position of the Company including the projections and also considering all contingent liabilities, has formed the opinion that:
i) That immediately following the date of the Board Meeting held on Saturday, 27th April 2019, and the date on which the results of the Postal Ballot will be declared, there will be no grounds on which the Company could be found unable to pay its debts;
ii) That as regards the Company's prospects for the year immediately following the date of the board meeting as well as the year immediately following the date on which the results of the Postal Ballot including e-voting will be declared, approving the Buyback and having regards to the Board's intentions with respect to the management of the Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources, which will, in the Board's view, be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the board meeting approving the Buyback as well as the year within a period of one year from the date on which the results of the Postal Ballot will be declared.
iii) That in forming the opinion aforesaid, the Board has taken into account the liabilities as if the Company were being wound up under the provisions of the Companies Act and the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, as amended (including prospective and contingent liabilities).

9. Report addressed to the Board of Directors by the Company's Auditor on the permissible capital payment and the opinion formed by directors regarding insolvency

The text of the Report dated 27 April 2019, received from G. P. Agrawal & Co., Chartered Accountants, the Statutory Auditor's of the Company, addressed to the Board of Directors of the Company is reproduced below:

QUOTE

To, **The Board of Directors**
SKP Securities Limited, Chatterjee International Centre, Level 21, 33A, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata - 700 071

1. This report is issued in accordance with the terms of engagement letter dated April 25, 2019 with SKP Securities Limited (hereinafter the 'Company').
2. The management of the Company has prepared the accompanying Annexure A - Statement of permissible capital payment as on 31 March 2019 ('the Statement') pursuant to the proposed buy-back of equity shares approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held on 27 April 2019, in accordance with the provisions of sections 68, 69, 70 and 110 of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 ('SEBI Buy-back Regulations). The Statement contains the computation of amount of permissible capital payment towards buy-back of equity shares in accordance with the requirements of section 68(2)(c) of the Act, Regulation 4(i) of the SEBI Buy-back Regulations and based on the latest audited standalone and consolidated financial statements for the year ended 31 March 2019. We have initialed the Statement for the identification purposes only.

Board of Directors' Responsibility for the Statement

3. The preparation of the Statement in accordance with the requirements of section 68(2)(c) of the Act and ensuring compliance with the SEBI Buy-back Regulations, is the responsibility of the management of the Company, including the preparation and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Statement and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances
4. The Board of Directors is also responsible to make a full inquiry into the affairs and prospects of the Company and to form an opinion on reasonable grounds that the Company will be able to pay its debts from the date of Board meeting or date of declaration of results of the postal ballot for special resolution by the shareholders at which the proposal for buy-back is approved; and will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the Board meeting at which the proposal for buy-back was approved by the Board of Directors of the Company and the date on which the results of the shareholders' resolution with regard to the proposed buy-back will be declared, and in forming the opinion, it has taken into account the liabilities (including prospective and contingent liabilities) as if the Company were being wound up under the provisions of the Act or the Insolvency and Bankruptcy Code 2016.

Auditor's Responsibility

5. Pursuant to the requirements of the SEBI Buy-back Regulations, it is our responsibility to provide reasonable assurance on whether:
(i) the amount of capital payment for the Buy-back is within the permissible limit and computed in accordance with the provisions of Section 68 of the Act.
(ii) Whether the Board of Directors has formed the opinion, as specified in Clause (x) of Schedule I to the SEBI Buy-back Regulations, on reasonable grounds that the Company having regard to its state of affairs will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of passing the Board meeting resolution and from date on which the results of the shareholders' resolutions with regard to the proposed Buy-back are declared.
(iii) Whether we are aware of anything to indicate that the opinion expressed by the Directors in the declaration as to any of the matters mentioned in the declaration is unreasonable in circumstances as at the date of the declaration.
6. The financial statements referred to in paragraph 9 below, have been audited by us, on which we issued an unmodified audit opinion vide our report dated 27 April, 2019. Our audits of these financial statements were conducted in accordance with the Standards on Auditing, as specified under Section 143(10) of the Act and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.
7. We conducted our examination of the Statement in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
8. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.
9. A reasonable assurance engagement involves performing procedures to obtain sufficient appropriate evidence on the matters mentioned in paragraph 5 above. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks associated with the matters mentioned in paragraph 5 above. We have performed the following procedures in relation to the matters mentioned in paragraph 5 above:
(i) Enquired into the state of affairs of the Company in relation to its audited standalone and consolidated financial statements for the year ended March 31, 2019;
(ii) Examined authorization for Buy-back from the Articles of Association of the Company;
(iii) Examined that the amount of capital payment for the Buy-back as detailed in Annexure A is within the permissible limit computed in accordance with section 68(2)(c) of the Act;
(iv) Examined that the ratio of debt owned by the Company, if any, is not more than twice the capital and its free reserve after such Buyback;
(v) Examined that all shares for Buy-back are fully paid-up;
(vi) Examined resolutions passed in the meetings of the Board of Directors;
(vii) Examined Director's declarations for the purpose of Buy-back and solvency of the Company;
(viii) Verified the arithmetical accuracy of the Statement; and
(ix) Obtained necessary representations form the management of the Company.

Opinion

10. Based on our examination as above, and the information and explanations given to us, in our opinion,
(i) we have inquired into the state of affairs of the Company in relation to audited standalone and consolidated financial statements for the year ended 31 March 2019;
(ii) the amount of the permissible capital payment towards the proposed buy-back of equity shares as computed in the accompanying Statement, is properly determined in accordance with the requirements of section 68(2)(c) of the Act and Regulation 4(i) of the SEBI Buy-back Regulations based on the audited financial statements for the year ended 31 March 2019; and
(iii) the Board of Directors, in their meeting held on April 27, 2019, have formed the opinion, as specified in clause (x) of Schedule I of the SEBI Buy-back Regulations, on reasonable grounds, that the Company, having regard to its state of affairs, will not be rendered insolvent within a period of one year from passing the Board meeting resolution dated April 27, 2019 and from date on which the results of the shareholders' resolutions with regard to the proposed buyback are declared and we are not aware of anything to indicate that the opinion expressed by the Directors in the declaration as to any of the matters mentioned in the declaration is unreasonable in circumstances as at the date of the declaration.

Restriction on Use

11. Our work was performed solely to assist you in meeting your responsibilities in relation to your compliance with the provisions of section 68 and other applicable provisions of the Act read with rule 17 of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 (as amended) and the SEBI Buy-back Regulations, pursuant to the proposed buy-back of equity shares. Our obligations in respect of this report are entirely separate from, and our responsibility and liability is in no way changed by, any other role we may have as auditors of the Company or otherwise. Nothing in this report, nor anything said or done in the course of or in connection with the services that are the subject of this report, will extend any duty of care we may have in our capacity as auditors of the Company.
12. This report is addressed to and provided to the Board of Directors of the Company pursuant to the requirements of the Act and SEBI Buy-back Regulations solely to enable them to include it (a) in the explanatory statement to be included in the postal ballot notice to be circulated to the shareholders, (b) in the public announcement to be made to the Shareholders of the Company, (c) in the draft letter of offer and letter of offer to be filed with the Securities and Exchange Board of India, the stock exchange, the Registrar of Companies as required by the Act and Regulations, the National Securities Depository Limited and the Central Depository Securities (India) Limited, and should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this report for events and circumstances occurring after the date of this report.

For G. P. Agrawal & Co. - Chartered Accountants - Firm Regn. No.: 302082E
Sd/-
Place of Signature: Kolkata
Date: April 27, 2019
CA Rakesh Kumar Singh - Partner - Membership Number: 066421 - UDIN - 19066421AAAACA4444

Annexure A

Statement of Determination of the Maximum Amount of Permissible Capital Payment for Buy-back of Equity Shares in accordance with the provisions of the Act and the SEBI Buy-back Regulations (the "Statement")

Particulars as on 31 March 2019	Standalone (Rs. In lakhs)	Consolidated (Rs. In lakhs)
A) Paid-up capital as at March 31, 2019* (43,99,400 equity shares of Rs. 10/- each fully paid-up)	**439.94**	**439.94**
B) Free Reserve		
General Reserve	**127.20**	**127.20**
Securities Premium Account	**231.65**	**231.65**
Surplus in statement of Profit & Loss**	**1988.03**	**1990.98**
Total (A+B)	**2786.820**	**2789.77**
Maximum amount permissible for the Buy-back i.e. 25% of total paid-up equity capital and free reserves #	**696.70**	**697.44**
Amount approved by the Board of Directors for buy-back in the meeting held on April 27, 2019	**696.50**	
Permissible number of Equity Shares eligible for Buy-back in accordance with Section 68 (2) (b) and (c) of the Companies Act, 2013 (25% of number of paid up equity capital) (Nos.)	**9,95,000**	

* Calculation in respect to Buy-back is done on the basis of standalone and consolidated audited financial statements of the Company for the year ended March 31, 2019.
** Surplus is adjusted for other comprehensive income/(loss).
# It may be noted that as per the provisions of Section 68 (2)(c) of the Act, in respect of Buy-back of equity shares in any financial year, the reference to twenty-five percent shall be construed with respect to the total paid-up equity share capital in that financial year.

Date: 27.04.2019
Place: Kolkata

For and on behalf of the Board of Directors of SKP Securities Limited
Sd/-
Naresh Pachisia - Managing Director - DIN: 00233768

UNQUOTE

10. PROCESS AND METHODOLOGY TO BE ADOPTED FOR THE BUYBACK

10.1 As required under 9(i) of the Buyback Regulations, the Company has announced Friday, July 05, 2019 as the Record Date ("**Record Date**") for the purpose of determining the entitlement and the names of the shareholders who will be eligible to participate in the Buyback.

10.2 The Buyback Offer is open to all Shareholders holding Equity shares either in physical form ("Physical Shares") and beneficial owners holding Equity shares in dematerialized form ("Demat Shares") (hereinafter referred to as "**Eligible Shareholder(s)**"). However pursuant to the amendment in the Regulation 40(1) of SEBI Listing Regulations, the eligible shareholders holding shares in physical form are required to get their shares dematerialized before tendering their equity shares in the buyback.

10.3 The Buyback Offer will be implemented by the Company through the Stock Exchange mechanism, as provided under the Buyback Regulations read with the SEBI Circulars and the procedure prescribed in the notice issued by BSE bearing reference number 20170202-34, dated February 2, 2017 and in accordance with the procedure prescribed in the Companies Act and Buyback Regulations and as may be determined by the Board of directors (including the committee of directors) and on such terms and conditions as may be permitted by law from time to time.

10.4 The Company will not accept any equity shares offered for buyback where there exists any restraint ordered of a Court /any other competent authority for transfer/disposal/sale or where the title to the equity shares is under dispute or otherwise not clear or where any other restraint subsists.

10.5 The company shall comply with regulation 24(v) of the SEBI Buyback Regulations, which states that the company shall not buyback locked in equity shares and non- transferable equity shares till the pendency of the lock in or till the equity shares become transferable.

10.6 For the implementation of the Buyback Offer, the Company has appointed Kamal Kumar Jalan Securities Pvt. Ltd as the registered broker ("**Company's Broker**") through whom the purchases and settlements on account of the Buyback Offer would be made by the Company. The contact details of the Company's Broker are as follows:
Name of the Broker: KAMAL KUMAR JALAN SECURITIES PVT. LTD. **Contact Person:** Mr. Akhil Jalan, **Address**: R-404, Rotunda Bldg, Mumbai Samachar Marg, Fort, Mumbai-400023, **Correspondence Address:** 52, 5th Floor, Jalan House, Walkeshwar Road, Next to Gopi Birla School, Mumbai-400006. **Tel: No**.: 9820031087 / (022) 23674465
SEBI Registration: INB/F/E230646034, **E-Mail:** akhil@kkjsec.com; **Website**: www.kkjsec.com

10.7 The Company shall request BSE to provide a separate Acquisition Window to facilitate placing of sale orders by Eligible Shareholders who wish to tender their equity shares in the Buyback. For the purpose of this Buyback, BSE would be the designated stock exchange. The details of the platform will be as specified by BSE from time to time. In the event stock brokers of Eligible Shareholder ("**Seller Member**") is not registered with BSE, then the Eligible Shareholders can approach any BSE registered stock broker and can register themselves by using quick unique client code ("UCC") facility through the BSE registered stock broker (after submitting all details as may be required by such BSE registered stock broker in compliance with applicable law). In case the Eligible Shareholders are unable to register using UCC facility through any other BSE registered broker, Eligible Shareholders may approach Company's Broker to place the bid.

10.8 During the tendering period, the order for selling the equity shares will be placed by the Eligible Shareholders through their respective stock brokers ("**Seller Member**") during normal trading hours of the secondary market. In the tendering process, the Company's Broker may also process the orders received from the Eligible Shareholders. The Company's Broker as well as the Broker of Eligible Shareholder can enter orders for demat as well as physical shares.

10.9 The reporting requirements for Non-Resident Shareholders under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and any other rules, regulations, guidelines, for remittance of funds, shall be made by the Eligible Shareholder and/or the Shareholder Broker through which the Eligible Shareholder places the bid.

10.10 **Procedure to be followed by Eligible Shareholders holding Equity shares in the dematerialized form:**
a) Eligible Shareholders who desire to tender their Equity shares in the electronic/dematerialized form under the Buyback would have to do so through their respective Seller Member by giving the details of Equity shares they intend to tender under the Buyback.
b) The Seller Member would be required to place an order/bid on behalf of the Eligible Shareholders who wish to tender Equity shares in the Buyback using the Acquisition Window of the BSE. Before placing the bid

जनसत्ता

25 जून, 2019

सहिष्णुता का पैमाना

सामाजिक विविधता की कसौटी पर देखें तो भारत दुनिया के उन गिने-चुने देशों में है जहां अलग-अलग धर्मों और मतों को मानने वाले समूहों या समुदायों को पूरी आजादी है। देश का संविधान यहां के सभी नागरिकों को अपनी आस्था के निर्वाह का अधिकार और गारंटी देता है। इसके बावजूद अगर अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से जारी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत के कुछ खास समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता के बाधित होने का दावा किया गया है तो उस पर सवाल उठने लाजिमी हैं। हालांकि यह एक कड़वी सच्चाई है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से अराजकता और हिंसा की कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिनसे ऐसा लगता है कि धर्म के आधार पर कुछ चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। मगर यह भी सच है कि इस तरह की किसी भी घटना के बाद कानून अपना काम करता है, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन कुछ असामाजिक और अराजक तत्त्वों की गैरकानूनी हरकतों को देश में मौजूद धार्मिक स्वतंत्रता के पूरी तरह बाधित होने के रूप में नहीं देखा जा सकता।

स्वाभाविक ही भारत ने अमेरिका की ओर से जारी इस रिपोर्ट को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी समाज वाला देश है जो लंबे समय से सहिष्णुता और समावेश के लिए प्रतिबद्ध है; भारत का संविधान सभी नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जिनमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। जाहिर है, एक ओर संविधान में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की गई है तो दूसरी ओर सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से उन अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाते हैं। सही है कि भारत भौगोलिक रूप से एक बड़ा विविध पहचानों वाला देश है और कई बार यहां कुछ ऐसी अफसोसजनक घटनाएं होती रहती हैं, जिनके पीछे धार्मिक कट्टरता से जुड़ी सोच या व्यवहार मुख्य रूप से जवाबदेह होते हैं। लेकिन इनके आधार पर समूचे देश को एक ही नजर से देख लेना और इसे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरे के रूप में पेश करना अतिरेक ही माना जाना चाहिए। फिर भी, ऐसी रिपोर्टें आगाह करती हैं कि अगर कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिनसे देश की नकारात्मक छवि बनती है तो उन पर भी पूरी तरह काबू पाया जाए।

हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ सालों के दौरान असामाजिक तत्त्वों ने एक भीड़ के रूप में गाय की रक्षा के नाम पर एक धर्म-विशेष की पहचान से जुड़े लोगों पर हमले किए, कइयों को पीट-पीट कर मार डाला। ऐसे मामले अब भी सामने आते हैं, जिनमें भीड़ ने किसी अल्पसंख्यक को उसके धर्म से इतर कुछ खास धार्मिक नारे लगाने को मजबूर किया और उसे सार्वजनिक रूप से बुरी तरह मारा-पीटा। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस और प्रशासन ने ऐसे मौकों पर कानूनी कार्रवाई की, लेकिन अब भी ऐसी घटनाएं पूरी तरह रोकी नहीं जा सकी हैं। यह कोई छिपी बात नहीं है कि कई नेता अक्सर बेवजह भड़काऊ भाषण देते हैं। जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक स्तर पर देश में बने उन्माद के माहौल को काबू में किया जाए। किसी भी स्थिति में भीड़ को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर इस प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक नहीं लगाई गई तो संविधान में दर्ज अधिकार और सरकार की ओर से सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार के दावों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा।

अपराध और सवाल

राजधानी दिल्ली में पिछले चार दिन में जिस तरह हत्या की ताबड़तोड़ तीन बड़ी वारदातें हुई हैं, वे दहलाने वाली हैं। इन वारदातों ने लोगों, खासतौर से बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लगता है, दिल्ली में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और अपराधी बेखौफ होकर अपना काम कर रहे हैं। सड़क पर सरेआम गोलियां चलाने से लेकर रोडरेज जैसी घटनाओं हों या छोटी-छोटी बातों पर जान ले लेनी की घटनाएं, आपराधिक तत्वों के भीतर पुलिस और कानून का कोई भय खत्म हो गया है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? खासतौर से बुजुर्गों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? हाल में वसंत विहार इलाके में एक बुजुर्ग दंपति और उनके यहां काम करने वाली सहायिका की गला रेत कर हत्या कर दी गई। इससे पहले एक शिक्षक और उनकी पत्नी को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया था। एक व्यक्ति ने अपने तीन बच्चों और पत्नी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद ने भी जान देने की कोशिश की, लेकिन बच गया। इस तरह की घटनाएं दिल्ली जैसे महानगर का वीभत्स चेहरा है। यह सरकार, पुलिस और समाज तीनों के लिए गंभीर चुनौती है।

दिल्ली में ऐसे बुजुर्गों की संख्या काफी है जो अकेले रह रहे हैं। इनकी देखभाल की सबसे पहली जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होती है। बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने बाकायदा अपना एक तंत्र भी बनाया हुआ है। लेकिन ऐसा तंत्र किस काम का जो सुरक्षा न दे पाए और जब कत्ल हो जाए तो इधर-उधर की खाक छानता रहे! जाहिर है, अपराधी ज्यादा शातिर साबित हो रहे हैं और पुलिस के प्रयास उनके सामने बौने पड़ रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि पहले के मुकाबले बुजुर्गों की सुरक्षा की दिशा में पुलिस ने कुछ प्रयास तो शुरू किए हैं। बीट कांस्टेबल, थानाध्यक्ष, सहायक पुलिस आयुक्त जैसे अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं, अकेले रह रहे बुजुर्गों का पंजीकरण कर बड़ा डाटाबेस तैयार किया गया है, बुजुर्गों की मदद के लिए ऐप भी बनाया गया है, हेल्पलाइन नंबर भी है। लेकिन अगर हम बुजुर्गों को सुरक्षा दे ही नहीं पा रहे तो फिर ये सारी कवायदें बेकार हैं। हकीकत तो यह है कि पुलिस को जिस तरह इस संवेदनशील मसले पर ध्यान देना चाहिए, वह नहीं देती। काम के दबाव का बहाना बना दिया जाता है। समस्या यह है जब अपराधी वारदात को अंजाम दे जाते हैं उसके बाद ही सारा तंत्र हरकत में आता है।

दूसरी बड़ी बात यह है कि ज्यादातर रिहायशी इलाकों और हाउसिंग सोसायटियों में सुरक्षा के बंदोबस्त पुख्ता नहीं है। जिस वसंत अपार्टमेंट में बुजुर्ग दंपति की हत्या हुई, उसकी सुरक्षा संबंधी खामियां अब सामने आ रही हैं। यह हाल ज्यादातर सोसायटियों का है। आपराधिक तत्व इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। हालांकि अब कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगने से अपराधियों तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान तो गया है और कई हत्याओं के मामले सुलझे भी हैं। दिल्ली में ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जिनमें बुजुर्ग अलग रह रहे हैं और उनके बच्चे अपने परिवारों के साथ अलग। कइयों के बच्चे विदेश में रहते हैं। ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा सोसायटी के गार्डों, स्थानीय पुलिस आदि पर ही निर्भर है। समस्या यह है कि जैसा मजबूत निगरानी तंत्र होना चाहिए, वह है नहीं। इसीलिए अपराधी बेलगाम हैं!

कल्पमेधा

बातचीत प्रिय हो, पर ओछी न हो। चुहल हो, बनावट हो, मुक्त हो, पर अश्लील न हो। विद्वतापूर्ण हो, पर घमंडयुक्त न हो। अनोखी हो, पर झूठ न हो।

– शेक्सपियर

मानसून की पहेली और संकट

सुविज्ञा जैन

प्राकृतिक रूप से मानसून 19 जून तक देश के दो तिहाई हिस्से तक पहुंच जाता था। इस बार उस समय तक यह सिर्फ बारह फीसद क्षेत्र को ही कवर कर पाया। बारह फीसद का यह इलाका इतना छोटा है कि मानसून आने के दरवाजे यानी केरल और उसके नजदीकी इलाकों तक ही सिमट जाता है। जाहिर है, कृषि प्रधान देश में किसानों के लिए एक भयावह स्थिति है।

मानसून की गड़बड़ी इतना छोटा संकट नहीं है। चाहे मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक हों, चाहे मीडिया, किसी की भी तरफ से उतनी चिंता जताई जाती नहीं दिख रही। आसन्न संकट के अंदेशे न जताए जाने का एक मतलब यह है कि किसी आपदा से निपटने की तैयारी शुरू न होना। बरिश को लेकर अब तक की भविष्यवाणियों की बड़ी फजीहत हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिक बता रहे थे कि इस बार मानसून समय पर आएगा। लेकिन मानसून ने एक-दो दिन नहीं, बल्कि पूरे सात दिन देर से दस्तक दी। देर से दस्तक के बाद एक और अड़चन आ गई। मानसून जिस रफ्तार से पूरे देश तक पहुंचता था, वह रफ्तार इस बार एकदम रूक-सी गई है। इसी तरह पहले बताया जा रहा था कि वायु नाम का चक्रवात मानसून की प्रणाली को गड़बड़ा सकता है। लेकिन चक्रवात तट को छुए बगैर ही गुजर गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस चक्रवात ने वातावरण की नमी सोख ली। इसी तरह मानसून को आगे बढ़ने में दिक्कत आने के भी नए कारण ढूंढ़े जा रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में कम से कम छोटी अवधि के पूर्वानुमान तो इतने नहीं गड़बड़ाने चाहिए।

बहरहाल नई सूचना यह है कि मानसून कछुए की चाल से बढ़ रहा है, सो इस बार पूरे देश में मानसून फैलने में तीन से चार हफ्ते का समय और लग सकता है। इस देरी के क्या-क्या असर होंगे? और अनागत की जो आशंकाएं हैं, उनसे निपटने के लिए क्या तैयारियां सोची जा रही हैं? इक्का-दुक्का मीडिया रिपोर्ट के अलावा ये सारी बातें विशेषज्ञ चेतावनियों और खबरों से लगभग गायब हैं। यह बात दो महीने पहले कही गई थी कि इस बार अल निनो सक्रिय है। अल निनो यानी समुद्र में एक निश्चित क्षेत्र का पानी गर्म होना। इसके बारे में वैज्ञानिक तथ्य यह है कि अन निनो के सक्रिय होने वाले साल में भारत में बारिश कम होती है। लेकिन इस साल यह पता होने के बाद भी हाल के इस पूर्वानुमान को भी खारिज कर दिया गया था और कहा गया था कि जून में अगर अल निनो का असर हुआ भी तो वह जुलाई या आगे के दो महीनों में खत्म हो जाएगा। जून के बाईस दिन गुजरने के बाद भी मानसून फैलने का जो कुदरती अंदाज है, वह बता रहा है कि आफत बड़ी भी आ सकती है। गौरतलब है कि सरकारी मौसम विभाग इस समय जो आंकड़े पेश कर रहा है, वे एक बड़े अंदेशे का इशारा कर रहे हैं।

प्राकृतिक रूप से मानसून 19 जून तक देश के दो तिहाई हिस्से तक पहुंच जाता था। इस बार उस समय तक यह सिर्फ बारह फीसद क्षेत्र को ही कवर कर पाया। बारह फीसद का यह इलाका इतना छोटा है कि मानसून आने के दरवाजे यानी केरल और उसके नजदीकी इलाकों तक ही सिमट जाता है। जाहिर है, कृषि प्रधान देश में किसानों के लिए एक भयावह स्थिति है। खासतौर पर उस देश में जहां आधी से ज्यादा खेती बारिश के सहारे ही होती है। वैसे जहां सिंचाई की व्यवस्था भी है, वहां भी हालत कम बुरी नहीं है। उत्तर भारत के कुछ इलाके छोड़ कर देश के लगभग सभी बांधों में पानी लगभग खत्म ही है। यानी मानसून की और ज्यादा गड़बड़ी कुछ ज्यादा ही बड़ी आफत पैदा कर सकती है। लेकिन सरकारी विभागों की तरफ से अभी भी बारिश का नया पूर्वानुमान जारी नहीं हुआ है।

यह भी एक तथ्य है कि मानसून का तय समय शुरू हुए अभी बाईस दिन ही गुजरे हैं। हो सकता है कि बाकी सवा तीन महीने में अच्छी बारिश हो जाए और देश में इस साल बारिश का आंकड़ा सामान्य बारिश के आसपास पहुंच जाए। लेकिन यह स्थिति पानी की भारी कमी यानी सूखे से भी ज्यादा विकट स्थिति पैदा कर सकती है। अगर सरकारी भविष्यवाणियों के मुताबिक चार महीने में गिरने वाला कुल पानी तीन महीने में गिर गया तो देश में कई जगह बाढ़ की विभीषिका तय मानिए।

वैसे देश को पिछले कुछ साल से नया अनुभव होने लगा है कि देश में सामान्य बारिश होने के बाद भी आधा देश सूखे की चपेट में आ जाता है। पिछले साल यही हुआ था। इतना ही नहीं, कम बारिश होने के बाद भी कई जगह बाढ़ से तबाही

हम नहीं रोक पा रहे हैं। हो सकता है कि मौसम वैज्ञानिकों और सामान्य प्रशासकों के लिए यह उतनी बड़ी बात न हो, लेकिन प्रबंधन प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों और नीतिकारों के लिए इससे ज्यादा शर्म की क्या बात होगी? बहरहाल, इस समय आसार ये हैं कि यह साल पृथ्वी विज्ञान के विद्वानों, खासतौर पर मौसम वैज्ञानिकों और देश के जल वैज्ञानिकों के सामने कई सवाल खड़े कर सकता है। वैसे उनके पास एक ही जवाब होगा कि क्या करें, प्रकृति के खेल में हम दर्शकभर हैं।

फिलहाल सवाल पूर्वानुमानों की गड़बड़ी का भी उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है। अगर सही और सटीक भविष्यवाणियां हो भी जाएं तो चिंता जताने के अलावा क्या कर लेंगे? लेकिन नहीं। ये चिंताएं बड़े काम की होती हैं। ये चिंताएं ही हमें चिंताशील बनाती हैं। अपनी वर्तमान और अनागत समस्याओं के समाधान खोजने के लिए मौका बनाती हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों और विद्वानों की जिम्मेदारी है कि वे हमें चिंता बताते चलें। किसी आसन्न संकट को हल्का करके न बताएं। मसलन, इस बार अल निनो के असर, मानसून आने में देरी और मानसून में ठहराव के पूर्वानुमानों को बताने में वैज्ञानिक शोधों की कमी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से मानसून पूर्व की बारिश की कमी के आंकड़ों पर चिंता नहीं जाताई गई, उसका कोई तर्क नहीं हो सकता। बल्कि होता यह रहा है कि चारों तरफ पानी को लेकर मचे हाहाकार के बीच भी यही दावे किए जाते रहे कि हमारे बांधों में पर्याप्त पानी है। मीडिया भी हर साल की तरह शहरों में घड़े, बाल्टी और टैंकरों की समस्या बताता रहा। अगर बांधों में पर्याप्त पानी जैसे दावों की पड़ताल होगी तो यही पता चलेगा कि यह दावा इस आधार पर किया गया कि पिछले साल इन दिनों इतना ही पानी बांधों में बचा था। यह बात नहीं बताई गई कि पिछले साल भी ऐसा ही संकट था। पिछले साल ही नहीं, बल्कि पिछले कई साल से देश में बारिश के पानी के भंडारण की क्षमता जहां की तहां है। जबकि बढ़ती आबादी और उद्योग के लिए पानी की जरूरत बढ़ती ही जा रही है। पांच साल पुरानी जल भंडारण क्षमता को हम यह नहीं मान सकते कि आज वह सामान्य है। जरूरत साल दर साल जल भंडारण क्षमता बढ़ाने की थी।

इस बार मानसून के संकट के साथ एक सकारात्मक बात जरूर है। वह यह कि इत्तेफाक से देश में मानसून सत्र के दौरान ही पानी को लेकर हाहाकार मचा है। चाहे वह सूखे को लेकर हो या फिर बाढ़ को लेकर। जाहिर है, संसद के इस सत्र में जल प्रबंधन और जल परियोजनाओं खासकर जल भंडारण यानी बांधों और जलाशयों की बात जरूर होगी। बजट में पानी जैसी प्राथमिक जरूरतों पर प्रावधानों की बात जरूर आएगी। चूंकि किसानों और खेती की बात हर बजट में करनी ही पड़ती है, सो इस बार वह होगी ही। स्वाभाविक है कि आसन्न संकट के कारण जल प्रबंधन पर विशेष बजटीय प्रावधान जरूर सोच लिए गए होंगे। यानी इस बार वित्तमंत्री के बजट भाषण में देश के चिंतनीय जल प्रबंधन पर कुछ नया जरूर होना चाहिए।

सामूहिकता का संदेश

निशा नाग

दुनिया मेरे आगे

गली-कूचों और मुहल्लों वाले शहरों में मंदिरों की अच्छी-खासी तादाद देखी जाती है और अब नई बसी सोसाइटियों में भी एक न एक मंदिर जरूर होता है। वहां से अक्सर किसी खास त्योहार या मंगलवार, शनिवार या नवरात्र के मौके पर ताल-बेताल ढोलकी के साथ चम्मच की खट-खट की ऊंची आवाज के साथ गाए जाने वाले भजनों की पुकार कानों में पड़ती रहती है। उसे सुन कर अक्सर कुछ लोग मुंह बिचका कर और युवा गृहिणियां इसकी खाली बैठी औरतों का शगल कह कर खिल्ली उड़ाती हैं। पर सच यह है कि इस तरह की कीर्तन मंडली दरअसल चौपाल और किटी-पार्टी की तरह ही सामुदायिक मिलन का एक अवसर है। खासतौर पर उन महिलाओं के लिए, जो कुछ सुकून में हैं, जिन्होंने घर-परिवार की जिम्मेदारियों को निभा लिया है और शायद अब उनकी जरूरत घर में उतनी नहीं रही या सारी जिंदगी खटने के बाद अब वे अपने ढंग से जिंदगी का सुख लेना चाहती हैं। ठीक उसी तरह, जैसे लोक गीतों में लोक का हृदय बोलता है। कीर्तन मंडली के भजनों में प्रौढ़ महिला हृदय का अच्छा-खासा 'कैथार्सिस' होता है। इन कीर्तनों का समय भी अवसर के मुताबिक ही रखा जाता है। यानी इसमें हिस्सा लेने वालों के कामकाज और सुविधा को ध्यान में रख कर ही वक्त तय किया जाता है।

कीर्तन का आयोजन करवाने के कई कारण हो सकते हैं। मसलन, मन्नत पूरी होने या नौकरी लगने की दलील पर या फिर जन्मदिन या घर पर होने वाली किसी शादी से पहले भी लोग कीर्तन कराते हैं। कीर्तनों में कुछ भजन देवी-देवताओं की स्तुति के होते हैं तो कुछ अवसर के मुताबिक बना लिए जाते हैं। कुछ गंभीर किस्म के भजन होते हैं तो कुछ चुहल भरे भी। जैसे 'चले आना ऊंची अटारी मेरे बांके बिहारी'। फिल्मी तर्जों के साथ-साथ कुछ परंपरागत तो कुछ स्वरचित लयों पर ये भजन गाए जाते हैं। सुर सही होने की परवाह किसी को नहीं होती। जैसे मन करता है, उसी अंदाज में गाए जाते हैं, जिन्हें देख कर अब्दुल रहमान के 'संदेश रासक' का वह कथन याद आ जाता है- 'कोयल यदि मधुर स्वर में गाती है तो क्या कौवे न करकराएं, राजदरबार नें नर्तकी शास्त्रीय नृत्य करती है तो क्या ग्राम्य युवती न नाचे'!

यह परंपरा कब से चली आ रही है, इसका पता नहीं। सगुण भक्ति से लेकर निर्गुनिया संत, सभी की आराधना का प्रमुख माध्यम कीर्तन रहा है। गुरबानी के पाठ से लेकर बौद्ध धर्म के सामूहिक 'ओं मणि पद्में हूं' का पाठ इसी का एक रूप रहा है। एक अलग अंदाज और संदर्भ के साथ नात और कव्वाली तथा मुहर्रमों की मजलिस को भी देखा जा सकता है। हालांकि उसका संदर्भ बिल्कुल अलग हो जाता है, पर महिलाओं के इस तरह के खुलेपन के साथ चुहलबाजी और मन के रंजन का भाव इन्हीं साप्ताहिक कीर्तनों में रहता है।

इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों द्वारा डेढ़ सौ साल पहले जिन गिरमिटिया मजदूरों को मारिशस-ट्रिनिडाड या फिजी भेजा गया था, वहां सोना कमाने के लालच में गए अमानवीय स्थितियों में जीते मजदूरों को जीने का संबल कीर्तन से ही मिलता था। कीर्तन के इस संदर्भ में महादेवी वर्मा का लिखा एक संस्मरण 'ठकुरी बाबा' याद आ रहा है, जहां वे कल्पवास करने गंगा किनारे जाती हैं और असमय रात को बारिश आ जाने से ग्रामीणों का एक दल उनकी कुटिया में घुस जाता है। तब महादेवी के आतिथ्य से प्रभावित होकर वह वहीं टिक जाता है। वह ग्रामीण दल जिस रूप में कीर्तन और सत्संग करता है, उसका निश्छल रूप महादेवी को भीतर तक छू लेता है। वे लिखती हैं- 'कबीर, सूर, तुलसी जैसे महान कवियों से लेकर अज्ञातनामा ग्रामीण तुक्कड़ों तक के पद उन्हें स्मरण थे। एक जो कड़ी गाता था, उसे सबका समवेत स्वर दोहरा देता था।' महादेवी कवि सम्मेलनों को दंगल (जहां सब लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं) तो ग्रामीण दल के कीर्तन को हिंडोला कहती हैं, जिसमें 'ऊंचाई-निचाई का स्पर्श भी एक आत्म विस्मृति में विश्राम देता है'।

आजकल इस सत्संगनुमा कीर्तन में अच्छा-खासा ग्लैमर भी शामिल हो गया है, जहां लुभावने चेहरों वाली तथाकथित संत महिलाएं विशेष भाव-भंगिमा के साथ कभी-कभी फिल्मी गानों की तर्ज पर भजन गाती हुई दिखती हैं। व्यावसायिकता भी इनका हिस्सा हो गई है। जागरण करवाने और घरों में कीर्तन करवाने वाली व्यवसायिक मंडलियां भी हैं जो अच्छा-खासा पैसा लेकर यह काम करती हैं, लेकिन महिलाओं द्वारा किए जाने वाले इस कीर्तन का अंदाज ही निराला है, जहां गली-मुहल्ले की बातचीत, चुहलबाजी और थोड़ी-बहुत आपसी राजनीति और नाराजगी भी शामिल रहती है। जैसे अगर किसी महिला की किसी अन्य महिला से कोई नाराजगी है तो यह तय है कि वह उसके द्वारा गाए जाने भजन में वह अपना स्वर नहीं मिलाएगी! पर सच तो यह है कि ये कीर्तन वाचिक परंपरा में समुदाय को रससिक्त करने और सामूहिकता में जीने का संदेश देते हैं।

किसान का संकट

किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी किसानों को सालाना छह हजार रुपए मिलेंगे। साथ ही, किसानों के लिए पेंशन योजना का एलान भी किया गया है। लेकिन क्या इससे किसानों की हालत सुधर पाएगी? कृषि संकट का समाधान, किसानों की पैदावार और उनके आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना सरकार के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। यह संकट इतना विकराल रूप धारण कर चुका है कि उसमें सुधार के लिए सरकार को तुरंत उपाय सोचने होंगे। नीति आयोग के अनुसार पिछले दो साल में किसानों की आय में वास्तविक बढ़ोतरी लगभग शून्य हुई है और उसके पिछले पांच सालों में हर साल आधा प्रतिशत से भी कम बढ़ोतरी हुई। यानी, सात सालों से किसानों की आय में वृद्धि न के बराबर हुई है।

ऑर्गनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2000-2017 के बीच में किसानों को फसलों का समुचित मूल्य नहीं मिलने से पैंतालीस लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2016 के आर्थिक सर्वे में किसान परिवार की सत्रह राज्यों में आय बीस हजार रुपए सालाना से कम है, यानी 1700 रुपए मासिक या लगभग पचास रुपए रोजाना। सवाल है कि इस आय में कोई परिवार कैसे पलता होगा? खेती में पैसा नहीं है, उसके मजदूरों के पास काम नहीं है। इसके अलावा, मंडी हो, उत्पादन हो या पीएम फसल योजना में मुआवजा ही लेना हो, किसानों को हर कदम पर दिक्कतें आती हैं। किसानों की ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो वे काफी हद तक आर्थिक संकट से उबर सकते हैं। कुल मिला कर कृषि में सुधार का रास्ता गांव के रास्ते ही जाएगा।

● *संजीव कुमार, सहारनपुर*

तीन तलाक और विपक्ष

सरकार ने तीन तलाक की प्रथा खत्म करने के लिए जो पहल की है, वह बहुत ही सोच-समझ कर महिलाओं और बच्चों के हित में उठाया गया कदम है। इसका विरोध करने वालों को सोचना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं वे इस दकियानूसी परंपरा को खत्म नहीं करना चाहते? क्यों वे अपने राजनीतिक और स्वयं के स्वार्थ के लिए एक बेहतर पहल का विरोध कर रहे हैं? देखा जाए तो तीन तलाक बहुत-सी सामाजिक बुराइयों को ही दूर करेगा, जिसमें घर की बर्बादी, महिलाओं की परेशानी, बच्चों की तकलीफें और इससे उपजी अन्य अनैतिक बुराइयां खत्म होंगी। मात्र विरोध करना ही नहीं, बल्कि गहरी सोच भी होनी चाहिए विरोध करने वालों की कि हम शासन-प्रशासन में रह कर किस तरह सामाजिक बुराइयों को दूर करने में और लोगों के हित के लिए कितना और क्या कर सकते हैं। तभी हम बेहतर समाज सुधारक बन सकते हैं। विवेकहीन राजनीति करने से न तो खुद, न पार्टी, न ही समाज और देश का भला होने वाला है।

● *शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर*

जल संकट और सबक

चेन्नई आजकल गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। इस जल संकट ने लोगों को भारी मुश्किल में डाल दिया है। यहां बारिश न होने के कारण जल के प्राकृतिक स्रोत भी सूख गए हैं, इस कारण यहां जल संकट और गहराता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग की रिपोर्ट ने जो यह रिपोर्ट जारी की है कि हमारे देश में 2030 तक चालीस फीसद आबादी के पास पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं होगा, काफी चिंताजनक है। चेन्नई में बेशक आजकल जल संकट चल रहा है, लेकिन देश के बहुत से और राज्य भी ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं। इन राज्यों का भूजल स्तर गिरता जा रहा है। मोदी सरकार ने 2024 तक देश के हर घर तक नल से जल की योजना का लक्ष्य निर्धारित किया है।

अगर बारिश के कम होने के कारणों पर ध्यान नहीं दिया, पानी को संभालने, नदियों को गंदा करने से बाज नहीं आए और भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए सरकारों और आमजन ने गंभीरता नहीं दिखाई तो वह दिन दूर नहीं जब देश का हर शहर और हर गांव पीने वाले साफ पानी की एक-एक बूंद को तरसने लगेगा। ऐसे में देश के हर घर में नल तो सरकार पहुंचा भी देगी, लेकिन नल में जल नहीं होगा। यहां यह भी कहना उचित होगा कि जब देश में सूखे की स्थिति पैदा होती है तब पानी को बचाने के उपाय और तौर तरीकों की बात सरकारें, प्रशासन और लोग करने लगते हैं। लेकिन जब गर्मी का मौसम चला जाता है तो सभी अगली गर्मी के मौसम और सूखा पड़ने तक लंबी तान के सो जाते है। अगर आने वाली पीढ़ी के लिए साफ पानी बचा कर रखना है तो सबको मन में एक प्रण लेना होगा कि हर हाल में पानी बचाना है।

● *राजेश कुमार चौहान, जालंधर*

युद्ध का खतरा

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जिस तरह के युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं उससे कई देशों की आर्थिक स्थिति संकट में पड़ सकती है। अमेरिका ने ईरान पर साइबर हमला कर उसके राकेट और मिसाइल लांचर वाले कंप्यूटर को जाम करने का दावा किया है, वहीं ईरान भी इसके घातक नतीजों की धमकी दे रहा है। युद्ध से अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में अस्थिरता का माहौल बन रहा है और तेल के दाम बढ़ सकते हैं। अगर दोनों देशों में युद्ध हुआ तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल होगा।

● *विविधा, डीएसजे, दिल्ली विवि*

दक्षिण अफ्रीका का संकट

पिछली आठ मई को दक्षिण अफ्रीका में हुए चुनाव के नतीजे में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को अट्ठावन फीसद मतों के साथ जीत हासिल हुई थी। तब लगा था कि देश में सब कुछ ठीक-ठाक होगा, लोग खुश होंगे, अर्थव्यवस्था सुधरेगी, जीडीपी बढ़ेगी, बेरोजगारी कम होगी। मगर ये क्या अचानक वहां के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा का इकबालिया बयान आ गया। उन्होंने कहा, देश का माली हालत ठीक नहीं है। देश पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का कर्ज बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी सत्ताईस फीसद पर है और युवाओं में ये प्रतिशत पचास के ऊपर चला गया है। इसका मतलब देश इस समय डूबने के कागार पर है। सवाल है कि रंगभेद से तो मुक्ति मिल गई, मगर गुरबत से देश कब मुक्त होगा?

● *जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

जरा हट के

स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 134 वें सत्र में भाग लेती हुई।

बोल

हम क्षेत्र में जंग नहीं चाहते हैं। लेकिन हम अपने लोगों, हमारी संप्रभुता, हमारी क्षेत्रीय अखंडता और हमारे महत्त्वपूर्ण हितों के लिए किसी भी खतरे से निपटने में संकोच नहीं करेंगे।

-मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के शाह के उत्तराधिकारी

विवाद

हम नई आक्रामकता को संयुक्त राष्ट्र तक ले जाएंगे और दिखाएंगे कि अमेरिका अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र के बारे में झूठ बोल रहा है।

-मोहम्मद जावेद जाफरी ईरान के विदेश मंत्री (ट्वीट कर कहा)

सम-सामयिक

अमेरिका-ईरान तनाव : भारत पर तेल की आर्थिकी का असर

जनसत्ता संवाद

भारत में मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के एजंडे को लेकर बजट की तैयारियों में जुटी है। दूसरी ओर, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव से आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ने लगी हैं। दरअसल, हॉर्मूज जलडमरूमध्य क्षेत्र में हालात बिगड़ने का असर तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान पर हमले का आदेश देकर पीछे हटने की खबरें सामने आने के बाद कच्चे तेल के बाजार में उछाल आ गया था।

तेल की कीमतें स्थिर रहने से सरकार के लिए स्वच्छता, सबको घर, स्वास्थ्य, बिजली, गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन जैसे सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च करने में आसानी होगी। लेकिन अगर अमेरिका और ईरान में जंग के हालात बनते हैं और तेल बाजार में खलबली मची तो कीमतें बढ़ेंगी और ऐसे में सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ेगा। इसका असर आम लोगों पर भी होगा।

दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच पहले से तनाव के बीच तेहरान द्वारा अमेरिकी सेना का एक ड्रोन मार गिराने की घटना के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका प्रबल हो गई। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ड्रोन गिराने की खबर आने के तुरंत बाद कच्चे तेल की कीमत तीन फीसद से अधिक उछलकर प्रति बैरल 63 डॉलर पर पहुंच गई। ड्रोन मार गिराने के पहले तेल आपूर्ति के प्रमुख स्थल हॉर्मूज जलडमरूमध्य के निकट दो तेल टैंकरों पर हमले की घटनाएं हुईं। इससे मध्य पूर्व में तनाव सुलगने लगा। मध्य पूर्व दुनिया का 20 फीसद से अधिक कच्चे तेल का स्रोत है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतें से दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और भारत इससे अछूता नहीं है।

वित्तीय मामलों के जानकारों के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतें अगर 10 डॉलर प्रति बैरल बढ़ती हैं तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद पर इसका 0.4 फीसद असर होता है और इससे चालू खाता घाटा 12 अरब डॉलर या इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। कच्चा तेल महंगा होने से सरकार का आयात बिल बढ़ने लगता है, विदेशी मुद्रा भंडार घटता है और रुपए की कीमतें भी प्रभावित होती हैं। ऐसे में भारत ने ओपेक के मुख्य सदस्य सऊदी को तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने को कहा है। हॉर्मूज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ने के चलते पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सऊदी अरब के अपने समकक्ष के साथ चर्चा की है। भारत को सऊदी अरब से तेल व एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति का भी भरोसा मिला है। भारत अपनी तेल जरूरतों का 83 फीसद आयात करता है और यह पूरी तरह से ढुलाई के लिए हॉर्मूज जलडमरूमध्य के रास्ते पर निर्भर है।

भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच जंग हुई तो वह किसके साथ खड़ा हो? एक तरफ ईरान है जिससे हमारे रिश्ते ऐतिहासिक होने के साथ-साथ कच्चे तेल के लिए निर्भरता भी है। हालांकि, अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से तेल नहीं खरीदने से होने वाली कमी को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से पूरी करने की योजना पर भारत काम कर रहा है। ईरान से आयात कम किया गया है। लेकिन यह महंगा पड़ने लगा है। दरअसल, ईरान हमें जिस प्रक्रिया के तहत तेल निर्यात करता है, उसमें 60 दिनों के भीतर भुगतान करने की सुविधा भी देता है। इसका मतलब यह है कि खरीदे गए माल को सुरक्षित भारतीय बंदरगाह तक पहुंचाने का पूरा खर्च ईरान वहन करता है और दो महीने का क्रेडिट भी देता है। दूसरी ओर अमेरिका है जिससे हमारा व्यापारिक और रणनीतिक हित जुड़ा हुआ है।

सरकारी खजाने पर बोझ

अब तक तेल की कीमतें नियंत्रण में हैं, अगर तनाव बढ़ा तो खजाने पर बढ़ेगा बोझ। सरकार का आयात बिल बढ़ेगा और मुद्रा भंडार भी घटेगा। सरकार की सामाजिक योजनाओं के खर्चे पर दबाव बढ़ेगा। हॉर्मूज जलडमरूमध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। इससे भारत का आयात खर्च भी बढ़ेगा।

शोध-अनुसंधान

विटामिन-डी की कमी, पड़ सकता है दिल का दौरा

जनसत्ता संवाद

शरीर में विटामिन-डी का उत्पादन करने के लिए हर रोज धूप की खुराक हड्डियों की मजबूती के साथ-साथ हृदय को सेहतमंद रखने में भी मददगार हो सकती है।

विटामिन-डी की कमी आज के नए जमाने की बीमारी है, जिसके कारण आज ज्यादातर शहरी लोग चक्कर आने और कमर, पैर-हाथ, कंधे के दर्द से परेशान है। वैज्ञानिकों ने विटामिन-डी की कमी की पहचान हृदय के स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले कारक के रूप में की है। अब भारतीय शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि विटामिन-डी की कमी से होने वाले इंसुलिन प्रतिरोध की वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है।

शरीर में विटामिन-डी का उत्पादन करने के लिए हर रोज धूप की खुराक हड्डियों की मजबूती के साथ-साथ हृदय को सेहतमंद रखने में भी मददगार हो सकती है। एक ताजा अध्ययन में पता चला है कि हृदय को स्वस्थ रखने में भी विटामिन-डी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। शरीर में विटामिन-डी की कमी से हड्डियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने यह अध्ययन किया है और यह शोध 'मॉलिक्यूलर न्यूट्रीशन एंड फूड रिसर्च' नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। शोध के मुताबिक, इंसुलिन रक्त में उपस्थित शर्करा को ऊर्जा में परिवर्तित करने के साथ शरीर में कई ऊतकों में कोशिकीय चयापचय के नियमन में भी भूमिका निभाता है। हृदय कोशिकाओं में इंसुलिन प्रतिरोध के कारण हृदय में ग्लूकोज और वसा अम्ल जैसे ऊर्जा उत्पादकों का उपयोग बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है।

विटामिन-डी की कमी का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं ने चूहों पर प्रयोग किया है। उन्होंने चूहों के तीन समूह बनाए और इन समूहों को अलग-अलग तीन प्रकार के आहार दिए। इनमें एक समूह को पर्याप्त विटामिन-डी, दूसरे को विटामिन-डी की कमी और तीसरे को उच्च वसा और उच्च फ्रुक्टोज वाला भोजन दिया गया। बीस सप्ताह बाद पाया गया कि जिन चूहों को विटामिन-डी की कमी वाला आहार दिया गया था, उनका दिल काम नहीं कर रहा था। इन चूहों के हृदय में कुछ उसी तरह के आणविक और कार्यात्मक बदलाव देखे गए जो अधिक वसा और उच्च फ्रूक्टोज युक्त आहार का सेवन करने वाले चूहों में पाए गए थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि केवल विटामिन-डी की कमी के कारण होने वाला हृदय संबंधी विकार और उच्च कैलोरी आहार जैसे अन्य जोखिम कारकों के कारण होने वाले विकार बिल्कुल समान थे। वहीं कुछ मापदंडों में इसका प्रभाव अधिक पाया गया। हृदय की दीवार की मोटाई, हृदय-कक्षों के आंतरिक व्यास और हृदय की संकुचन क्षमता द्वारा इन निष्कर्षों की पुष्टि हुई है।

फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (टीएचएसटीआई) के प्रमुख शोधकर्ता डॉ. संजय कुमार बनर्जी ने बताया कि हमने विटामिन-डी की कमी और हृदय संबंधी विकारों के बीच की कड़ी का पता लगाया है और जानने का प्रयास किया है कि यह कैसे हार्ट फेल होने का कारण बन सकती है। विटामिन-डी और इसकी संकेतक प्रक्रिया दिल के पेशीय ऊतकों से संबंधित इंसुलिन संवेदनशीलता को प्रभावित करती है। इंसुलिन की कमी होने से ग्लूकोज के ऊर्जा में परिवर्तित होने का क्रम टूट जाता है और हार्ट फेल होने की स्थिति बनने लगती है। उनका कहना है कि यह शोध शरीर में विटामिन-डी ग्राहियों की सक्रियता को ध्यान में रखते हुए हार्ट फेल होने को नियंत्रित करने के लिए नई दवाएं तैयार करने में सहायक हो सकता है।

शोध करने वाले डॉ. संजय के बनर्जी

विश्व परिक्रमा

नेपाल में चीनी भाषा मंडारिन जरूरी

रविवार, 16 जून : चीन की सरकार ने नेपाल में मंडारिन भाषा पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन का भुगतान करने की पेशकश की। इसके बाद इस हिमालयी राष्ट्र नेपाल में कई निजी स्कूलों ने छात्रों के इस भाषा को सीखने को जरूरी कर दिया है।

भारत ने पाकिस्तान को 89 रन से हराया

सोमवार, 17 जून : विश्वकप में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर मात देने में कामयाबी पाई है। भारत ने पाकिस्तान को 89 रन से हराया। भारत ने पाकिस्तान को 337 रन का लक्ष्य दिया था। लेकिन बारिश की वजह से डकवर्थ लुईस नियम लगाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान को 40 ओवर में 302 रन का लक्ष्य मिला।

अमेरिका में परिवार के चार लोग मृत

मंगलवार, 18 जून : अमेरिका के आयोवा राज्य में एक भारतीय अमेरिकी आइटी पेशेवर, उनकी पत्नी और उनके दो नाबालिग बच्चे अपने घर में मृत मिले। उनके शवों पर गोली के निशान पाए गए हैं। वेस्ट डेस मोइनेस पुलिस ने बताया कि आइटी पेशेवर का नाम चंद्रशेखर था और वह आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे।

मोहम्मद मुर्सी

मुर्सी को काहिरा में किया गया दफन

बुधवार, 19 जून : लोकतांत्रिक रूप से चुने गए मिस्र के पहले राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का शव काहिरा में मंगलवार को दफना दिया गया। मुर्सी अदालत में सुनवाई के दौरान गिर पड़े थे और उनका निधन हो गया था।

खशोगी की हत्या में सऊदी युवराज का हाथ

गुरुवार, 20 जून : संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र विशेषज्ञ ने बुधवार को कहा कि पत्रकार जमाल खशोगी की हुई हत्या में सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान का संबंध होने के ठोस सबूत हैं। उन्होंने सलमान की निजी विदेशी संपत्तियों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया।

ईरान ने मार गिराया अमेरिकी ड्रोन

शुक्रवार, 21 जून : ईरान के सशस्त्र बल 'रिवोल्यूशनरी गार्ड' ने कहा कि उसने होर्मुज जलडमरू क्षेत्र के पास अपने हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी जासूसी विमान को मार गिराया है। इसके बाद से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के हालात हैं।

ईरान ने अरब दूत को तलब किया

शनिवार, 22 जून : ईरान ने तेहरान में नियुक्त संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के शीर्ष राजनयिक को तलब किया। दरअसल, यूएई ने अमेरिका को अपनी सरजमीं से एक ड्रोन विमान का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। ईरान ने दावा किया था कि अमेरिकी ड्रोन ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है।

जानें-समझें

एक देश, एक चुनाव

पूर्ण सहमति से ही बनेगी बात

दीपक रस्तोगी

कुछ समय से केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की कोशिश शुरू की है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह प्रस्ताव रखा। उन्होंने सर्वदलीय बैठक में इस पर चर्चा की। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी यह मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग आपस में बातचीत कर चुके हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसके पक्ष में हैं। ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है। तय है कि जब तक इस पर पूर्ण सहमति नहीं बनती, इसे धरातल पर उतारना मुश्किल होगा।

क्या है प्रस्ताव

एक राष्ट्र, एक चुनाव की योजना के तहत देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने का प्रस्ताव है। इसके तहत पूरे देश में पांच साल में एक बार ही चुनाव होगा। सरकार की दलील है कि इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि देश को भारी आर्थिक बोझ से भी राहत मिलेगी। वर्ष 2003 में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने पर विचार कर रही है। उस समय भी केंद्र में भाजपा ही सत्ता में थी। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव रखा है। साथ ही, सरकारी एजंसियों ने इस प्रस्ताव की दिशा में काम करना शुरू कर दिया।

एक साथ चुनाव का चक्र

आजादी के बाद शुरुआती वर्षों में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। हालांकि, इसके लिए कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं थी। 1952 के पहले आम चुनाव के साथ ही राज्यों की विधानसभा के लिए भी चुनाव हुए थे। तकरीबन 15 साल तक विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ चले, लेकिन बाद में यह चक्र गड़बड़ा गया। कुछ राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से कुछ सरकारें अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले गिर गईं। 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में राज्य विधानसभा चुनावों का आयोजन लोकसभा चुनाव के साथ ही हुआ था।

पक्ष में दलीलें

बार-बार आदर्श आचार संहिता लागू नहीं करनी पड़ेगी। नीतिगत फैसले लिए जा सकेंगे। विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। नए परियोजनाओं की घोषणा कम समय के लिए ही रुकेगी। भारी चुनावी खर्च में कमी आएगी। सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। काला धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, क्योंकि चुनाव के दौरान कालेधन का इस्तेमाल खुलेआम होता है। सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार-बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई देशों में एक साथ चुनाव होते हैं। स्वीडन में पिछले साल सितंबर में आम चुनाव, काउंटी और नगर निगम के चुनाव एकसाथ कराए गए थे। इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, स्पेन, हंगरी, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलैंड, बेल्जियम भी एक बार चुनाव कराने की परंपरा है।

विरोध में तर्क

संविधान में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर पांच साल की अवधि तय है। संविधान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। एक साथ चुनाव मूल भावना के खिलाफ है। एक देश एक चुनाव खुद में महंगी प्रक्रिया है। विधि आयोग की माने तो 4,500 करोड़ रुपए के नए ईवीएम 2019 में ही खरीदने पड़ते अगर एक साथ चुनाव होते। 2024 में एकसाथ चुनाव कराने के लिए 1751.17 करोड़ रुपए सिर्फ ईवीएम पर खर्च करने पड़ेंगे। केंद्र सरकार के पास राज्य सरकारों को धारा 356 के तहत भंग करने का अधिकार है। इस अधिकार के होते हुए एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते। चुनाव एक साथ कराने पर कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जाएगा।

विधि आयोग के सुझाव

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने विधि आयोग को एक साथ चुनाव कराने के समर्थन में पत्र लिखा था। उन्होंने लगातार चुनावों पर खर्च के बोझ की दलील दी थी। उसके बाद अगस्त 2018 में विधि आयोग ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की, लेकिन जम्मू कश्मीर को इससे बाहर रखा। विधि आयोग ने इसे अमली जामा पहनाने के लिए एक जटिल कानूनी ढांचे की जरूरत बताई है। विधि आयोग ने लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल वाले संविधान के अनुच्छेद 83(2) और अनुच्छेद 172(1) में संशोधन और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम लाने का सुझाव दिया था।

क्या है जानकारों की राय

एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य नेता। *(फाइल फोटो)*

विधायिकाओं का कार्यकाल निर्धारित करने के लिए संविधान में संशोधन किए बिना इसे अमल में नहीं लाया जा सकता। जब तक सदन का कार्यकाल तय नहीं होगा, इसे लागू करना संभव नहीं है।

-टीएस कृष्णमूर्ति
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

इस विचार को लागू करने के लिए संविधान संशोधन करना चाहिए। लेकिन क्या निकट भविष्य में इसे लागू किया जा सकता है? इस सवाल पर मेरा जवाब होगा- मुश्किल है।

- ओपी रावत
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

यह अवधारणा अव्यवहारिक है। इसके जरिए लोगों के जनादेश को तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है। भाजपा एक राष्ट्र-एक संस्कृति-एक राष्ट्र-एक भाषा लागू करना चाहती है। यह प्रस्ताव अगली कड़ी है।

- डी राजा, नेता, भाकपा

व्यक्तित्व

मुर्तजा कुरैशी : सबसे कम उम्र का राजनीतिक बंदी

जनसत्ता संवाद

जिस उम्र में बच्चे खेल और केवल खेल में मस्त रहते हैं उस उम्र में लोकतंत्र बहाली की मांग करना और इंसानियत के हक के लिए लड़ाई- लड़ाई भी ऐसी जो 10 साल के बच्चे को मौत की सजा तक पहुंचा दे। यह कहानी है सऊदी अरब के मुर्तजा कुरैशी की। अंतरराष्ट्रीय दबाव में उसकी जान बच गई है, लेकिन 2022 तक उसे जेल में रहना होगा।

वर्ष 2011 में सऊदी अरब में तानाशाही के खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की थी। सरकार ने इसे कुचलने की कोशिश की। इस आंदोलन में 17 साल का अली कुरैशी पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ। अली कुरैशी के दस साल के भाई मुर्तजा कुरैशी ने अपने भाई को खोने के बाद सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की ठानी। 2011 में 'अरब स्प्रिंग' कहे गए इस आंदोलन के दौरान उसने अपने 30 दोस्तों के साथ साइकिल से भटकते हुए अभियान चलाया। उसने कई धरना प्रदर्शन भी किए। दस साल के बच्चे का सरकार के गुप्तचर पीछा करने लगे। मुर्तजा ने राजतंत्र का खुलकर विरोध किया। इसके वीडियो भी बनाए गए। कुछ दिन बाद ही उसे बहरीन से गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर सऊदी अरब के दक्षिणी शहर अवामिया में एक पुलिस स्टेशन पर पेट्रोल बम फेंकने का आरोप लगा। सरकारी वकील ने उस पर उग्रवादी व आतंकी समूहों से संबंध होने का आरोप लगाया। मुर्तजा पर मोलोटोव कॉकटेल (पेट्रोल बम) बनाने और सुरक्षाकर्मियों पर गोली चलाने का आरोप लगा। मुर्तजा ने सभी आरोपों से इनकार किया।

सऊदी अरब के कानून के मुताबिक इन अपराधों के लिए मौत की सजा दी जाती है। उस समय दुनियाभर के वकीलों और समाजिक कार्यकर्ताओं ने मुर्तजा कुरैशी को दुनिया का सबसे छोटा राजनीतिक बंदी बताया।

सऊदी अरब के कानून में नाबालिग को फांसी नहीं दी जा सकती इसलिए मुर्तजा के बालिग होने का इंतजार किया जाता रहा और वह 2019 में जैसे ही 18 साल का हुआ कोर्ट में पेश किया गया और सरकारी वकील ने मुर्तजा के लिए फांसी की मांग की और उसे मौत की सजा सुना दी गई। मृत्युदंड की खबर का पता चलते ही देश में उबाल आ गया। लोग सड़क पर उतर आए। मुर्तजा के पक्ष में सऊदी अरब की माताएं और शिया समुदाय सड़कों पर उतर आया।

एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित कई देशों ने सऊदी अरब सरकार से मृत्युदंड रद्द करने की अपील की। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी किरकिरी हुई। दुनिया के तमाम लोगों ने सऊदी अरब के कानून की निंदा की।

पहले तो सरकार ने मना कर दिया पर दुनिया भर से पड़े दबाव के कारण उसे झुकना पड़ा और मुर्तजा को 2022 तक कैद में रखने के बाद छोड़ने का फैसला सुनाना पड़ा।

सरकार ने कहा, जो कहते हैं वह करते हैं

विपक्ष का पलटवार – 'ऊंची दुकान-फीके पकवान'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जून।

राजग सरकार को 'ऊंची दुकान फीके पकवान' करार देते हुए विपक्ष ने लोकसभा में सोमवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री 'बड़े सेल्समैन' हैं। वहीं इन आरोपों को खारिज करते हुए सत्ता पक्ष ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में राजग सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास सबका विश्वास' के मंत्र के साथ काम किया और यह साबित किया कि यह सरकार जो कहती है, वह करती है और जो कर सकती है, वही कहती है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राजग सरकार को अपनी प्रशंसा सुनने का 'नशा' है और वह अतीत की कांग्रेस सरकारों की उपलब्धियों को स्वीकार नहीं करना चाहती है। इससे पहले, केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री प्रताप चंद सारंगी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए कहा कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले पांच साल के कार्यकाल में किए गए कामकाज की सफलता को स्वीकार कर उनका अभिनंदन करना चाहिए और खुद को जनता द्वारा नकार दिए जाने पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नीत यूपीए के समय नीतिगत पंगुता थी और घोटाले पर घोटाले हो रहे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मूकदर्शक बने रहते थे।

उन्होंने कांग्रेस के प्रथम परिवार (नेहरू-गांधी परिवार) की भी आलोचना की जिस पर विपक्षी पार्टी के सदस्यों ने कड़ा एतराज जताया। सदन में मौजूद यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी भी सदस्यों को विरोध करने के लिए संकेत करते हुए देखी गईं। सारंगी ने कहा कि राजग सरकार के पहले कार्यकाल में उसकी छवि गरीब,

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव : चर्चा के दौरान आरोप-प्रत्यारोप

किसान, महिला विरोधी बनाने की कोशिश की गई और सांप्रदायिकता, नोटबंदी, जीएसटी और अन्य विषयों को लेकर सरकार की नकारात्मक छवि पेश करने का प्रयास किया गया लेकिन जनता ने विपक्ष के महागठबंधन के प्रयासों को धता बताते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा, 'सत्यमेव जयते। सत्य ही सर्वोपरि है। झूठ के बादलों से सच को नहीं छिपाया जा सकता।' सारंगी ने कहा कि जनता ने भाजपा के लिए मतदान किया और साबित किया कि यह सरकार जो कहती है, वो करती है और जो कर सकती है, वही कहती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सरकार बनने के बाद ही कहा था कि वह प्रधान सेवक हैं और यह सरकार गरीबों के लिए है। उन्होंने इस बात का पालन करके दिखाया है।

कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यूपीए सरकार के समय आर्थिक विकास की दर आठ फीसद से अधिक थी, जबकि इस सरकार में विकास दर छह फीसद से नीचे आ गई और बेरोजगारी भी 45 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने भाजपा के कुछ नेताओं के विवादित बयानों का हवाला दिया और कहा कि एक तरफ सरकार महात्मा गांधी का 150वां जन्मदिवस मनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कुछ लोग बापू के हत्यारे गोडसे की तारीफ करते हैं। यह कैसा दोहरा मापदंड है?

द्रमुक के टी आर बालू ने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल एक 'कंपनी का विवरण' लगता है। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि जब तक गृह मंत्री (अमित शाह) पश्चिम बंगाल की सरकार को परामर्श भेजते रहेंगे तब तक उनकी पार्टी प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इतने महापुरुषों का उल्लेख किया गया लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का नाम नहीं लिया गया। इसमें एक भी बार धर्मनिरपेक्षता शब्द का उपयोग नहीं किया गया।

वाईएसआर कांग्रेस के पी वी मिथुन रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में अगले पांच साल के लिए विकास की कई योजनाएं पेश की गईं जो स्वागत योग्य है। शिवसेना के विनायक राउत ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हमें पांच वर्ष में सभी को घर और हर घर में बिजली का सपना साकार करने में प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने चाहिए। जद(एकी) के राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि सूखे और बाढ़ जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बिहार पिछले कई वर्षों से 10 फीसदी की अधिक दर से विकास कर रहा है और अगर केंद्र की ओर से ठोस मदद मिले तो यह और तेजी से प्रगति कर सकता है।

बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्र ने कहा कि ओड़ीशा के साथ पिछले 72 वर्षों से नाइंसाफी हुई है और वह आशा करते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ओडिशा को उसका अधिकार देगी।

सदन चलाने में सहयोग करे विपक्ष : नड्डा

नई दिल्ली, 24 जून (भाषा)।

राज्यसभा में विपक्ष ने सोमवार को दावा किया कि 'न्यू इंडिया में आदमी आदमी से डरा हुआ है', महात्मा गांधी के हत्यारे की प्रशंसा करने वाले सत्तारूढ़ दल में हैं और घृणा व पीट पीटकर हत्या करने की घटनाएं चरम पर हैं। हालांकि इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सत्तापक्ष की ओर से कहा गया कि विपक्ष को अपने रास्ते पर पुनर्विचार करना चाहिए और सदन चलाने में सहयोग देना चाहिए।

उच्च सदन में राष्ट्रपति अभिभभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सदन चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग मांगा और विपक्षी दलों को इस बात पर विचार करने का परामर्श दिया कि क्या उनका रास्ता सही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने नड्डा के इस सुझाव पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र, समाजवाद, संघवाद और बहुसंख्यकवाद में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि भारत की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता व मान सम्मान और अस्तित्व के लिए यह जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसी रास्ते पर चलती रहेगी और चुनाव में हार जीत से उसका रास्ता नहीं बदल सकता। आजाद ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम गोडसे के बारे में एक भाजपा सांसद द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर कहा कि उनके पास अक्तूबर तक मौका है कि वह गांधी की 150 वीं जयंती से पहले इस सांसद को पार्टी से हटा दें। पार्टी ने सत्तारूढ़ गठबंधन पर 'टेलीविजन पर सरकार चलाने' का भी आरोप लगाया।

उन्होंने भाजपा नीत राजग को लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस सत्तारूढ़ दल की राह पर नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि भले ही इस राह पर चल कर 'उन्हें जीत मिली हो, पर देश हार गया है।' आजाद ने कहा कि भाजपा नीत सरकार 'न्यू इंडिया' की बात करती है लेकिन शायद ही अमेरिका, चीन, ब्रिटेन जैसे किसी देश में इस तरह का विचार सामने आया हो। अधिकतर देशों ने देश की प्रगति के लिए आधुनिक (मॉडर्न) शब्द का इस्तेमाल किया।

उन्होंने कहा कि हमें अपना पुराना भारत ही चाहिए जहां कोई सांप्रदायिक नफरत नहीं थी। इस नए भारत में इंसान, इंसान का दुश्मन है और आदमी को आदमी से ही डर लगता है।

निकाह की शर्तों में ड्राइविंग का हक भी

पेज 1 का बाकी

तो सऊदी अरब में निकाह की शर्तों का इस्तेमाल महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। पर खास तौर से महिलाएं इसका इस्तेमाल अपने कुछ खास अधिकारों को सुरक्षित कराने के लिए करती हैं। पितृसत्तात्मक सऊदी अरब में महिलाओं को सामान्य तौर पर अपने पुरुष अभिभावक (पति, पिता या अन्य) की सभी बातें मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वह कानून की शरण में भी नहीं जा सकती हैं। पर पुरुष यदि निकाहनामे में लिखी किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो महिलाएं इस आधार पर उससे तलाक ले सकती हैं।

अभी तक महिलाएं निकाहनामे का इस्तेमाल अपने लिए मकान, घरेलू सहायिका रखने, आगे पढ़ाई जारी रखने या शादी के बाद भी नौकरी करते रहने जैसी शर्तें रखने के लिए करती थीं। लेकिन अब ड्राइविंग का अधिकार भी इसमें जुड़ रहा है। माजद (29) बताते हैं कि अगले महीने उनकी शादी होने वाली है। उनकी 21 वर्षीय मंगेतर ने दो शर्तें रखी हैं... एक वह शादी के बाद भी काम करेंगी और दूसरा कि उन्हें वाहन चलाने का अधिकार होगा। माजद कहते हैं कि वह (मंगेतर) स्वतंत्र रहना चाहती है। मैंने इस पर कहा, 'हां, क्यों नहीं।' माजद अपना पूरा नाम साझा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि निकाहनामा और उसकी शर्तें निहायत निजी और पारिवारिक मामला है। रियाद में निकाह पढ़ाने वाले एक मौलवी अब्दुलमोसेन अल-अजेमी का कहना है, 'निकाह में किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए कुछ महिलाएं ड्राइविंग के अधिकार को निकाहमाने में शामिल करा रही हैं।' अल-अजेमी के पास हाल ही में ऐसा पहला निकाहनामा आया है। उनका कहना है कि निकाहनामा एक तरह से सुनिश्चित करता है कि शौहर अपने वादे को नहीं भूलेगा, क्योंकि यह वादा खिलाफ तलाक का आधार बन सकती है। सऊदी सरकार ने महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार तो दे दिया है, लेकिन घर के पुरुष अभिभावकों द्वारा ड्राइविंग से मना किए जाने या कार रखने की इजाजत नहीं मिलने की सूरत में क्या किया जा सकता है, उस संबंध में कुछ नहीं कहा है।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर भरना होगा कड़ा जुर्माना

पेज 1 का बाकी

विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन पर ऊंचे जुर्माने का प्रावधान किया गया है।' विधेयक में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गये हैं। किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानक से अधिक लोगों को बिठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

संशोधन विधेयक में आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर दस हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद वाहन चलाते रहने पर भी दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ओला, उबर जैसे समूहकों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंसों के नियमों का उल्लंघन करने पर विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक में किए गए प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित हैं।

इन सिफारिशों की संसद की स्थायी समिति ने भी जांच परख की है। विधेयक के मसौदे में तेज गाड़ी भगाने पर एक हजार से दो हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। बिना बीमा पॉलिसी के वाहन चलाने पर दो हजार रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाना शामिल है। किशोर द्वारा गाड़ी चलाते हुए सड़क पर कोई अपराध करने की स्थिति में गाड़ी के मालिक अथवा अभिभावक को दोषी माना जाएगा और वाहन का पंजीकरण भी निरस्त किया जाएगा।

इस तरह के अपराध में वाहन मालिक अथवा अभिभावक को दोषी माना जाएगा और तीन साल के सजा के साथ ही 25 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। साथ ही वाहन का पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जाएगा।

करगिल दिवस कार्यक्रम में बोले एअर चीफ मार्शल बीएस धनोआ

बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान हमारे क्षेत्र में नहीं घुस पाया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जून।

वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने कहा है कि बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तानी सेना का कोई विमान भारत के हवाई क्षेत्र में नहीं घुस पाया था। उन्होंने कहा कि हमने 26 फरवरी को आतंकी शिविर ध्वस्त कर अपना लक्ष्य हासिल किया। इसके बाद पाकिस्तान के विमान भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए आए थे, लेकिन वे सीमा पार नहीं कर सके।

एअर चीफ मार्शल धनोआ सोमवार को करगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने के मौके पर ग्वालियर वायुसेना अड्डे पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। वायुसेनाध्यक्ष का कहना है कि पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में हमला कर भारत ने अपना सैन्य लक्ष्य हासिल किया, लेकिन पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद हमारी नागरिक उड़ान सेवाएं बाधित नहीं हुईं।

मिराज में सिर्फ 12 दिनों में हुआ था बदलाव

वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने सोमवार को कहा कि करगिल युद्ध के दौरान मिराज 2000 विमानों में जरूरी बदलाव करने थे, जिन्हें महज 12 दिनों के रिकॉर्ड समय में कर लिया गया। वायुसेना प्रमुख ने कहा, 'लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड और लेजर गाइडेड बम प्रणाली को रिकॉर्ड 12 दिन के भीतर फिट करने का काम पूरा कर लिया गया।' ग्वालियर वायुसैनिक अड्डे पर आयोजित कार्यक्रम में एअर चीफ मार्शल धनोआ ने ये बातें कहीं। वायुसेना प्रमुख ने कहा, 'मिराज 2000 में बदलाव की प्रक्रिया जारी थी, जिसे शीघ्र ही कर लिया गया और फिर इस प्रणाली को करगिल युद्ध में लाया गया।' उन्होंने कहा कि मिराज 2000 जेट विमानों और थल सेना को वायुसेना के सहयोग ने 1999 के युद्ध का रुख ही पलट दिया।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे हवाई क्षेत्र में कभी नहीं घुस पाया। हमारा मकसद आतंकी शिविरों को निशाना बनाना था और उनका (पाकिस्तान) लक्ष्य हमारे सैन्य शिविर थे। हम अपना लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन पाकिस्तान कभी भी नियंत्रण रेखा पार नहीं कर पाया।

एअर चीफ मार्शल धनोआ ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था जीवंत है और हवाई यातायात बहुत महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय वायुसेना ने अपनी नागरिक उड़ानों को कभी नहीं रोका। केवल 27 फरवरी को हमने श्रीनगर हवाई क्षेत्र को 2-3 घंटे के लिए बंद कर दिया था। उस वक्त दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति थी, लेकिन हमारी हवाई सेवाओं पर कोई असर नहीं हुआ। धनोआ ने एएन-32 विमान हादसे पर कहा कि हमारे पास इस वायुयान का विकल्प मौजूद नहीं है। ऐसे में एएन-32 विमान पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ान भरता रहेगा। उन्होंने कहा कि हम आधुनिक विमान लेने की प्रक्रिया में हैं। जब आ जाएंगे तो अहम कामों में उनका इस्तेमाल करेंगे और एएन-32 को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारे पास विकल्प नहीं है।

प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी पर अधीर ने मांगी माफी

नई दिल्ली, 24 जून (भाषा)।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी का इस्तेमाल किया, हालांकि बाद उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि हिंदी अच्छी नहीं होने के कारण वह ऐसा बोल बैठे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी की ओर से स्वामी विवेकानंद की उपमा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा किए जाने पर चौधरी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, 'स्वामी विवेकानंद से प्रधानमंत्री की तुलना करें, वो गलत है, मैं भी प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं। परंतु आप तुलना नहीं कर सकते।'

इसी दौरान सत्तापक्ष के एक सदस्य ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि 'इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा।' इस पर चौधरी ने एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, 'कहां मां गंगा और कहां ...।' भाजपा के सदस्यों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और फिर विपक्षी सदस्यों के साथ उनकी नोकझोंक की स्थिति उत्पन्न हो गई।

भाजपा के सदस्यों ने कहा कि चौधरी को माफी मांगनी चाहिए। इस पर पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि जो शब्द असंसदीय होगा वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

बाद में संसद भवन परिसर में चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, 'ऐसा गलतफहमी के कारण हुआ। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है।

जगन रेड्डी ने 'प्रजा वेदिका' को गिराने का दिया आदेश

अमरावती (आंध्रप्रदेश), 24 जून (भाषा)।

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने अपने पूर्ववर्ती चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल में नदी के पास बनी एक सरकारी इमारत को ध्वस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नियमों का 'उल्लंघन' कर इस इमारत का निर्माण किया गया और इसमें 'भ्रष्टाचार' हुआ। प्राधिकरण ने नायडू के निवास के निकट कृष्णा नदी के पास प्रजा वेदिका का निर्माण किया था।

लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पेश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जून।

लोकसभा में सोमवार को जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया। इसके कानून बनने पर अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों के समान आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में यह विधेयक पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह उस समय सदन में मौजूद थे। विपक्ष के कुछ सदस्य इस विधेयक को पेश करने का विरोध कर रहे थे लेकिन लोकसभाध्यक्ष ओम बिड़ला ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया। इस विधेयक के माध्यम से जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में और संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

विधेयक के उद्देश्यों व कारणों में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और उसके अधीन बनाए गए नियम के तहत आरक्षण का फायदा अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं था। इसमें कहा गया है कि सीमापार से लगातार तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्ति सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित होते हैं। यह स्थिति इन निवासियों को अन्य सुरक्षित

● इसके कानून बनने पर अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों के समान आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

स्थान पर प्रस्थान करने के लिए प्रायः विवश करती है जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति और शैक्षिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों को अधिनियम की परिधि में लाने की और उन्हें वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों के समान बनाने की सतत मांग थी। ऐसे में अधिनियम में संशोधन आवश्यक हो गया था।

जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों को उनके समग्र सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास के दीर्घकाल से लंबित मांग को पूरा करेगा। इसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों को उपलब्ध आरक्षण का लाभ उठाने में समर्थ बनाया जा सकेगा।

दो कानूनों में संशोधन को मंजूरी

पेज 1 का बाकी

रहने वाले भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा प्रदान करने से जुड़ा विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को सोमवार को नहीं लाया जा सका। इसी तरह का एक विधेयक पिछले महीने 16वीं लोकसभा के भंग होने के बाद निरस्त हो गया था।

मोदी, शी, पुतिन करेंगे बातचीत

पेज 1 का बाकी

दिनों किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के समय भी मिले थे। चीन के सहायक विदेश मंत्री झांग जुन ने मोदी-शी-पुतिन बैठक को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, 'वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में इन तीनों नेताओं की बैठक भी महत्वपूर्ण है। आप तो जानते ही हैं कि चीन के रूस और भारत के साथ संबंधों में ठोस वृद्धि दिख रही है।'

झांग ने मीडिया के प्रतिनिधियों से यहां कहा, 'ओसाका में होने जा रहे शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी ब्रिक्स नेताओं के साथ अनौपचारिक बैठकें करेंगे। चर्चा के विषय जी20 शिखर बैठक की कार्यसूची के साथ मेल खाने वाले ही होंगे।' इसके अलावा इन नेताओं के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर ब्रिक्स देशों के बीच जनता के स्तर पर संपर्क बढ़ाने जैसे विषयों पर बातचीत होगी ताकि सहयोग का और विस्तार हो सके। इस बीच चीन ने कहा है कि वह अपनी संप्रभुता की कीमत पर अमेरिका के साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं करेगा।

गुण-दोष के आधार पर याचिका पर विचार करेंगे

पेज 1 का बाकी

18 जून को लिखे पत्र में यह पूछा है कि गुरमीत को पैरोल पर रिहा करना ठीक होगा अथवा नहीं। पत्र में जेल अधिकारी ने यह भी कहा है कि गुरमीत का चरित्र जेल में अच्छा है और उसने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। सिरसा जिला प्रशासन को इस संबंध में रोहतक संभाग के आयुक्त को एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था।

सिरसा के पुलिस अधीक्षक अरुण सिंह ने सोमवार को बताया कि उन्होंने अब तक सिरसा उपायुक्त को रिपोर्ट नहीं सौंपी है क्योंकि ऐसा किए जाने से पहले विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करना है। उन्होंने बताया, 'पैरोल याचिका के गुण और दोष के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हम नियमित रूप से पैरोल पर हर मामले में गुण दोष के आधार पर रिपोर्ट तैयार करते हैं।' राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कानून के मुताबिक प्रक्रिया शर्तें पूरी होने पर गुरमीत या अन्य कोई कैदी पैरोल पाने का हकदार है। उन्होंने कहा, 'उसके (गुरमीत का) या किसी अन्य के मामले पर गुण दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। अगर वह शर्तों को पूरा करता है तो उसे पैरोल की अनुमति दी जाएगी।' हरियाणा के जेल मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि जेल अधीक्षक ने अपने पत्र में लिखा है कि जेल में गुरमीत का आचरण अच्छा है। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) एस एस प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि हर कैदी पैरोल का हकदार है, यह निर्भर करता है कि जिस वजह से वह पैरोल मांग रहा है, वह कितना महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, बिहार और यूपी सरकार से मांगा जवाब

पेज 1 का बाकी

एक से दस साल की आयु के हैं, की मृत्यु होने से याचिकाकर्ता व्यथित है क्योंकि मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। याचिका में कहा गया है कि बच्चों की मौत इस महामारी की स्थिति से निबटने के प्रति बिहार और उप्र सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष लापरवाही का परिणाम है। याचिका में कहा गया है कि यह बीमारी हर साल होती है और इसे जापानी बुखार भी कहा जाता है।

याचिका में दावा किया गया है कि इस बीमारी की वजह से हजारों बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं लेकिन सरकारें इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। याचिका के अनुसार, 'इस साल इस बीमारी का केंद्र बिहार में मुजफ्फरपुर जिला है जहां पिछले एक सप्ताह में 126 से अधिक बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आसपास के अस्पतालों में चिकित्सकों, चिकित्सा सुविधाओं, सघन चिकित्सा केंद्रों और दूसरे मेडिकल उपकरणों की बहुत अधिक कमी है और इन सुविधाओं की कमी की वजह से बच्चों की लगातार मौत हो रही है।' याचिका में इस बीमारी का पिछले साल केंद्र रहे उप्र के गोरखपुर जिले में इसकी रोकथाम और प्राथमिक उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी संभव कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

मनोहर प्रताप ने सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण इस बीमारी से अपनी संतान खोने वाले प्रत्येक परिवार को दस-दस लाख रुपए मुआवजा दिलाने का अनुरोध भी न्यायालय से किया है। इसके अलावा, याचिका में तत्काल विशेषज्ञ चिकित्सकों का एक बोर्ड गठित करने और उसे मुजफ्फरपुर भेजने का केंद्र को निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र और बिहार सरकार को इस बीमारी से ग्रस्त जिले में बच्चों के इलाज के लिए आवश्यक संख्या में चिकित्सकों के साथ तत्काल 500 सघन चिकित्सा इकाइयों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इस रोग से प्रभावित बच्चों का प्रभावी तरीके से उपचार हो सके।

ट्रंप ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए

पेज 1 का बाकी

क्षेत्र में अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया गया है जिसके कुछ दिन बाद ट्रंप ने नए प्रतिबंध लगाने का कदम उठाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को जवाबी सैन्य हमले के आदेश को वापस ले लिया था।

ट्रंप ने अपने ओवल दफ्तर में पत्रकारों के साथ संक्षिप्त बातचीत में कहा, 'हम ईरान या किसी भी देश के साथ संघर्ष नहीं चाहते हैं।' उन्होंने कहा, 'मैं आपसे यह कह सकता हूं कि हम ईरान को परमाणु हथियार कभी भी हासिल नहीं करने देंगे।' ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जिस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, वो ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा और ईरान के सर्वोच्च नेता व अन्य अधिकारियों को बैंकिग सुविधा के लाभ लेने से रोकेगा। उन्होंने वित्त मंत्री स्टीवन म्नूचिन की मौजूदगी में आदेश पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने कहा, 'मेरे ख्याल से हमने बहुत संयम दिखाया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम भविष्य में भी संयम दिखाएंगे।' उन्होंने कहा, 'हम तेहरान पर दबाव बढ़ाना जारी रखेंगे।' यह पूछे जाने पर कि अमेरिकी ड्रोन पर ईरानी हमले के जवाब में ये प्रतिबंध लगाए गए हैं तो राष्ट्रपति ने कहा कि आप संभवतः इसे उसमें शामिल कर सकते हैं।

नई दिल्ली

इंजीनियर से उठक-बैठक करवाने वाला बीजद विधायक गिरफ्तार

भुवनेश्वर, 24 जून (भाषा)।

ओड़ीशा पुलिस ने बीजू जनता दल (बीजद) के नवनिर्वाचित विधायक सरोज कुमार मेहर को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने आदिवासी समुदाय के एक कनिष्ठ अभियंता को सरेआम उठक-बैठक करने के लिए कथित तौर पर मजबूर किया।

घटना इस महीने की शुरुआत में सामने आई, जब इसका एक कथित वीडियो वायरल हो गया था जिसमें विधायक पीडब्लूडी अभियंता से सरेआम उठक-बैठक करने के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं। घटना पांच जून को पटनागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हुई थी। घटना को लेकर पूरे राज्य में आक्रोश फैलने के बाद बोलांगीर के कलक्टर अरिंदम दकुआ ने आरोपों की पुष्टि के लिए उप-कलक्टर द्वारा जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि घटिया सड़क निर्माण कार्य के कारण पटनागढ़ विधायक ने जयकांत साबर को सरेआम सजा दी और प्रभारी इंजीनियर को उन्हें थप्पड़ मारने को कहा। इससे पहले सोमवार को पुलिस ने विधायक को नुआपाड़ा के एक होटल से गिरफ्तार किया।

Form G

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

(Under regulation 36A(1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution for Corporate Persons) Regulation 2016

RELEVANT PARTICULARS

1	Name of the corporate debtor	Gagan Distillers and Beverages Pvt Limited
2	Date of incorporation of corporate debtor	06.08.1998
3	Authority under which corporate debtor is incorporated/registered	Ministry of Corporate Affairs
4	Corporate Identity number/limited liability identification number of corporate debtor	U15511DL1998PTC095431
5	Address of the registered office and principal office (if any) of the corporate debtor	227, Dharakunj CHGS Appartment, Sector 9, Rohini, New Delhi-110085, India
6	Insolvency commencement date of corporate debtor	10.04.2019
7	Date of invitation of expression of interest	24.06.2019
8	Eligibility for resolution applicants under Section 25(2)(h) of the code is available at	By mail on email ID : pkw.watts@gmail.com
9	Norms of ineligibility applicable under Section 29A are available at	By mail on email ID : pkw.watts@gmail.com
10	Last date for receipt of expression of interest	09.07.2019
11	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	18.07.2019
12	Last date for submission of objections to provisional list	24.07.2019
13	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	02.08.2019
14	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	24.07.2019
15	Manner of obtaining request for obtaining resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and other information.	Prospective resolution applicants are requested to send an email to pkw.watts@gmail.com Information Memorandum, RFRP and Evaluation Matrix will be provided via email/data room after execution of confidentiality undertaking.
16	Last date for submission of resolution plans	22.08.2019
17	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	Physical copy of Resolution plan should be sent in a plain Sealed cover by speed post/registered post/courier at the address or by Email pkw.watts@gmail.com, given against item no. 21.
18	Estimated date for submission of resolution plan to the adjudicating authority for approval	After approval of resolution plan by COC
19	Name and registeration number of resolution professional	Pardeep Kumar Watts IBBI/IPA-002/IP-N00769/2018-19/12377
20	Name, address and email of the resolution professional as registered with the Board	Address : 378-C, Rajguru Nagar, Ludhiana-141012 (Punjab), Email: pkw.watts@gmail.com, Mobile No. 9815552378
21	Address and email to be used for corespondance with the resolution professional	Pardeep Kumar Watts (Resolution Professional of M/s Gagan Distillers & Beverages Pvt. Ltd.) House No. 378-C, Rajguru Nagar, Ludhiana-141012, Mobile No. 9815552378 Email : pkw.watts@gmail.com
22	Further details are available at or with	With Resolution Professional
23	Date of publication of Form G	24.06.2019

Resolution Professional
For M/s. Gagan Distillers and Bewerages Pvt Limited
Sd/-
Pardeep Kumar Watts
IBBI/IPA-002/IP-N00769/2018-19/12377
378-C, Rajguru Nagar, Ludhiana-141012.
E-mail: pkw.watts@gmail.com

Date : 24.06.2019
Place : Ludhiana (Punjab)

भारत होटल्स लिमिटेड

(CIN: U74899DL1981PLC011274)
पंजी. कार्यालयः बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-110001
टेली.: 91-11-44447777, फैक्सः 91-11-44441234,
ई-मेलः **corporate@thelalit.com,**
वेबसाईटः **www.thelalit.com**

शेयर प्रमाणपत्र गुम होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कावी फिनटेक प्राईवेट लि., भारत होटल्स लि. के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट, ने सूचित किया है कि उनके अभिलेखों/दस्तावेज के गमनागमन के कारण नाम में सुधार/अंतरण के लिये प्राप्त की गई कम्पनी की निम्न शेयरों के उनके अभिलेख/दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं तथा इस प्रकार स्थानच्युत हो गये हैं:

फोलियो नं.	अग्रसारण के बाद शेयरधारक का नाम	प्रमाणपत्र सं.	विशिष्ट सं.	शेयरों की सं.
BHL0027057	श्रीमती प्रभाबेन गजेरा (श्री जमनादास गजेरा के साथ संयुक्त रूप से)	66534	57067026-57067125	100
		66503	57060932-57060961	30
			कुल	130

कम्पनी एतद्द्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर मूल शेयर प्रमाणपत्रों की जगह डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिये दावे/आपत्तियाँ आमंत्रित करता है। यदि उक्त अवधि के भीतर कम्पनी को कोई दावे/आपत्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं तो कम्पनी आगे कोई सूचना दिये बिना उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्रों की जगह डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी।

आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्रों का किसी भी रूप में व्यवसाय न करें।

भारत होटल्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
(हिमांशु पाण्डेय)
कम्पनी सचिव एवं हेड-लीगल
तथा अनुपालन अधिकारी
एम.नं. एसीएस-13531

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 22.6.2019

डिस्क्लैमर*

''भारत होटल्स लिमिटेड (''कम्पनी'') वांछित स्वीकृतियों की प्राप्ति, बाजार की परिस्थितियों तथा अन्य अवधारणाओं के अधीन अपनी इक्विटी शेयरों का आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव करने का प्रस्ताव कर रहा है तथा इसके लिये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''सेबी'') के पास एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स (''डीआरएचपी'') दाखिल किया है। यह डीआरएचपी सेबी, बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईट क्रमशः www.sebi.gov.in, www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर तथा बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के संबंधित वेबसाईटों https://www.hdfcbank.com/htdocs/common/bharat-hotels-limited.htm, http://www.edelweissfin.com/web/edelweiss/equity-capitalmarkets तथा http://yesinvest.in/YES/aboutus.jsp? p=aboutus पर उपलब्ध है।

निवेशक यह ध्यान रखें कि इक्विटी शेयरों में निवेश एक अत्यधिक जोखिम भरा उद्यम होता है। विवरणों के लिए संभावित निवेशक रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस/प्रॉस्पेक्ट्स देखें जिसे सेक्शन शीर्षांकित ''रिस्क फैक्टर्स'' सहित भविष्य में नई दिल्ली में स्थित कम्पनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा हरियाणा के पास दाखिल किया जा सकता है। संभावित निवेशक किसी भी तरह के निवेश का निर्णय लेने में सेबी के पास दाखिल डीआरएचपी पर भरोसा न करें।

इन विवरणों में शामिल जानकारी यूनाईटेड स्टेट्स में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकाशन अथवा वितरण के लिये नहीं है। कम्पनी की इक्विटी शेयरों को यूनाईटेड स्टेट्स सिक्युरिटीज एक्ट ऑफ 1933, यथा संशोधित (''यू.एस. सिक्युरिटीज एक्ट) अथवा यूनाईटेड स्टेट्स में किसी अन्य राज्य की प्रतिभूतियों के कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत नहीं किया गया है तथा नहीं किया जायेगा तथा यू.एस. प्रतिभूति अधिनियम की पंजीकरण अपेक्षाओं में छूट अथवा जो उसके अधीन के कारोबार नहीं हैं, के अनुपालन को छोड़कर तथा यूनाईटेड स्टेट्स राज्य प्रतिभूति कानूनों के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स में प्रस्तावित अथवा बिक्री नहीं की जायेगी। यह कम्पनी यूनाईटेड स्टेट्स में अपनी इक्विटी शेयरों का सार्वजनिक प्रस्ताव आयोजित करने के लिए इच्छुक नहीं है। तदनुसार, ऐसे इक्विटी शेयर्स i) यू.एस. सिक्युरिटीज एक्ट तथा क्षेत्राधिकारों जहां ऐसे प्रस्ताव तथा बिक्री होते हैं, के लागू होने वाले कानूनों के अंतर्गत विनियमन एस के अनुपालन में ऑफशोर कारोबारों में यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर तथा ii) यूनाईटेड स्टेट्स के भीतर केवल ''योग्य संस्थागत क्रेताओं'' (जैसा कि यू.एस. सिक्युरिटीज एक्ट के अंतर्गत नियम 144ए में परिभाषित है), को यू.एस. सिक्युरिटीज एक्ट अथवा यू.एस. सिक्युरिटीज एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण में अन्य उपलब्ध छूटों के अंतर्गत धारा 4(ए)(2) के अनुसार, उसका प्रस्ताव अथवा बिक्री नहीं की जायेगी।

UFLEX 'A part of your daily life'

यूफ्लैक्स लिमिटेड

CIN : L74899DL1988PLC032166
रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तीसरी मंजिल, भानोट कॉर्नर, पाम्पोष एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048, **फोन** : +91-11-26440917, 26440925, **फैक्स** : +91-11-26216922
वेबसाईट : www.uflexltd.com, **इमेल** : secretarial@uflexltd.com

सूचना

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीफ) में इक्विटी शेयरों का अंतरण

एतद्द्वारा सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण एवं रिफंड) नियमावली 2016, यथा संशोधित (आई.ई.पी.एफ नियमावली'') के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 124(6) के अनुसार कंपनी की ऐसी इक्विटी शेयरों जिसके लिए लगातार सात (7) या उससे अधिक वर्षों से लाभांश की अधिकारिता दावा-रहित अथवा अप्रदत्त रही है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ प्राधिकरण) में अंतरित किया जाएगा।

आईईपीएफ नियमावली में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसरण में ऐसे वैयक्तिक शेयरधारकों जिन्होंने 04 सितम्बर, 2012 को तथा उसके बाद कंपनी द्वारा घोषित लाभांशों का दावा नहीं किए हैं तथा जिनके शेयर उक्त आईईपीएफ नियमावली के अंतर्गत आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किए जाने के लिए नियत हैं, को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर स्मरण सूचनाएं भेज दी गई हैं। पुनः आईईपीएफ नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार कंपनी ने ऐसे सभी संबंधित शेयरधारकों जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किए जाने के लिए नियत हैं, के विवरणों (उनके नाम, फोलियों नं./डीपीआईडी-क्लाइन्ट आईडी) को कंपनी की वेबसाइट http://www.uflexltd.com/pdf/IEPF/Details-of-Equity-Share-liable-for-transfer-to-the-IEPF-Authority.pdf पर अपलोड कर दिया है।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि अपने बैंक के विवरणों जैसे बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम तथा शाखा का पता, आईएफएससी नं., एमआईसीआर नं. सहित निरस्त चेक लीफ की एक प्रति के साथ पैन कार्ड तथा आवास के प्रमाण की प्रति के साथ एक औपचारिक अनुरोध पत्र उसके पंजीकृत कार्यालय में भेज कर तत्काल अपनी बकाया लाभांश राशि का दावा करें। आईईपीएफ प्राधिकरण की खाता में शेयरों के अंतरण की नियत तिथि 05 अक्टूबर, 2019 है। यदि उक्त तिथि तक लाभांश का दावा नहीं किया जाता है तो कंपनी आईईपीएफ प्राधिकरण में ऐसी शेयरों को अंतरित करने की कार्यवाही करेगी। **कृप्या ध्यान रहे आईईपीएफ प्राधिकरण मे इस प्रकार से अंतरित शेयरों के लिए कंपनी के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है।**

भौतिक पद्धति के शेयरधारित करने वाले संबंधित शेयरधारक जिनके शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किया जाएगा, यह ध्यान रखें कि नियमावली के अनुसार आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाण पत्र (त्रों) के बदले में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) को कंपनी द्वारा जारी किया जाएगा तथा इस निर्गम के उपरांत उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जाएगा तथा उसे नान-निगोशिएबल माना जाएगा। डीमैट शेयरधारिता के मामले में डिपॉजिटरी के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली कॉर्पोरेट कार्रवाई के द्वारा इन शेयरों कोई आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में अंतरित किया जायेगा। शेयरधारक यह भी ध्यान रखें कि उसकी वेबसाईट पर कम्पनी द्वारा अपलोड की गई दावा-रहित शेयरों से संबंधित विवरणों को नियमावली के अनुपालन में आईईपीएफ प्राधिकरण में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा नये शेयर प्रमाणपत्र (त्रों) के निर्गम के संदर्भ में पर्याप्त सूचना माना जायेगा।

आपके द्वारा धारित शेयरों तथा दावा-रहित लाभांश का आईईपीएफ में अंतरण की स्थिति में आप प्राधिकरण की वेबसाईट अर्थात् www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र आईईपीएफ-5 में ऑन लाइन आवेदन जमा कर तथा प्रपत्र आईईपीएफ-5 में वर्णित यांछित दस्तावेजों के साथ कम्पनी के पास विधिवत हस्ताक्षरित उसकी भौतिक प्रति को भेजकर आईईपीएफ प्राधिकरण से उसे वापस प्राप्त करने का दावा करने के लिये अधिकृत हैं।

आपसे अनुरोध है कि अधिनियम की धारा 124 तथा 125 एवं नियमावली के प्रावधानों तथा प्राधिकरण की वेबसाईट पर दी गई जानकारी का अवलोकन कर लें। इस संदर्भ में आगे किसी भी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिये आप कम्पनी अथवा आरटीए को भी लिख सकते है।

वास्ते यूफ्लैक्स लिमिटेड
हस्ता./-
अजय कृष्णा
वरि. उपाध्यक्ष (लीगल) एवं कम्पनी सचिव
ACS No.3296
पता : सी-001, कृष्णा अपरा रेजिडेन्सी, ई-8, सेक्टर-61, नोएडा-201301 (उ.प्र.)

स्थान : नोएडा
तिथि : 24.06.2019

आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

330, हेवली हैदरकुली
चांदनी चौक, दिल्ली-110006
टेली. नं. 011-23930986, 23956494

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 (2)/ 8 (6) के अंतर्गत
बिक्री के विषय में सूचना देने के लिये ऋणधारकों के लिये सूचना (30 दिनों की सूचना)

शाखा, ऋणधारक (कों)/ मार्टगैजर (रों)/ गारन्टर (रों)/ सह आवेदक/ सह-देनदार का नाम/ पता	संपत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य मांग सूचना तिथि	कब्जा सूचना की तिथि
ऋणधारकोंः 1. मै. राजेश गुप्ता एंड संस एचयूएफ, प्रति. कर्ता श्री राजेश गुप्ता, 625, प्रथम तल, जी.बी. रोड के पीछे, विशाल टीपीटी क. के निकट, फरश खाना, दिल्ली-110006 2. श्री राजेश गुप्ता, पुत्र स्व. द्वारका प्रसाद कोठी नं. 3, राज नारायण मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 गारन्टर्स/ मृतका, श्रीमती शकुन्तला देवी के कानूनी उत्तराधिकारीः 1. श्री राजेश गुप्ता, पुत्र स्व. द्वारका प्रसाद कोठी नं. 3, राज नारायण मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 2. श्रीमती संगीता गुप्ता, पत्नी राजेश गुप्ता कोठी नं. 3, राज नारायण मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 3. श्री विपुल गुप्ता, पत्नी राजेश गुप्ता कोठी नं. 3, राज नारायण मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 4. श्री तुषार गुप्ता, पत्नी राजेश गुप्ता कोठी नं. 3, राज नारायण मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 5. श्री शंकर लाल अग्रवाल एच. नं. 3, अग्रवाल भवन, राज नारायण मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 6. श्री मोती लाल अग्रवाल एच. नं. 3, अग्रवाल भवन, राज नारायण मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 7. श्री उमाचरण अग्रवाल एच. नं. 3, अग्रवाल भवन, राज नारायण मार्ग, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 8. श्री इन्दर राज गुप्ता सी 3/123, सेक्टर 11, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 9. श्रीमती कमलेश मित्तल डीएच-344, शालीमार बाग, शालीमार बाग क्लब के सामने, नई दिल्ली-110088 10. श्रीमती पूनम गुप्ता एच. नं. 95, 2रा तल, पॉकेट-28, सेक्टर-24, रोहिणी, नई दिल्ली-110085	अधोलिखित में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्साः 1. स्व. श्रीमती शकुन्तला देवी, पत्नी स्व. श्री द्वारका प्रदास के नाम में प्लॉट नं. 622-625 (नया), वार्ड नं. VII, जीबी रोड के पीछे फरश खाना, दिल्ली-110006 में माप 107 वर्ग यार्ड्स में व्यावसायिक सम्पत्ति भूमि एवं भवन में स्थित स्व. श्रीमती शकुन्तला देवी, पत्नी स्व. श्री द्वारका प्रसाद (सम्पत्ति के स्वामी) का बिल्डिंग-कार्यालय। चौहद्दीः पूर्वः गली पश्चिमः सम्पत्ति सं. 619-21, उत्तरः सम्पत्ति सं. 626, दक्षिणः जीबी रोड के पीछे सड़क	रु. 121.00 लाख 19.2.20198	2.5.2019

जैसा कि उपरोक्त तिथि के अनुसार धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना द्वारा मेरे/बैंक द्वारा की गई मांग के बावजूद आप अपनी बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा कर लिया गया है। सम्पत्ति का कब्जा कर लेने के बावजूद आपने आन्ध्रा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। अतएव, इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के बाद ई-नीलामी आमंत्रित कर उपरोक्त सम्पत्ति का बिक्री करना आवश्यक हो गया है। नीलामी की तिथि एवं समय तथा सेवा प्रदाता का विवरण अलग से जारी की जाने वाली बिक्री सूचना के माध्यम से सूचित किया जायेगा तथा सम्पत्ति की बिक्री उच्चतम मूल्य का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को की जायेगी। चूंकि सम्पत्ति की बिक्री हम दोनों को स्वीकार्य नियमों एवं शर्तों के अधीन निजी संधि द्वारा अथवा लोगों से कोटेशन प्राप्त कर भी की जा सकती है, यदि आपके पास निजी संधि अथवा लोगों से कोटेशन आमंत्रित कर सम्पत्ति की बिक्री करने का कोई प्रस्ताव हो तो आप इस पत्र/ सूचना की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर हमें उसकी सूचना दे सकते हैं अन्यथा यह माना जायेगा कि आपके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथा हम निविदा/ सार्वजनिक नीलामी/ ई-नीलामी/ निजी संधि आमंत्रित कर सम्पत्ति/मशीनरी की ब्रिकी की कार्रवाई शुरू करेंगे। पुनः यह ध्यान रहे कि यदि आप उपरोक्त बिक्री के लिये निर्धारित तिथि को या पूर्व इस तिथि तक बैंक द्वारा वहन की गई लागत, खर्चे के साथ उस पर परवर्ती ब्याज सहित मांग सूचना में निर्दिष्ट बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं तो अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री के लिये आगे कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।

स्थानः नई दिल्ली, तिथिः 24.06.2019
प्राधिकृत अधिकारी, आन्ध्रा बैंक

eClerx

eClerx Services Limited

(**CIN:** L72200MH2000PLC125319)
Registered Office and Correspondence Address: Sonawala Building, 1st Floor, 29 Bank Street, Fort, Mumbai - 400 023.
Contact Person: Mr. Pratik Bhanushali, Company Secretary and Compliance Officer
Tel.: +91 22 6614 8301, **Fax:** +91 22 6614 8655, **Website:** www.eclerx.com, **E-mail:** investor@eclerx.com

POST BUY-BACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF ECLERX SERVICES LIMITED

This post Buy-Back public announcement ("**Post Buy-Back Public Announcement**") is being made pursuant to the provisions of Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 ("**SEBI Buy-Back Regulations**"). This Post Buy-Back Public Announcement should be read in conjunction with the Public Announcement dated April 26, 2019 which was published on April 30, 2019 and the Letter of Offer dated May 22, 2019 ("**Letter of Offer**"). The capitalised terms used but not defined in this Post Buy-Back Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. THE BUY-BACK:

1.1. eClerx Services Limited (the "**Company**") had announced Buy-Back of not exceeding 1,746,666 (Seventeen Lakhs Forty Six Thousand Six Hundred Sixty Six) fully paid-up Equity Shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each ("**Equity Shares**") aggregating up to 4.52% of the total number of Equity Shares in the total paid-up Equity Share capital of the Company as on March 31, 2018. The Buy-Back was undertaken on a proportionate basis from the fully paid-up Equity Shareholder(s)/Beneficial Owner(s) of the Equity Shares of the Company as on Friday, May 10, 2019 ("**Record Date**"), by way of a Tender Offer through Stock Exchange mechanism for cash at a price of ₹1,500/- (Rupees One Thousand Five Hundred Only) per Equity Share for an aggregate amount up to ₹2,620 Millions (Rupees Two Thousand Six Hundred and Twenty Millions Only) ("**Buy-Back Size**") excluding the Transaction Cost(s). The Buy-Back was undertaken by the Company in accordance with Article 61 of the Articles of Association of the Company, the provisions of Sections 68, 69, 70, 110, 179 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (collectively referred as the "**Act**") and the SEBI Buy-Back Regulations.

1.2. The Buy-Back Size represents 24.95% of the aggregate paid-up equity capital and free reserves including securities premium of the Company as per the standalone financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2018 (the last audited financial statements available as on the date of the Board meeting held on March 14, 2019 approving the proposal of the Buy-Back) and is within the statutory limits of 25% of the fully paid-up equity capital and free reserves as per the latest audited standalone financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2018. The Equity Shares proposed to be bought back represent 4.52% of the total number of Equity Shares in the total paid-up Equity Share capital of the Company, as on March 31, 2018.

1.3. The Buy-Back was implemented by the Company using the "Mechanism for acquisition of shares through stock exchange" as specified by SEBI circular bearing number CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with circular bearing number CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, including any amendments thereof ("**SEBI Circulars**"). For the purpose of this Buy-Back, BSE Limited was the designated stock exchange.

1.4. The tendering period for the Buy-Back Offer opened on Friday, May 31, 2019, and closed on Friday, June 14, 2019.

2. DETAILS OF THE BUY-BACK:

2.1. 1,746,666 (Seventeen Lakhs Forty Six Thousand Six Hundred Sixty Six) Equity Shares were bought back under the Buy-Back, at a price of ₹1,500/- (Rupees One Thousand Five Hundred Only) per Equity Share.

2.2. The total amount utilised in the Buy-Back is ₹2,620 Millions (Rupees Two Thousand Six Hundred and Twenty Millions Only), excluding Transaction Cost(s).

2.3. The Registrar to the Buy-Back, i.e. Karvy Fintech Private Limited ("**Registrar**"), considered 52,338 valid bids for 10,360,678 Equity Shares in response to the Buy-Back, resulting in the tender of approximately 5.93 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of valid bids considered by the Registrar to the Buy-Back are as follows:

Category of Shareholders	No of Equity Shares reserved in Buy-Back	No of Valid Bids	Total Valid Equity Shares Tendered	% Response
Reserved category for Small Shareholders	262,000	51,519	1,396,973	533.20
General Category of other Shareholders	1,484,666	819	8,963,705	603.75
Total	**1,746,666**	**52,338**	**10,360,678**	**593.17**

2.4. All valid bids have been considered for the purpose of acceptance in accordance with the SEBI Buy-Back Regulations and Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection has been dispatched by the Registrar to the Buy-Back to respective Shareholders on June 24, 2019

2.5. The settlement of all valid bids was completed by the Clearing Corporation on Monday, June 24, 2019. The funds have been directly paid out to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buy-Back. If bank account details of any Eligible Shareholders holding Equity Shares in dematerialised form were not available or if the fund transfer instructions were rejected by the Reserve Bank of India or relevant bank, due to any reason, then the amounts payable to the Eligible Shareholders will be transferred to the concerned Seller Members for onward transfer to such Eligible Shareholders holding Equity Shares in dematerialised form.

2.6. Demat Equity Shares accepted under the Buy-Back have been transferred to the Company's demat account on June 24, 2019. The unaccepted demat Equity Shares have been returned to the respective Shareholder/Shareholder's broker/custodians by the Clearing Corporation on June 24, 2019.

2.7. The extinguishment of 1,746,666 (Seventeen Lakhs Forty Six Thousand Six Hundred Sixty Six) Equity Shares in dematerialized form accepted under the Buy-Back, is currently under process and shall be completed by June 28, 2019.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN:

3.1. The capital structure of the Company, pre and post the Buy-Back is as under:

Sr.No.	Particulars	Amount in ₹
A	**AUTHORISED SHARE CAPITAL** 50,010,000 Equity shares of ₹10 each	500,100,000
B	**ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP CAPITAL BEFORE THE BUY-BACK** 38,730,067 Equity shares of ₹10 each	387,300,670
C	**ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP CAPITAL AFTER THE BUY-BACK*** 36,983,401 Equity shares of ₹10 each	369,834,010

**The Company shall extinguish all the Equity Shares bought back during the Buy-Back i.e. 1,746,666 (Seventeen Lakhs Forty Six Thousand Six Hundred Sixty Six) Equity Shares.*

3.2. Details of the Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buy-Back are as mentioned below:

Sr. No.	Name of the Shareholder	No. of Equity Shares accepted under Buy-Back	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought back	Equity Shares accepted as a % of total post Buy-Back Equity Shares*
1.	Priyadarshan Mundhra	394,387	22.58	1.07
2.	Anjan Malik	394,226	22.57	1.07
3.	Matthews India Fund	86,241	4.94	0.23
4.	Fidelity Puritan Trust-Fidelity Low-Priced Stock Fund	75,338	4.31	0.20
5.	SBI Equity Hybrid Fund	71,722	4.11	0.19
6.	Franklin India Smaller Companies Fund	56,630	3.24	0.15
7.	UTI - Equity Fund	52,270	2.99	0.14
8.	Pinebridge Investments GF Mauritius Limited	49,746	2.85	0.13
9.	Barclays Wealth Trustees India Private Limited	37,255	2.13	0.10
10.	Franklin Templeton Investment Funds	31,636	1.81	0.09
11.	HDFC Small Cap Fund	20,300	1.16	0.05
12.	HDFC Trustee Company Limited - HDFC Tax Saver Fund	18,541	1.06	0.05

3.3. The shareholding pattern of the Company as on the Record Date (pre Buy-Back) i.e. May 10, 2019 and post Buy-Back is set out below:

Particulars	Pre Buy-back		Post Buy-back*	
	No. of Equity Shares	% of Present Equity Share Capital	No. of Equity Shares	% to post Buy-back Equity Share Capital
Promoter and Promoter Group	19,561,692	50.51	18,772,362	50.76
Foreign Investors (including Non Resident Indians / FIIs / FPI / Foreign Bodies Corporate / Foreign Nationals etc.)	8,899,775	22.98	18,211,039	49.24
Financial Institutions / Banks/NBFCs and Mutual Funds / Insurance Companies	6,288,198	16.23		
Others (Public, Bodies Corporate, Clearing Members, Trust and HUF)	3,980,402	10.28		
TOTAL	**38,730,067**	**100.00**	**36,983,401**	**100.00**

*Subject to extinguishment of 1,746,666 (Seventeen Lakhs Forty Six Thousand Six Hundred Sixty Six) Equity Shares.

4. MANAGER TO THE BUY-BACK OFFER:

Emkay Your success is our success

Emkay Global Financial Services Limited
7th Floor, The Ruby, Senapati Bapat Marg, Dadar West, Mumbai-400 028, Maharashtra, India
Tel.: +91 22 6624 2412
Fax: +91 22 6612 1355
Email: eclerx.buyback@emkayglobal.com
Website: www.emkayglobal.com
Contact Person: Mr. Deepak Yadav / Mr. Chirag Dave
SEBI Regn. No.: INM000011229
Validity Period: Permanent
CIN: L67120MH1995PLC084899

5. DIRECTORS' RESPONSIBILITY:

As per Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buy-Back Regulations, the Board of Directors of the Company accepts full responsibility for the information contained in this Post Buy-Back Public Announcement and confirms that it contains true, factual and material information and does not contain any misleading information. The Post Buy-Back Public Announcement is issued under the authority of the Board and in terms of the resolution passed by the Board on March 14, 2019 and by the Buy-Back Committee on April 26, 2019.

For and on behalf of the Board of Directors of Company

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Priyadarshan Mundhra	**Anish Ghoshal**	**Pratik Bhanushali**
Executive Director	**Non-Executive Director**	**Company Secretary and Compliance Officer**
(DIN: 00281165)	**(DIN: 00276807)**	**(PAN: AMMPB6578N)**

Date : June 24, 2019
Place : Mumbai

PRESSMAN

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

सामान्य सेवाऐं प्रशासन विभाग प्लॉट क्र. 4, सेक्टर–10, द्वारका नई दिल्ली–110075

निविदा सूचना

पंजाब नैशनल बैंक योग्य निविदाकर्ताओं से **ई.आर.एफ.एम. सेल, पंजाब नेशनल बैंक, 5 संसद मार्ग – 110001, में वौइस् लॉगर समेत ई.पी.ए.बी.एक्स की आपूर्ति स्थापना परीक्षण और कमीशनिंग** हेतु निविदा आमंत्रित करता है। कार्य की अनुमानित लागतः ₹ 7.22 लाख; बयाना राशिः ₹ 7,500/– निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समयः : 02.07.2019, 1500 बजे तक है।

उपरोक्त कार्यों के लिए निविदा दस्तावेज हमारी वेबसाइट **https://pnbindia.in.** से डाउनलोड किए जा सकते हैं। उपरोक्त कार्य के संबंध में कोई शुद्धि/ स्पष्टीकरण केवल उपरोक्त वेबसाइट पर जारी किया जाएगा जिसे नियमित रूप से देखते रहें।

मुख्य प्रबंधक

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
निगमित कार्यालय: 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्तिमार्ग, हौजखास, नई दिल्ली–110016, टैलीफैक्स: 011–49857884

सं.केभनि/नि.का.–इंजी./प्रैस नोट/2019–20/2022 दिनांक: 24.06.2019

ई–टैंडर आमंत्रण प्रैस सूचना

केन्द्रीय भंडारण निगम निम्नलिखित कार्यों के लिए ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करता है:

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (में लाख रु.)	निविदा ऑनलाइन भेजने एवं खोलने की अंतिम तिथि
01	सेन्ट्रल वेअरहाउस, कुकरा रोड, मुज्जफरनगर–1 (उ.प्र.) में कार्यालय कक्ष, सेन्ट्री पोस्ट बनाना, एसी शीट रूफिंग को बदलना तथा आंतरिक सड़कों की मरम्मत करना।	188.97	23.07.2019
02	सेन्ट्रल वेअरहाउस, शाहजहांपुर में रोलिंग शटर में एमएस जाली गेट को लगाना तथा वेंटिलेटर में एक्सपेंडेड मेटल फ्रेम लगाना।	49.00	23.07.2019

अनुबंध की शर्तें और ई–टेंडर आमंत्रण सूचना सहित विस्तृत निविदा सूचना निगम की वेबसाइट **www.cewacor.nic.in** या ई–टेंडर वेबसाइट **www.tenderwizard.com/CWC** अथवा सीपीपी पोर्टल **http://eprocure.gov.in/epublish/app.** से देखी और डाउनलोड की जा सकती है। इस निविदा संबंधी यदि कोई शुद्धिपत्र/परिशिष्ट होगा तो वह केवल वेबसाइट **www.cewacor.nic.in** या ई–टेंडर वेबसाइट **www.tenderwizard.com/CWC** अथवा सीपीपी पोर्टल **http://eprocure.gov.in/epublish/app.(CPP)** पर प्रकाशित होगा। इसके लिए समाचार पत्र में कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।

मुख्य अभियंता

CyberMedia

CYBER MEDIA (INDIA) LIMITED
CIN: L92114DL1982PLC014334
Regd. office: D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi-110017. Tel.: 011-41751234
Corp. office: B-35, Sector-32, Gurugram-122001, Haryana. Tel.: 0124-4822222
Email: investorcare@cybermedia.co.in. Website: www.cybermedia.co.in

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATE(S)

Notice is hereby given that the under mentioned share certificate(s) of the Company are stated to be lost/misplaced/stolen:-

S. No.	Name of the Shareholder / Purchaser	Folio No.	Share Certificate Number	Distinctive Number From - To	No. of Shares
1.	SARITA SHRIDHAR	146	700	7163788 -7163987	200
2.	SARITA SHRIDHAR	626	904-905	10014093-10014592	500

Any person(s) who has a claim of lien or interest in the above shares and having any objection to the issue of duplicate share certificates in lieu of the above, is requested to notify the same to the Company's Registrar & Share Transfer Agent namely, Link Intime India Private Limited, Nobel Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2, C-1 Block LSC, Janak Puri, New Delhi-110058 within 15 days from the date of this notice, indicating the nature of the claim or lien or interest of his/her objection to the said issue of duplicate share certificates, through an affidavit or else the Company will proceed to issue duplicate share certificates without entertaining any claim/damages whatsoever it may be.

For **Cyber Media (India) Limited**
Sd/-
Anoop Singh
Company Secretary
M. No. F8264

Place: Gurugram
Date : June 21, 2019

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कार्यकारी अभियंता का कार्यालय
सी–10 इन्द्रलोक, दिल्ली–110035

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से कार्यपालक अभियंता, सी–10, डीयूएसआईबी, इन्द्रलोक, दिल्ली–110035 निम्नलिखित कार्य के लिए दो निविदा प्रणाली में प्रतिशत दर निविदा (ऑनलाइन) आमंत्रित करते हैं:

एनआईटी संख्या: 11/ EEC-10/ DUSIB/ 2019-20
निविदा संख्या: 2019_ DUSIB_ 174062-1
कार्य का नामः एम.एल.ए. एल.ए.डी. फंड, उप शीर्षः चांदी वाली गली पहाड़गंज (एसी 23 करोलबाग) में समुदाय भवन का सुधारीकरण एवं जीर्णोद्धार।
अनुमानित लागतः रु. 72,22,928.00
धरोहर राशिः रु. 1,44,500.00
निविदा मूल्यः रु. 1000.00
कार्य अवधिः 120 दिन
निविदा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि व समयः 04.07.2019 के 15.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथिः 04.07.2019 के 15.30 बजे के बाद

निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण वेबसाईट **https://eprocurement.delhi.gov.in** से प्राप्त किया जा सकता है।

* सभी इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वह उक्त निविदा से संबंधित किसी भी अद्यतन/ सुधार के लिए नियमित रूप से उपरोक्त साइट का अवलोकन करते रहें, अद्यतन/ सुधार प्रेस में विज्ञापित नहीं किया जाएगा।

कार्यकारी अभियन्ता
DIP/Shabdarth/0262/1920 **सी–10, डी.यू.एस.आई.बी.**

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कार्यकारी अभियंता का कार्यालय
सी–10 इन्द्रलोक, दिल्ली–110035

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से कार्यपालक अभियंता, सी–10, डी.यू.एस.आई.बी., इन्द्रलोक, दिल्ली–110035 निम्नलिखित कार्य के लिए दो निविदा प्रणाली में प्रतिशत दर निविदा (ऑनलाइन) आमंत्रित करते हैं:

एनआईटी संख्या: 15/EEC-10/DUSIB/ 2019-20
निविदा संख्या: 2019_ DUSIB_174551_ 1
कार्य का नामः ई.आई.यू.एस.
उप शीर्षः फरिस्ता सोप फैक्ट्री ओल्ड रोहतक रोड शहजादा बाग (एसी–19 सदर बाजार) के निकट जे जे बस्ती में सीमेन्ट कंक्रीट की गलियां एवं नालियों की मरम्मत व जीर्णोद्धार
अनुमानित लागतः रु. 38,10,819.00
धरोहर राशिः रु. 76,300.00
निविदा मूल्यः रु. 500.00
कार्य अवधिः 120 दिन
निविदा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि व समयः 09.07.2019 के 15.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथिः 09.07.2019 के 15.30 बजे के बाद

निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण वेबसाईट **https://eprocurement.delhi.gov.in** से प्राप्त किया जा सकता है।

* सभी इच्छुक निविदा दाताओं से अनुरोध है कि वह उक्त निविदा से संबंधित किसी भी अद्यतन/ सुधार के लिए नियमित रूप से उपरोक्त साइट का अवलोकन करते रहें, अद्यतन/सुधार प्रेस में विज्ञापित नहीं किया जाएगा।

कार्यकारी अभियन्ता
DIP/Shabdarth/0263/19-20 **सी–10, डी.यू.एस.आई.बी.**

रेजीडेन्ट प्रतिनिधि का कार्यालय
खादी व ग्राम उद्योग आयोग
एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
गांधी दर्शन मंडल, राजघाट, नई दिल्ली–110002
फोनः नं. 011–23724695, फैक्सः 23724692, ईमेलः **rrkvic@gmail.com**

नं. पीआरओ/निविदा–एएमसी/2019–20

निविदा सूचना

अधोलिखित सेवाऐं उपलब्ध कराने के लिये सूचीकरण के लिये इच्छुक पार्टियों/एजेन्सियों/फर्मों से मुहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित है।

क्रम सं	विवरण	ईएम.डी/ प्रतिभूति (रु. में)	निविदा बिक्री की तिथि	निविदा बिक्री की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)
1.	सुरक्षा गार्ड्स (सशस्त्र एवं शस्त्र रहित)	2.00 लाख	25.6.2019	23.7.2019	1000
2.	मानव शक्ति सेवाएं (स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कूक, स्वीपर, हेल्पर/मल्टी–टास्क स्टाफ, सैल्स गर्ल्स/बॉयज)	4.00 लाख	25.6.2019	23.7.2019	1000
3.	किराये पर टैक्सी सेवाएं	0.50 लाख	25.6.2019	23.7.2019	1000

विस्तृत नियम एवं शर्तें निविदा दस्तावेज में दिये गये हैं जिसे किसी भी कार्य दिवस को 10.00 बजे से 17.00 बजे तक नगदी में भुगतान कर खरीदा जा सकता है। निविदा प्रपत्र हमारी वेबसाईट www.kvic.org.in से भी डाउनलोड की जा सकती है, लेकिन निविदा के साथ ''रेजीडेन्ट प्रतिनिधि, केवीआईसी, नई दिल्ली'' के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में निविदा मूल्य जमा की जायेगी।
निविदाओं को 24.7.2019 को 15.00 बजे में बोलीदाताओं के समक्ष में खोला जायेगा।
उप सीईओ/आरआर उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी एक अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने के लिये अधिकृत हैं।

(विनय कुमार)
निदेशक

फार्म नं. आईएनसी–26
{कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (6) के उपवाक्य (क) के मामले में
और
पुलकित फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 229 अनारकली बाजार डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली, दिल्ली – 110055 में है, के मामले में
...याचिकाकर्ता

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी 10.06.2019, को आयोजित असाधारण बैठक में पारित विशेश प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में परिवर्तित करने के लिए कम्पनी के संस्था के मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति पर निवेशक शिकायत फार्म दाखिल करके या पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय बी–विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड नई दिल्ली–110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए:

पुलकित फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड
(CIN: U74899DL1996PTC078938)
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 229 अनारकली बाजार डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली, दिल्ली – 110055
ई मेल : **satishgupta.ca@gmail.com**
फोन नं : 9818561530

कृते पुलकित फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
सतीश कुमार गुप्ता
निदेशक
(डीआईएन : **00219138**)
पता : एच. नं. 1060 सैक्टर – 16, फरीदाबाद, हरियाणा–121002

तिथि : 10.06.2019
स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

मै. सॉफ्कॉन सिस्टम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 225 एस/एफ, संत नगर, नई दिल्ली–110065 में है, के मामले में

..... आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 28 मई, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ–पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के पतेः बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
पंजीकृत कार्यालयः
225 एस/एफ, संत नगर, नई दिल्ली–110065

मै. सॉफ्कॉन सिस्टम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ओर से तथा उसके लिए
(अंशु सिंघल)
निदेशक
DIN: 01158170

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 25.6.2019

सार्वजनिक सूचना
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एरिन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
CIN: U45202UP2014PTC062162
पंजी. कार्याः 1811, ऑर्चिड टावर, पैरामाउन्ट सिम्फोनी क्रॉसिंग रिपब्लिक, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के निकट, गाजियाबाद, उ.प्र.–201010
आईएन ई–मेलः **arininfo@gmail.com**
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में
तथा
मामले में
एरिन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 1811, ऑर्चिड टावर, पैरामाउन्ट सिम्फोनी क्रॉसिंग रिपब्लिक, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के निकट, गाजियाबाद, उ.प्र.–201010 आईएन

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''उत्तर प्रदेशराज्य'' से ''महाराष्ट्र राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 03 मई, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 की धारा 30 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ– पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

कृते एवं के लिए, आवेदक
एरिन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
1811, ऑर्चिड टावर, पैरामाउन्ट सिम्फोनी क्रॉसिंग रिपब्लिक, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के निकट, गाजियाबाद, उ.प्र.–201010 आईएन
इन्दर मोहन सिंह
DIN: (02546722)
स्थानः गाजियाबाद
पदनामः निदेशक
पताः
18/11, पैरामाउन्ट सिम्फोनी क्रॉसिंग रिपब्लिक, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज के निकट, भारत

जयशंकर भाजपा में शामिल, पार्टी ने गुजरात से बनाया रास उम्मीदवार

नई दिल्ली, 24 जून (भाषा)।

भाजपा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल होने के कुछ घंटे बाद सोमवार को उन्हें गुजरात से एक राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार बनाया। जयशंकर सोमवार को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व विदेश सचिव जयशंकर को अपनी सरकार में शामिल किया था और उन्हें विदेश मंत्री बनाया था।

जब किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है जो संसद का सदस्य न हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने शपथ ग्रहण के छह महीने के भीतर संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना होता है। सरकार में शामिल होने के बाद जयशंकर के लिए पार्टी में शामिल होना महज एक औपचारिकता थी। वे संसद में पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के सदस्य बन गए।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सभी जिला समितियां भंग कीं

नई दिल्ली, 24 जून (भाषा)।

लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी जिला समितियों को भंग कर दिया है और चुनाव के दौरान अनुशासनहीनता की जांच की जिम्मेदारी तीन सदस्यीय समिति को सौंपेगी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है जिनमें कई कदमों का प्रस्ताव किया गया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक दोनों प्रभारियों की अनुशंसा के मुताबिक सभी जिला कांग्रेस समितियों को भंग कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों और चुनावी प्रबंधन के लिए दो सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। पार्टी तीन सदस्यीय अनुशासनात्मक समिति गठित करेगी जो लोकसभा चुनाव के दौरान घोर अनुशासनहीनता की जांच करेगी।

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजय कुमार लल्लू को पूर्वी उत्तर प्रदेश में संगठन में बदलाव करने के लिए प्रभारी बनाया गया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन में बदलाव के लिए प्रभारी की नियुक्ति सिंधिया द्वारा की जाएगी।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)
"आईसीएआई भवन", इन्द्रप्रस्थ मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं. 7100, नई दिल्ली– 110002

निविदा आमंत्रण सूचना
विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या के लिए सुरक्षित वेब पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का डिज़ाइन, विकास एवं कार्यान्वयन

विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या के लिए सुरक्षित वेब पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का डिज़ाइन, विकास एवं कार्यान्वयन हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं अधिकृत सेवा प्रदाताओं से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। मुहरबंद निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई, 2019 को दोपहर 3.00 बजे तक है। विस्तृत नियम व शर्तों सहित निविदा दस्तावेज आईसीएआई की वेबसाइट **www.icai.org** पर उपलब्ध हैं।

कार्यवाहक सचिव, आईसीएआई

डीएनए विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

नई दिल्ली, 24 जून (भाषा)।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसी व्यक्ति की पहचान के उद्देश्य से डीएनए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को नियंत्रित करने संबंधी 'डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक' को सोमवार को मंजूरी दे दी।

विधेयक को जनवरी में लोकसभा में पारित किया गया था लेकिन विपक्ष से समर्थन की कमी के कारण यह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था।

'कट मनी' के मुद्दे पर जांच आयोग बनाने की मांग

कोलकाता, 24 जून (भाषा)।

कांग्रेस और माकपा के विधायकों ने 'कट मनी घोटाले' के मसले पर पश्चिम बंगाल विधानसभा से बहिर्गमन किया। दोनों दलों के विधायक, विधानसभा अध्यक्ष के आसन के निकट आ गए और इस मामले में एक जांच आयोग गठित करने की मांग की।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
शाखा तिलक नगर, नई दिल्ली- 110018
फोन नं: 011 25993097 & 259999276

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 (2002 का 54) के तहत **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तगर्त निम्नलिखित दिनांक को ले लिया है।
उधारकर्ताओं / गारंटरों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिये सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** के अधीन होगा।
उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार और गारंटर का नाम	प्रभारित / बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रू. में)
(1) मैसर्स परफेक्ट ऑटो इंडस्ट्रीज इसके प्रोपराइटर श्री दीपक कुमार के माध्यम से (2) श्रीमती प्रीति भल्ला (आनंद) (3) श्रीमती प्रीति (आनंद)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि अचल बंधक सम्पत्ति – 29/1, प्रथम तल, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली–110060 में स्थित	07-02-2017 / 20-06-2019	रु. 67,67,452.39 दिनांक 01.02.2017 तक ब्याज प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित

दिनांक 20.06.2019, स्थान : दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

सेना में 45 हजार से अधिक पद खाली : राजनाथ सिंह

नई दिल्ली, 24 जून (भाषा)।

सरकार ने सोमवार को बताया कि सेना में 45 हजार से अधिक पद खाली हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा को बताया कि एक जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार सेना में कुल 45,634 पद रिक्त हैं। इनमें सेकंड लेफ्टिनेंट से ऊपर के रैंक के 7,399 पद शामिल हैं।

सिंह ने बताया कि इन रिक्तियों का कारण समय–समय पर पदों में वृद्धि, कठिन चयन प्रक्रिया, सर्विस करिअर में शामिल उच्च जोखिम स्थितियों के साथ साथ कठिन सेवा परिस्थितियां और प्रशिक्षण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना, सीमित प्रशिक्षण आदि हैं। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सेना में भर्ती एक निरंतर प्रक्रिया है।

फार्म नं. आईएनसी–26
{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
पिहानी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U01100DL1999PTC097802)
जिसका पंजीकृत कार्यालय :
1/4255, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली–110092 में हैं, के मामले में
....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **27 मई, 2019** को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया। यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करे या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली -110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय मे **1/4255, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली–110092** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दे।

कृते **पिहानी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड**
नीतु जैन
(निदेशक)
दिनांकः 24 जून, 2019
स्थानः दिल्ली
डीआईएनः 07709705

फार्म नं. आईएनसी–26
{कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में}
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 के कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले
और
साहनी बिल्डवेल एण्ड एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
(CIN: U74899DL1993PTC054486)
जिसका पंजीकृत कार्यालय :
1/4255, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली–110092 में हैं, के मामले में
....आवेदक कंपनी/ याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु **27 मई, 2019** को आयोजित बैठक में पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में बदलने हेतु पारित किया गया। यदि किसी व्यक्ति का हित कम्पनी में इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो, तो वे इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर निवेशक शिकायत फार्म दर्ज करे या क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली -110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय मे **1/4255, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली–110092** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दे।

कृते **साहनी बिल्डवेल एण्ड एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड**
नीतु जैन
(निदेशक)
दिनांकः 24 जून, 2019
स्थानः दिल्ली
डीआईएनः 07709705

Post Offer Advertisement under Regulation 18 (12) in terms of

जी-20 में हांगकांग मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं देगा चीन

बेजिंग, 24 जून (एएफपी)।

चीन ने सोमवार को कहा कि वह इस सप्ताह जापान में होने जा रहे जी-20 शिखर सम्मेलन में हांगकांग के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं देगा जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में प्रदर्शन पर चर्चा करने का मन बना रखा है। अर्ध-स्वायत्त देश में चीन के नए प्रत्यर्पण कानून के विरोध में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन जारी है। हांगकांग में इससे पहले 1997 में हांगकांग को चीन को सौंपे जाते समय सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया था।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में प्रदर्शन पर चर्चा करने का मन बना रखा है

चीन के उप विदेश मंत्री झांग जून ने कहा कि जी-20 वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का मंच है। शी और ट्रंप अमेरिका और चीन व्यापार युद्ध पर द्वीपक्षीय वार्ता के लिए राजी हो गए थे। शी की जी-20 में उपस्थिति के पूर्वावलोकन पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में झांग ने कहा, 'मैं आपको निश्चित तौर पर बता सकता हूं कि जी-20 में हांगकांग मुद्दे पर बातचीत नहीं की जाएगी और जी-20 को हांगकांग मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं देंगे।'

हांगकांग के चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र होने की बात दोहराते हुए उन्होंने कहा, 'हांगकांग मामला पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है और किसी भी विदेशी मुल्क को हस्तक्षेप का हक नहीं है।' गौरतलब है कि ट्रंप ने इस पर कहा था कि वह प्रदर्शन का कारण समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रदर्शनकारी चीन के साथ अपना विवाद सुलझा पाएंगे।

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने बाद में कहा था कि ट्रंप जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान शी से हांगकांग पर बातचीत करेंगे। जी-20 शिखर सम्मेलन इस शुक्रवार और शनिवार जापान के ओसाका में आयोजित हो रहा है।

सऊदी हवाई अड्डे पर यमन के विद्रोही हमले में एक व्यक्ति की मौत, 21 घायल

रियाद, 24 जून (एएफपी)।

दक्षिणी सऊदी अरब में एक नागरिक हवाई अड्डे पर यमन के एक विद्रोही हमले में रविवार को सीरिया के एक नागरिक की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले एक गठबंधन ने यह जानकारी दी है।

सैन्य गठबंधन ने बताया कि ईरान के साथ क्षेत्रीय तनावों के बीच आभा हवाई अड्डे पर हमले में मैक्डोनाल्ड के एक रेस्तरां के शीशे टूट गए और 18 वाहनों को नुकसान पहुंचा। गठबंधन ने बताया कि घायल में सऊदी अरब, मिस्र, भारत और बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं जिसमें तीन महिला और दो बच्चे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

सऊदी अरब के शहरों पर ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के बढ़ते हमलों से लाल सागर के बंदरगाह शहर होदेडा के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रयोजित संघर्ष विराम समझौते को लेकर मुश्किल आ रही है।

यह मानवीय सहायता के लिए युद्धग्रस्त यमन का मुख्य मार्ग है। सैन्य गठबंधन ने एक बयान में सरकारी सऊदी प्रेस एजंसी को बताया, 'ईरान समर्थित हुती मिलिशिया ने आभा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आतंकी हमला किया जिसमें एक सीरियाई नागरिक की मौत हो गई और 21 अन्य नागरिक घायल हो गए।' गठबंधन ने यह जानकारी नहीं दी कि हवाई अड्डे पर हमला कैसे हुआ। हालांकि ईरान से संबद्ध हुती विद्रोहियों ने इस महीने बार-बार ड्रोन और मिसाइलों से नागरिक सुविधा केंद्रों को निशाना बनाया है।

महिला अधिकारों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन पर पाक में बवाल

इस्लामाबाद, 24 जून (एएफपी)।

पाकिस्तान में डिटर्जेंट के एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के विज्ञापन को लेकर हंगामा मच गया है जिसमें रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक देश में लैंगिक भेदभाव पर सवाल उठाए गए हैं। आलोचक इस्लाम का कथित तौर पर अपमान किए जाने की बात कह कंपनी की निंदा कर रहे हैं।

अमेरिकी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैंबल के स्वामित्व वाले एरियल साबुन के विज्ञापन में महिलाओं से रूढ़िवादी नियमों को तोड़ने और करियर की दिशा में आगे बढ़ने को कहा गया है।

विज्ञापन में विभिन्न पेशों की कई महिलाओं को दिखाया गया है जिसमें एक पत्रकार और एक डॉक्टर भी शामिल हैं जिन्हें रस्सी पर टंगी चार मैली चादरों को हटाते हुए दिखाया गया है। इन चादरों पर पाकिस्तान में महिलाओं को लेकर कहे जाने वाली कुछ रूढ़िवादी बातों का जिक्र है मसलन 'लोग क्या कहेंगे?', 'चारदीवारी में रहो' आदि।

विज्ञापन पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्माह मारूफ के इस कथन के साथ समाप्त होता है, 'चारदीवारी में रहो, ये सिर्फ वाक्य नहीं बल्कि दाग हैं।' इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर खूब प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं जिसमें रूढ़िवादी लोग ट्विटर पर 'एरियल का बहिष्कार करो' जैसे हैशटैग का प्रयोग कर रहे हैं।

कुछ लोग इसे इस्लाम का अपमान बता रहे हैं तो कुछ लोग इन उदारवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जो पाकिस्तान में उदारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी नियामकों ने इस विज्ञापन पर सेंसर लगाने और इसे हटाने की मांग की।

पाक : दूसरी शादी के लिए लेनी होगी मध्यस्थता परिषद से मंजूरी

इस्लामाबाद, 24 जून (भाषा)।

पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को व्यवस्था दी कि मुसलिम पुरुष को दूसरी शादी करने के लिए मध्यस्थता परिषद से इजाजत लेनी जरूरी है, भले ही पहली पत्नी ने उसे अनुमति क्यों नहीं दे रखी हो।

'जियो टीवी' ने खबर दी है कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने सोमवार को 12 पन्नों का आदेश जारी किया जिसके मुताबिक, पुरुष को दूसरी शादी करने से पहले मध्यस्थता परिषद से इजाज़त लेना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के होते हुए दूसरा निकाह करना चाहता है तो उसे कानून में दी गई प्रक्रिया और शर्तों को पूरा करना होगा, नहीं तो उसे जेल जाना होगा या जुर्माना भरना होगा या दोनों चीज़ें भुगतनी होंगी।

मुसलिम परिवार कानून अध्यादेश 1961 के तहत पहली पत्नी के होते हुए कोई भी व्यक्ति मध्यस्थता परिषद की लिखित मंजूरी के बिना दूसरा निकाह नहीं कर सकता है। अदालत लियाकत अली मीर नाम के एक व्यक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। मीर ने 2011 में प्रेम विवाह किया था और उसने 2013 में मध्यस्थता परिषद और पहली पत्नी की अनुमति के बिना दूसरा निकाह कर लिया। अदालत ने कहा कि मुसलिम परिवार अध्यादेश 1961 के तहत बिना इजाजत दूसरी शादी करने वाला सजा और जुर्माने का हकदार है।

अमेरिका के अरबपतियों ने कहा, हम पर अधिक कर लगाओ

न्यूयॉर्क, 24 जून (एएफपी)।

अमेरिका के करीब 20 अरबपतियों ने सोमवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन और अन्य प्राथमिकताओं का पूरा करने के लिए उन पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए। सोमवार को इन अत्यधिक अमीर अमेरिकियों ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों से कहा कि वे अमीरों पर ऊंचा कर लगाने को समर्थन दें। यह संदेश देने वाले समूह में जॉर्ज सोरोस, फेसबुक के सह संस्थापक क्रिस ह्यूजेज, वॉल्ट डिज्नी के वंशज और हयात होटल शृंखला के मालिक शामिल हैं। समूह ने कहा कि अमेरिका की हमारी संपत्ति पर अधिक कर लगाना एक नैतिक, सैद्धान्तिक और आर्थिक जिम्मेदारी बनती है। इन लोगों ने कहा कि अरबपति निवेशक वारेन बफे ने कहा था कि उन पर उनके सचिव से भी कम की दर से कर लगता है।

ईरान से 'राजनयिक हल' निकालने को कहा

अबूधाबी, 24 जून (एएफपी)।

अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने सोमवार को संयुक्त बयान जारी करके ईरान के साथ बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिए 'कूटनीतिक हल' निकालने की बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यह बयान सऊदी और अमीरात के नेताओं से बातचीत के बाद जारी किया। इसमें कहा गया है कि उन्होंने ईरान से अपील की है कि ऐसी किसी होने वाली कार्रवाई को रोक दिया जाए जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती मिलती है।

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष
कम्पनी योजना आवेदन सं. 23 ऑफ 2018

कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में
और
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रोवधानों के मामले में
और
एचएंडएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड और हैड्रिक एंड स्ट्रगल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के समामेलन की योजना के मामले में

एचएंडएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लोर नं. 10, बिल्डिंग नं. 9बी डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-3, गुड़गांव-122002 में है ——हस्तांतरणकर्ता कम्पनी

हैड्रिक एंड स्ट्रगल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लोर नं. 10, बिल्डिंग नं. 9बी डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-3, गुड़गांव-122002 में है ——हस्तातरिती कम्पनी

इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारो की बैठक के आयोजन की जानकारी की सूचना एवं विज्ञापन

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण की चंडीगढ़ पीठ ने अपने आदेश दिनांक 14 जून, 2019 के माध्यम से एचएंडएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड और हैड्रिक एंड स्ट्रगल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के सम्मिश्रण की योजना में समाविष्ट प्रस्तावित सम्मिश्रण पर विचार करने, और यदि जरूरी हुआ तो उसे संशोधन या बिना संशोधन उसे अनुमोदित करने के प्रयोजन हेतु हस्तातरिती कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारो की एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है।

कथित आदेश एवं निर्देश के अनुसरण में एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि हस्तातरिती कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारो की बैठक फ्लोर नं. 10, बिल्डिंग नं. 9बी डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-3, गुड़गांव-122002, इंडिया में 27 जुलाई, 2019 को प्रातः 10.00 बजे और प्रातः 11.00 बजे आयोजित की जाएगी जिसके लिए सभी इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारो को कथित समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है।

कथित योजना की प्रतियां और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अंतर्गत विवरण समामेलित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। बैठक में भाग लेने और वोट देने का पात्र व्यक्ति कथित बैठक में स्वयं या प्रॉक्सी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या डाक मतपत्र के माध्यम से वोट दे सकता है बशर्ते कि निर्धारित प्रारूप में सभी प्रॉक्सी फार्म हस्तातरिती कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व किसी भी दिन (जिसमें शनिवार, रविवार और कोई अन्य छुट्टी के दिन) बैठक से एक दिन पूर्व जमा करा सकते है,

प्रॉक्सी फार्म हस्तातरिती कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

अधिकरण ने कथित इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारो की बैठक के लिए श्री प्रवीण गुप्ता को अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में श्री विपिन भास्कर को वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। उपरोक्त वर्णित योजना, यदि इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारो की बैठक में अनुमोदित हो जाती है तो यह अधिकरण के अनुवर्ती स्वीकृति के अधीन होगी।

हस्ताक्षर
प्रवीण गुप्ता
2315, सैक्टर 38-सी, चंडीगढ
बैठको के लिए नियुक्त अध्यक्ष

दिनांक : 21.06.2019

सार्वजनिक सूचना

सार्वसाधाराण को ये सूचित किया जाता है, कि राजनीतिक दल "नागरिक विकास पार्टी" (दल का नाम) के नाम से रजिस्ट्रीकृत होना प्रस्तावित है । पार्टी कार्यालय पता :-नागरिक विकास पार्टी, ७२८, एबीसी, एकता नगर, प्रोफेशनल कुरियर के सामने, मोदी हुण्डाई शो-रूम के पास, सातिवली, वसई रोड, वसई (पूर्व), जिला-पालघर, महाराष्ट्र-४०१ २०८ में स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा २९क उप-उपधारा (४) के अधीन राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है। पार्टी के पदाधिकारीयों के नाम / पता नीचे दिये गये है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष :- श्री. संतोष जयगोविन्द सिंह
पता :- ७२८, एबीसी, एकता नगर, प्रोफेशनल कुरियर के सामने, मोदी हुण्डाई शो-रूम के पास, सातिवली, वसई रोड, वसई (पूर्व), जिला-पालघर, महाराष्ट्र राज्य -४०१ २०८ भारत.

राष्ट्रीय महासचिव :- डॉ. बृजेश रामसिंगार पाण्डे
पता :- नारायण दर्शन अपोर्टमेंट, एच-विंग, ४१७/४१८, शिवाजी नगर, वालधुनी, कल्याण, जिला-थाना, पिनकोड-४०१ ३०६, महाराष्ट्र राज्य, भारत.

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष :- श्री. देवेन्द्र सिंह सैनी
पता :-बी-४०१/४०२, रॉयल नेस्ट, सी. एस. एस. लिमिटेड, मीरा-भायन्दर रोड, शिवर गार्डन, मीरा रोड, ठाणे, पिनकोड-४०१ २०७, महाराष्ट्र राज्य, भारत.

यादि किसी को "नागरिक विकास पार्टी" (प्रस्तावित पार्टी का नाम) के रजिस्ट्रीकरण में कोई आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति इसके कारणों सहित सचिव (राजनीतिक दल) भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-११० ००१ को इस सूचना के प्रकाशन के ३० दिनों के भीतर भेजें।

समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु विज्ञापन देने वाले के नाम व पद

राष्ट्रीय अध्यक्ष :- श्री. संतोष जयगोविन्द सिंह
राष्ट्रीय महासचिव :- डॉ. बृजेश रामसिंगार पाण्डे
राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष :- श्री. देवेन्द्र सिंह सैनी

धनलक्ष्मी बैंक लि.
नं. 10185 ए, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना
नियम 8 (6) का प्रावधान देखें:

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका धनलक्ष्मी बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की मै. राधिका प्रसाद एंड सन्स, मै. सुशील कुमार सुनील कुमार, श्री राधिका प्रसाद गुप्ता, श्री कामता प्रसाद गुप्ता, श्री राहुल कुमार तथा श्री सुशील कुमार से धनलक्ष्मी बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये रु. 5,73,77,322.32 (रुपये पांच करोड़ तिहत्तर लाख सतहत्तर हजार तीन सौ बाईस एवं पैसे बत्तीस मात्र) अर्थात् मैं राधिका प्रसाद एंड संस की खाता में रु. 2,87,05,134.27 तथा मै. सुशील कुमार सुनील कुमार की खाता में रु. 2,86,72,188.05 की वसूली के लिये 31.7.2019 को "जैसा है जहां है", "जो भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 43,00,000/- (रुपये तैंतालिस लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 4,30,000/- (रुपये चार लाख तीस हजार मात्र) होगा।

विवरण के साथ सम्पत्ति का पता

श्री राधिका प्रसाद के नाम में गाता नं. 766, खाता नं. 269, ग्राम/मौजा-मरौचा तेतारपुर, परगणा-जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर, जिला अमेठी में स्थित भूमि की अचल सम्पत्ति मापः 0.759 हेक्टे. अर्थात् 7590 वर्ग मी.
चौहद्दीः
पूर्वः राम चन्दर की भूमि, पश्चिमः नाली
उत्तरः ग्राम मुबारकपुर का क्षेत्र
दक्षिणः राम चन्दर की भूमि।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया धनलक्ष्मी बैंक की वेबसाईट अर्थात् **www.dhanbank.com** में दी गई लिंक देखें।

तिथिः 24.06.2019 **धनलक्ष्मी बैंक लि.**
स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**

एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लि. (अर्सिल)
मै. जलपैक इंडिया लिमिटेड (परिसमापन में) से संबंधित वित्तीय परिसम्पत्तियों के संदर्भ में स्थापित ट्रस्ट(टों) के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत
अर्सिल कार्यालयः द रुबि, 10वाँ तल, 29, सेनापति बापत मार्ग, दादर (वेस्ट), मुम्बई-400028, फोन नं. 022-66581300, फैक्सः 022-66581313/14, वेबसाईटः www.arcil.co.in
CIN:U65999MH2002PLC134884

बिक्री के लिये सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 (2) तथा 8 (6) साथ पठित 9 (1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत चल एवं अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधार(कों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित चल एवं अचल सम्पत्ति जो अर्सिल के पास गिरवी है, जिसका एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखंड के आदेशों के अनुपालन में किया गया है, की 18 अक्टूबर, 2011 से जलपैक इंडिया लिमिटेड (परिसमापन में) से अर्सिल के बकाये के भुगतान एवं/अथवा वसूली की तिथि तक आगे के ब्याज एवं खर्चे के साथ 17 अक्टूबर, 2011 के अर्सिल के बकाये रु. 24,74,17,328/- (रुपये चौबीस करोड़ चौहत्तर लाख सत्तरह हजार तीन सौ अट्ठाईस मात्र) की वसूली के लिये 26 जुलाई, 2019 को 3.00 बजे अप. में "जैसा है जहां है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 15,08,00,000/- (रुपये पन्द्रह करोड़ आठ लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 1,50,80,000/- (रुपये एक करोड़ पचास लाख अस्सी हजार मात्र) होगी।

प्रतिभूति परिसम्पत्तियों का विवरण

राशि रु.

लॉट	सम्पत्ति का विवरण	मिश्रित धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)	आरक्षित मूल्य (आरपी)
लॉट-1	उस पर विद्यमान भवन के साथ उत्तराखंड राज्य में ग्राम तुलाराम, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल में खाता खतौनी नं. 6, खेत नं. 2/1 तथा भूमि माप 34 बीघा, 1 विसवा तथा 6 बिसवानी के संदर्भ में फ्रीहोल्ड गैर कृषि भूमि, माप 7 बीघा, 17 विसवा तथा 8 बिसवानी तथा खेत नं. 2/1 (पार्ट), 10, 83, 84 एवं 85 का सभी भाग तथा हिस्सा।	1,13,80,000/- (रुपये एक करोड़ तेरह लाख अस्सी हजार मात्र)	11,38,00,000/-(रुपये ग्यारह करोड़ अड़तीस लाख मात्र)
लॉट-2	उपरोक्त प्लान्ट एवं मशीनरी (विवरण के लिये बोली दस्तावेज देखें।)	37,00,000/- (रुपये सैंतीस लाख मात्र)	3,70,00,000/-* (रुपये तीन करोड़ सत्तर लाख मात्र)
लॉट-3	लॉट 1 एवं 2 के लिये मिश्रित बोली**	1,50,80,000/- (रुपये एक करोड़ पचास लाख अस्सी हजार मात्र)	15,08,00,000/- (रुपये पन्द्रह करोड़ आठ लाख मात्र)

* लागू दर पर जीएसटी लागू तथा सफल बोलीदाता को बिक्री राशि से ऊपर एवं अतिरिक्त उसका भुगतान करना होगा।
** लॉट-3 अर्थात् मिश्रित बोली के लिये बोली करने वाले बोलीदाताओं को प्राथमिकता दी जायेगी तथा प्राधिकृ अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
अर्सिल को ज्ञात अधिभारों/सांवधिक देयताओंः वर्ष 2012-13 के अंतिम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसारः (रु करोड़)

क्रम सं.	विवरण	राशि
1.	बिक्री कर के लिये विवादित देयताएं	8.78
2.	एन्ट्री टैक्स	0.06
3.	केन्द्रीय आबकारी	1.40
4.	उत्पाद शुल्क	4.20
5.	निर्यात दायित्व	130.41
6.	भविष्य निधि*	0.35
7.	कर्मियों के बकाये	0.84
	कुल	146.04

* जलपैक इंडिया लि. (परिसमान में) के पत्र तिथि 5 जून, 2012 के अनुसार चूंकि कम्पनी परिसमापन के अधीन है, बिक्री राशि तथा सांविधित देयताओं का वितरण लागू होने वाले कानूनों (अर्थात्-सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(9) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 529ए के अनुसार तथा राजकीय परिसमापक द्वारा निर्णित दावों के अनुरूप किया जायेगा।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड-प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् http://www.arcil.co.in में दी गई लिंक देखें अथवा श्री मेराज सईद (9820485425/022-66248656) तथा श्री योगेश नेरकार, 9823067953 से सम्पर्क करें।

स्थानः मुम्बई **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 26.06.2019 **एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लि.**

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
भौतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिक्न्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाए गए खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक खाते के सामने दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति/सम्पत्तियों का **भौतिक अधिग्रहण** कर लिया है। ऋणी/ऋणियों/ गारन्टरों/ बंधककर्ताओं को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति/सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क0 सं0	शाखा का नाम	खाते का नाम खाता सं0	ऋणकर्ता का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि,मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	भौतिक कब्जे की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	रिठानी	मैसर्स साईनाथ फूड प्रोडक्ट खाता सं0 4876008700000206	श्री देवेश कुमार अग्रवाल पताः निवासी सी-106, यूरोपीयन एस्टेट, कंकरखेडा, मेरठ	भूमि का उत्तरी भाग क्षेत्रफल 1673 वर्ग मीटर स्थित, गाँव अघरोंडा, दिल्ली रोड, मेरठ, संपत्ति श्रीमती सुमन अग्रवाल के नाम पर। सीमायें:-पूर्वः 137',9'' रेलवे लाइन से लगा हुआ पश्चिमः 159',7'' रास्ते से लगा हुआ फिर कनल उत्तरः 155' अन्य भूमि से से लगा हुआ दक्षिणः 99',6'' दूसरे की भूमि से लगा हुआ	02.08.2016 रु. 75,29,072.00 दिनांक 01.01.2016 से ब्याज व अन्य खर्चे	20-06-2019 सांकेतिक कब्जे की तिथि 18-10-2016	श्री जी. एस. अग्रवाल

दिनांकः- 21.06.2019 स्थानः- मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !
सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिक्न्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाए गए खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक खाते के सामने दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति/सम्पत्तियों का **सांकेतिक अधिग्रहण** कर लिया है। ऋणी/ऋणियों/ गारन्टरों/ बंधककर्ताओं को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति/सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क0 सं0	शाखा का नाम	खाते का नाम	ऋणकर्ता का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि,मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सांकेतिक कब्जे चिपकाने की तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	ई. के. रोड, मेरठ	मैसर्स वी बी प्रोटीनस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 11, सुनीता प्लाजा, 187, आबूलेन, मेरठ (यूपी) (ऋणकर्ता)	1.मैसर्स वी बी प्रोटीनस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 11, सुनीता प्लाजा, 187, आबूलेन, मेरठ (यूपी)। 2. श्री बब्बुद्दीन पुत्र हाजी कलवा (गारंटर), 578, अली नगर, कोटला मेवातियान, रामपुर रोड, हापुड़, यूपी। 3. हाजी हामिद पुत्र हाजी कलवा (गारंटर), 577, अली नगर, कोटला मेवातियान, रामपुर रोड, हापुड़, यूपी। 4. मौ. कासिम पुत्र हाजी मगीद अली (गारंटर), 577, अली नगर, कोटला मेवातियान, रामपुर रोड, हापुड़, यूपी। 5. श्री लियाकत खान पुत्र श्री ए. एम. खान (गारंटर), 578, अली नगर, कोटला मेवातियान, रामपुर रोड, हापुड़, यू पी। 6. श्री साजत खान पुत्र लियाकत खान (गारंटर), 578, अली नगर, कोटला मेवातियान, रामपुर रोड, हापुड़, यू पी।	भूमि के सभी भाग और पार्सल, खसरा नंबर 913-एम आई, क्षेत्रफल 0.6200 हेक्टेयर, स्थित सुनहरी मस्जिद, सैय्यद भुराहा दरगाह के पास, रामपुर रोड हापुड़, परगना, तहसील और जिला-हापुड़, स्वामित्व हाजी हामिद अली और मौ. कासिम और लियाकत खान और साजत खान और बब्बुद्दीन।	13.02.2018 रु. 2,71,87,739.04 दिनांक 01.09.2018 से ब्याज व अन्य खर्चे	21.06.2019	राहुल शर्मा-सीएम, शाखा.: ई. के. रोड

दिनांकः- 21.06.2019 स्थानः- मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

(This is only an advertisement for information purpose and not a Prospectus announcement.

तृणमूल विधायक सहित कई नेता भाजपा में शामिल : तृणमूल कांग्रेस के विधायक विल्सन चांपरामैरी और दक्षिण दिनाजपुर की एक स्थानीय इकाई की अध्यक्ष समेत कई अन्य पार्टी नेता सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय, पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष और पार्टी महासचिव और राज्य के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्टी में शामिल हो गए।

राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सैनी का निधन

जयपुर/नई दिल्ली, 24 जून (भाषा)।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य मदन लाल सैनी (75) का सोमवार को नई दिल्ली में निधन हो गया। उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। भाजपा के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि सैनी को कुछ ही दिन पहले नई दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि सैनी का निधन भाजपा के लिए एक बड़ी क्षति है।

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, 'राज्यसभा सदस्य मदन लाल सैनी के आकस्मिक निधन से दुखी हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।'

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, पीठ, दिल्ली के समक्ष
सीए 80/60 से 2019 का 62/ एनडी जो सीए/ 133/ 2018 के एनडी से जुड़ा है
लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट, 2008 के मामले में, तथा
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 की धारा 60 से 62 के मामले में

मामले में: मोरली डीलर्स एलएलपी, एलएलपीआईएन एएडी-5843
ई-मेल पता: companyinformationroc@gmail.com. पैन: ABAFM5394A
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 के अंतर्गत निगमित फर्म जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-153, प्रथम तल, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060 में है — आवेदक/अंतरक फर्म सं. 1

तथा
फर्न डीलर्स एलएलपी, एलएलपीआईएन एएडी-3933
ई-मेल पता: companyinformationroc@gmail.com. पैन: AAEFF1995M
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 के अंतर्गत निगमित फर्म जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-153, प्रथम तल, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060 में है — आवेदक/अंतरक फर्म सं. 2

तथा
सैपिन डिस्ट्रीब्यूटर्स एलएलपी, एलएलपीआईएन एएडी-5859
ई-मेल पता: companyinformationroc@gmail.com. पैन: ACUFS3595G
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 के अंतर्गत निगमित फर्म जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-153, प्रथम तल, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060 में है — आवेदक/अंतरक फर्म सं. 3

तथा
जय दुर्गा होम टैक्स एलएलपी, एलएलपीआईएन एएडी-5353
ई-मेल पता: companyinformationroc@gmail.com. पैन: AALFJ0134B
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 के अंतर्गत निगमित फर्म जिसका पंजीकृत कार्यालय यूसी-27-ए, उषा पार्क, नई दिल्ली-110058 में है — आवेदक/अंतरक फर्म सं. 4

तथा
आइरिस डीलर्स एलएलपी, एलएलपीआईएन एएडी-5842
ई-मेल पता: companyinformationroc@gmail.com. पैन: AAFFI1851E
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 के अंतर्गत निगमित फर्म जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-153, प्रथम तल, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060 में है — आवेदक/अंतरक फर्म सं. 5

के साथ
वीएचए होल्डिंग्स एलएलपी, एलएलपीआईएन एएडी-7358
ई-मेल पता: companyinformationroc@gmail.com. पैन: AAMFV5928J
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 के अंतर्गत निगमित फर्म जिसका पंजीकृत कार्यालय यूसी-29-ए, उषा पार्क, नई दिल्ली-110058 में है — आवेदक/अंतरिती फर्म

याचिका की सूचना

मोरली डीलर्स एलएलपी अर्थात आवेदक/ अंतरक फर्म सं. 1 तथा फर्न डीलर्स एलएलपी अर्थात आवेदक/ अंतरक फर्म सं. 2 तथा सैपिन डिस्ट्रीब्यूटर्स एलएलपी अर्थात आवेदक/ अंतरक फर्म सं. 3 तथा जय दुर्गा होम टैक्स एलएलपी अर्थात आवेदक/ अंतरक फर्म सं. 4 तथा आइरिस डीलर्स एलएलपी अर्थात आवेदक/ अंतरक फर्म सं. 5 के साथ वीएचए होल्डिंग्स एलएलपी, आवेदक/ अंतरिती फर्म के सममेलन की योजना पर माननीय कम्पनी विधि अधिकरण, दिल्ली की स्वीकृति के लिये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 की धारा 60 से 62 के अंतर्गत एक याचिका ऊपर नामित याचिकाकर्ताओं/ आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई थी तथा उसे 19 मई, 2019 को स्वीकृत किया गया तथा उक्त आवेदन पर माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, दिल्ली के समक्ष 8 अगस्त, 2019 को सुनवाई निर्धारित की गई है।

उक्त याचिका का समर्थन अथवा विरोध करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति अपने नाम तथा अधिवक्ता के पते के साथ स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने आशय की सूचना आवेदक के अधिवक्ता के पास याचिका की सुनवाई की निर्धारित तिथि से कम से कम 5 दिन पूर्व तक भेजें। यदि वे याचिका का विरोध करना चाहते हों तो उस सूचना के साथ विरोध के कारणों अथवा शपथ पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करें। उसके लिये निर्धारित शुल्कों के भुगतान पर उसे प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी द्वारा याचिका की एक प्रति उपलब्ध कराई जायेगी।

आशीष मिधा, अधिवक्ता
याचिकाकर्ताओ के सलाहकार
आई-859, पालम विहार, गुरुग्राम, हरियाणा-122017
0124-2366859, मो. 9810057257

तिथि: 25/06/19
स्थान: नई दिल्ली

वाईएमएस मोवीटेक प्राईवेट लिमिटेड
(परिसमापन के अधीन)

परिसमापक: प्रभजीत सिंह सोनी जीजी1/144/सी, पीवीआर सिनेमा के निकट, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018
9310262298, 9810262298,
liquidationyms@gmail.com PSGURLEENSONI@GMAIL.COM

ई-निविदा बिक्री सूचना

दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके अंतर्गत विनियमन के अधीन एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्तियों की वेबसाईट http://www.eauctions.co.in के माध्यम से सेवा प्रदाता वाईएमएस मोवीटेक प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी।

नीलामी की तिथि एवं समय	मंगलवार, 15.7.2019 को 1.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	13.7.2019 को 5.00 बजे अप. से पूर्व
निरीक्षण की तिथि एवं समय	रविवार, 7.7.2019 को 12 बजे अप. से 5.00 बजे अप. तक निरीक्षण के लिये सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति: श्री पी.एस.सोनी, परिसमापक, सम्पर्क नं. 9810262298, 9310262298

दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके अंतर्गत विनियमन के अधीन एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्तियों की वेबसाईट http://www.eauctions.co.in के माध्यम से सेवा प्रदाता वाईएमएस मोवीटेक प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ई-नीलामी द्वारा बिक्री की जायेगी।

लॉट नं.	विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
1.	सभी ब्रैण्ड्स के 5100 मोबाईल फोन	96,00,000	6,00,000
2.	कम्पनी सॉफ्टवेअर एपीपी	5,00,000	50,000
3.	एजक्रेड प्राईवेट लिमिटेड के 500 शेयर्स	27,00,000	2,00,000

इच्छुक बोलीदाता को ''वाईएमएस मोबीटेक प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में) की खाता, देना बैंक, खाता नं. 148311031126 तथा आईएफएससी कोड: BKDN0711483 में 13.07.2019 को या उससे पूर्व एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा अथवा ''वाईएमएस मोबीटेक प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)'' के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा ईएमडी (प्रतिदेय) का भुगतान करना होगा। ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये http://www.eauctions.co.in/ अथवा www.sunresolution.in पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज देखें। ई-नीलामी से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिये श्री दीक्षित प्रजापति (एम: 7874138237) से admin@eacutions.co.in पर या परिसमापक से LIQUIDATIONYMS@GMAIL.COM पर सम्पर्क करें।

प्रभजीत सिंह सोनी
(परिसमापक)
वाईएमएस मोबीटेक प्राईवेट लिमिटेड के लिये
(परिसमापन में)
IBBI/IPA-002/IP-N00065/2017-2018/10143

तिथि: 20 जून, 2019
स्थान: नई दिल्ली

कार्पोरेशन बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय-उत्तरी दिल्ली, द्वितीय तल, फैज रोड-1, नई दिल्ली-110005, फोन नं० 011-28754615, 28754642, ईमेल- dlirec@corpbank.co.in, वेबसाइट- www.corpbank.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा कार्पोरेशन बैंक (प्रत्याभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, कार्पोरेशन बैंक की निम्नलिखित कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) की तरफ निम्नानुसार बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नवर्णित तिथि को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि का भी वर्णन नीचे किया गया है :-

शाखा का नाम एवं पता	गाजियाबाद रामप्रस्थ शाखा, फोन नंबर 0120-2643915, 2641568	
कर्जदार एवं गारंटर/रों का नाम	**कर्जदार :** श्री घामा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. 3 एफ 7 एस 2, नेहरू नगर, तृतीय खंड एफ, गाजियाबाद स्वामी का नाम : श्री राकेश उपाध्याय, श्री मयंक उपाध्याय **गारंटर :** श्री राकेश उपाध्याय,	बकाया राशि - रू. 59,61,564.60 + ब्याज एवं अन्य प्रभार

सम्पत्ति सं. 1 एसएफ 15सी नीहो स्कॉटिश मॉल, अहिंसा खंड-।।, इंदिरापुरम, गाजियाबाद स्थित कार्यालय सम्पत्ति का ईएमजी (भौतिक कब्जा)
एरिया ब्योरा : 427.00 वर्ग फीट अथवा 39.660 वर्ग मीटर सुपर कवर्ड एरिया का ईएमजी
सम्पत्ति सं. 2 एसएफ 15बी नीहो स्कॉटिश मॉल, अहिंसा खंड-।।, इंदिरापुरम, गाजियाबाद स्थित कार्यालय सम्पत्ति का ईएमजी (भौतिक कब्जा)
एरिया ब्योरा : 315.00 वर्ग फीट अथवा 29.260 वर्ग मीटर सुपर कवर्ड एरिया **(दोनों कार्यालय जुड़े हुए हैं तथा एक कार्यालय बना दिया गया है)**
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 11-07-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अप. 1.15 बजे तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ। सुरक्षित मूल्य : रू. 53,93,000/-, जमा करने हेतु धरोहर राशि : रू. 5,39,300/-
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/shree_dhama_infrastructure_pvt_ltd_0.pdf में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

कर्जदार एवं गारंटर/रों का नाम	**कर्जदार :** ग्लेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 3-एम-सीएसए-109-ए, अंसल प्लाजा, वैशाली, गाजियाबाद **स्वामी का नाम :** श्री राजीव कपूर **गारंटर :** 1. श्री राजीव कपूर, 2. विपिन कपूर, 3. वंदना कपूर, 4. अर्चना कपूर, 5. ग्लेयर स्टील्स ऐण्ड वाल्व्स प्रा. लि.	बकाया राशि - रू. 5,80,80,240.00 + ब्याज एवं अन्य प्रभार

सम्पत्ति सं. 3 खाता नंबर 273, खसरा नंबर 402 में भूमि परिमाप 2300 वर्ग मीटर, खाता नंबर 511, खसरा नंबर 424 में भूमि परिमाप 3700 वर्ग मीटर, ग्राम कन्डौला, परगना डासना, तहसील हापुड, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के सभी अंश एवं खंड।
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 11-07-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अप. 1.15 बजे तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ। सुरक्षित मूल्य : रू. 3,42,00,000/-, जमा करने हेतु धरोहर राशि : रू. 34,20,000/-
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/shree_dhama_infrastructure_pvt_ltd_0.pdf में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

कर्जदार एवं गारंटर/रों का नाम	**कर्जदार :** ग्लेयर स्टील ऐण्ड वाल्व्स प्रा. लिमिटेडए, 9/123, सुभाष गली, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली **गारंटर :** 1. श्री राजीव कपूर, 2. विपिन कपूर, 3. ग्लेयर केमिकल्स प्रा. लि.	बकाया राशि - रू. 5,80,80,240.00 + ब्याज एवं अन्य प्रभार

सम्पत्ति सं. 4 खाता नंबर 278, खसरा नंबर 32 में भूमि परिमाप 4342 वर्ग मीटर, ग्राम हवाल, तहसील हापुड़ के सभी अंश एवं खंड।
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 11-07-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अप. 1.15 बजे तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ। सुरक्षित मूल्य : रू. 1,08,70,000/-, जमा करने हेतु धरोहर राशि : रू. 10,87,000/-
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/shree_dhama_infrastructure_pvt_ltd_0.pdf में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

कर्जदार एवं गारंटर/रों का नाम	**कर्जदार :** ग्लेयर केमिकल्स प्रा. लि., 211, बृज विहार, गाजियाबाद, **गारंटर :** 1. विपिन कपूर, 2. श्री राजीव कपूर,	बकाया राशि - रू. 92,68,245.38 + ब्याज एवं अन्य प्रभार

सम्पत्ति सं. 5 औद्योगिक प्लॉट नबंर जी317 तथा 318 और उसके ऊपर बिल्डिंग, मसूरी-गुलावठी रोड, यूपीएसआईडीसी इंड. एरिया, फेज-2, डासना, तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद (मूलतः मैसर्स अर्चना इंसुलेशन प्रा. लि. को बंधक)
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 11-07-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अप. 1.15 बजे तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ। सुरक्षित मूल्य : रू. 92,90,000/-, जमा करने हेतु धरोहर राशि : रू. 9,29,000/-
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/shree_dhama_infrastructure_pvt_ltd_0.pdf में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

शाखा का नाम एवं पता	तिलक नगर शाखा, फोन नंबर 011-25996927, 25990655, 25990736	
कर्जदार एवं गारंटर/रों का नाम	**कर्जदार :** मूव ऐंड टॉक दिल्ली, डी-114, जेल रोड, फतेह नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली **स्वामी का नाम :** कमलजीत कौर **गारंटर :** 1. गुरदीप, 2. कमलजीत कौर, 3. जसविंदर सिंह, 4. जसवीर कौर	बकाया राशि - रू. 1,45,36,972.78 + ब्याज एवं अन्य प्रभार

सम्पत्ति सं. 6 श्रीमती जसवीर कौर के नाम आवासीय सम्पत्ति सं. डब्ल्यूजेड/33, प्लॉट नंबर 141, खसरा नंबर 1215, मुखर्जी पार्क, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018 के सभी अंश एवं खंड। (भौतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 11-07-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अप. 1.15 बजे तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ। सुरक्षित मूल्य : रू. 1,62,18,000/-, जमा करने हेतु धरोहर राशि : रू. 16,21,800/-
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/shree_dhama_infrastructure_pvt_ltd_0.pdf में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

सम्पत्ति सं. 7 श्रीमती गुरविंदर कौर के नाम आवासीय सम्पत्ति सं. 22/1ए, द्वितीय तल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018 के सभी अंश एवं खंड। (भौतिक कब्जा)
ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 11-07-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अप. 1.15 बजे तक 10 मिनट के असीमित स्वतः विस्तार के साथ। सुरक्षित मूल्य : रू. 45,90,000/-, जमा करने हेतु धरोहर राशि : रू. 4,59,000/-
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/shree_dhama_infrastructure_pvt_ltd_0.pdf में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

दिनांक: 25.06.2019, स्थान: दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक**

ई-नीलामी सूचना
इंटीग्रेटेड कैप्स प्रा. लि. (समापनाधीन)
पंजीकृत कार्यालय : 42, आनन्द लोक, नई दिल्ली-110049
ऋणशोध एवं दिवालिया संहिता, 2016 के अधीन परिसम्पत्तियों का विक्रय
नीलामी की तिथि एवं समय : 10 जुलाई, 2019 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक
(5 मिनट के असीमित विस्तार सहित)

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, पीठ-IV के आदेश दिनांक 01 फरवरी, 2019 (आदेश प्राप्ति की तिथि 06.02.2019) द्वारा नियुक्त परिसमापक के कब्जे में इंटीग्रेटेड कैप्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापन सम्पदा के अंग के रूप में इंटीग्रेटेड कैप्स प्राइवेट लिमिटेड (समापनाधीन) के स्वामित्व की परिसम्पत्तियों तथा सम्पदाओं का विक्रय। सम्पत्तियों का विक्रय ई-नीलामी प्लेटफार्म https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जायेगा।

सम्पत्तियों का विवरण

	परिसम्पत्तियाँ	कुल क्षेत्रफल
भूमि	औद्योगिक प्लॉट सं. 92, ब्लॉक नं.-सी, होजरी कॉम्पलेक्स, फेज-II, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201301	1000 वर्ग मीटर
	औद्योगिक प्लॉट सं. 93-94, ब्लॉक सं.-सी, होजरी कॉम्पलेक्स, फेज-II, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201301	2000 वर्ग मीटर
	औद्योगिक प्लॉट सं. 96-97, ब्लॉक सं.-सी, होजरी कॉम्पलेक्स, फेज-II, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.-201301	3000 वर्ग मीटर
भवन (यूनिट II)	भूतल	—
	आरसीसी	228 वर्ग फीट
	टिन शेड	18,779 वर्ग फीट
	प्रथम तल	
	आर.सी.सी.	1,760 वर्ग फीट
	टिन	17,335 वर्ग फीट
	द्वितीय तल	
	टिन	5,609 वर्ग फीट
भवन (यूनिट III)	भूतल	—
	आर.सी.सी.	3,613 वर्ग फीट
	टिन शेड	6,344 वर्ग फीट
	आर.सी.सी. स्लैब	2,140 वर्ग फीट
	प्रथम तल	
	आर.सी.सी.	966 वर्ग फीट
	टिन	11,856 वर्ग फीट
	द्वितीय तल	
	टिन	3,495 वर्ग फीट
कार	मारुति सुजुकी आल्टो	—
कार्यालय उपकरण सहित संयन्त्र एवं मशीनरी	यूनिट II : क्राउन कैप्स के निर्माण में प्रयुक्त	—
	यूनिट III : पैट बॉटल्स के निर्माण में प्रयुक्त	

आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि (ई.एम.डी.) का विवरण

सभी सम्पत्तियों का आरक्षित मूल्य	रु. 21,30,00,000/- (रुपये 21 करोड़ तीस लाख मात्र)
जमा धरोहर राशि (ज.ध.रा.)	आरक्षित मूल्य का 10%
धरोहर राशि जमा खाता विवरण (एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा)	ज.ध.रा. खाता सं. 03881100043137 आईएफएससी कोड : PSIB0000388 लाभार्थी : "परिसमापनाधीन इंटीग्रेटेड कैप्स प्रा.लि"
परिसमापक का नाम तथा सम्पर्क नम्बर	नाम : पंकज खेतान सम्पर्क नं. : 9999883792 तथा 9310201908
साइट का दौरा तथा परिचर्चा बैठक	03 जुलाई, 2019 समय : 10:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक
ज.ध.रा. जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय	06 जुलाई, 2019 को 05:00 बजे अपराह्न तक
ई-नीलामी की तिथि/समय	तिथि : 10 जुलाई, 2019 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं :
1. ई-नीलामी **"जहाँ है वैसा है", "जो है वही है" तथा "जो भी है वहीं है"** आधार पर अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (आक्शन टाइगर) के माध्यम से संचालित होगी।
2. इच्छुक संविदाकार अपनी संविदा जमा करने से पूर्व स्वतन्त्र पूछताछ कर लें तथा अपने व्यय पर सम्पत्तियों का निरीक्षण कर लें और स्वयं को सन्तुष्ट कर लें।
3. परिसम्पत्तियों के विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी संविदा प्रपत्र, घोषणा एवं शपथ पत्र, ऑनलाइन नीलामी विक्रय के प्रमुख नियम एवं शर्तों से युक्त सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट : https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध है। सम्पर्क करें : श्री तिलक मलता तथा श्री पुष्पित मारू दूरभाष : +91- 6351896834 / 079 61200 580/554/594/598 ई-मेल : tilak@auctiontiger.net / pushpit@auctiontiger.net/support@auctiontiger.net

पंकज खेतान (परिसमापक)
इंटीग्रेटेड कैप्स प्रा. लि. के मामले में
पंजीकरण सं. IBBI/IPA-002/IP-N00010/2016-17/10014
ई-मेल : liquidatorintegratedcaps01@gmail.com
सम्पर्क नं. : 9999883792 तथा 9310201908

दिनांक : 24.06.2019
स्थान : दिल्ली

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आंचलिक कार्यालय, छठा तल, कनेक्टस टावर, युनिट 602ए, टावर-।।, एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन, अजमेरी गेट, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने, नई दिल्ली-110001, टेलिफोन नं. 011-23218529

अचल सम्पत्तियों की नीलामी के लिए विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदारों तथा गारंटरों को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका भौतिक कब्जा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (प्रत्याभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, निम्नवर्णित कर्जदारों और गारंटरों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं संघ सदस्य बैंकों (प्रत्याभूत लेनदार) की बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 26.07.2019 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा तथा अन्य विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. स.	शाखा का नाम प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं कान्टेक्ट नंबर	कर्जदार का नाम एवं पता	गारंटर का नाम एवं पता	नीलामी की जाने वाली अचल संपत्ति का विवरण	सुरक्षित ऋणदाता का बकाया यदि कोई है	सांकेतिक या भौतिक कब्जा लिया	कर्जदार/गारंटर से वसूले जाने वाली बकाया राशि (रू.)	आरक्षित मूल्य (रू.) / ईएमडी मूल्य (रू.) / बोली जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि एवं समय	संपत्ति निरिक्षण की तिथि एवं समय
1.	रजौरी गार्डन विरंगना राज 8874142828 संजय भार्गव (बीएम) 9971802732	श्री विकास त्यागी पुत्र श्री प्रविन त्यागी एवं श्रीमति ज्योति त्यागी पत्नी श्री विकास त्यागी (कर्जदार) पता : फ्लैट नं. 103, टावर नं. 10, प्रथम तल, वैली व्यू ईस्टेट, फरीदाबाद, गुरूग्राम, हरियाणा-122001	लागू नहीं	फ्लैट नं. 103, टावर नं. 10 प्रथम तल, वैली व्यू ईस्टेट, फरीदाबाद, गुरूग्राम, हरियाणा-122001 माप 2273.87 वर्ग फीट (211.25 वर्ग मीटर) चौहद्दी : उत्तर में : कारिडोर, दक्षिण में : पार्किंग, पूर्व में : टावर नं. 12, पश्चिम में : फ्लैट नं. 102	ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	रू. 3,02,34,658.86 17.09.2016 तक एवं उस पर ब्याज	रू. 1,50,00,000.00 / रू. 15,00,000.00 / 25/07/2019 5.00 PM	26.07.19 11:00 पूर्वा. 01:00 अप.	22.07.19 12:00 अप. से 5:00 अप.
2.	पटेल नगर दिल्ली श्री प्रेम कुमार संपर्क नं. 8800607045 पटेल नगर दिल्ली श्री प्रेम कुमार संपर्क नं. 8800607045	मैसर्स आर. एस. इण्टरप्राइजेज (स्वामी श्री रवि गोयल आवास मकान नं. 34, सुविधाकुंज, पीतमपुरा, दिल्ली-110034)	श्रीमति शिखा गोयल आवास मकान नं. 34, सुविधा कुंज, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 श्री हिमान्शू गुप्ता आवास 23/124-125, सैक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली-110085	अचल संपत्ति आवासीय सम्पत्ति बियरिंग नं. डी-110, तीसरा तल, छत अधिकार के साथ, डी ब्लॉक, पुष्पांजलि इन्क्लेव, दिल्ली-110054 माप 932 वर्ग फीट (सुपर बिल्टअप/कार्पेट एरिया) श्रीमति शिखा गोयल के नाम पर	ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	रू. 4,02,69,842.05 30.04.2018 तक एवं उस पर ब्याज	रू. 1,71,79,000/- / रू.17,17,900/- / 25/07/2019 5.00 PM	26-07-2019 11:00 पूर्वा. से 1:00 अप.	18.07.2019 (गुरूवार) 11 पूर्वा. से 5 अप.
3.	पटेल नगर दिल्ली श्री प्रेम कुमार संपर्क नं. 8800607045	मैसर्स आर. एस. इण्टरप्राइजेज (स्वामी श्री रवि गोयल आवास मकान नं. 34, सुविधाकुंज, पीतमपुरा, दिल्ली-110034)	श्रीमति शिखा गोयल आवास मकान नं. 34, सुविधा कुंज, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 श्री हिमान्शू गुप्ता आवास 23/124-125, सैक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली-110085	अचल सपत्ति प्राइवेट शाप नं. 203, स्थित दूसरा तल, बिना छत अधिकार के माप 9.6 फीट X 10.6 फीट (माप 9.46 वर्ग मीटर लगभग, बियरिंग म्यूनिसिपल नं. 2664, गली जटवारा, जेरा फाजील, नया बाजार वार्ड नं. ।।।, दिल्ली-110006 का हिस्सा श्री रवि गोयल के नाम पर)	ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	रू. 4,02,69,842.05 30.04.2018 तक एवं उस पर ब्याज	रू. 21,49,000/- / रू. 2,14,900/- / 25.07.2019 05.00PM	26-07-2019 11:00 पूर्वा. से 1:00 अप.	19.07.2019 (शुक्रवार) 11 पूर्वा. से 5 अप.
4.	पटेल नगर दिल्ली श्री प्रेम कुमार संपर्क नं. 8800607045	मैसर्स आर. एस. इण्टरप्राइजेज (स्वामी श्री रवि गोयल आवास मकान नं. 34, सुविधाकुंज, पीतमपुरा, दिल्ली-110034)	श्रीमति शिखा गोयल आवास मकान नं. 34, सुविधा कुंज, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 श्री हिमान्शू गुप्ता आवास 23/124-125, सैक्टर-7, रोहिणी, नई दिल्ली-110085	अचल सपत्ति प्राइवेट शाप नं. 204, स्थित दूसरा तल, बिना छत अधिकार के माप 9.6 फीट X 10.6 फीट (माप 9.46 वर्ग मीटर लगभग, बियरिंग म्यूनिसिपल नं. 2664, गली जटवारा, जेरा फाजील, नया बाजार वार्ड नं. ।।।, दिल्ली-110006 का हिस्सा श्री रवि गोयल के नाम पर)	ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	रू. 4,02,69,842.05 30.04.2018 तक एवं उस पर ब्याज	रू. 19,06,000/- / रू. 1,90,600/- / 25.07.2019 05.00PM	26-07-2019 11:00 पूर्वा. से 1:00 अप.	19.07.2019 (शुक्रवार) 11 पूर्वा. से 5 अप.
5.	कैलाश कालोनी, श्री आशीष कश्यप संपर्क नं. 9918301426	मैसर्स एस एण्ड एस डब्ल्यूपी 391, वजीरपुर गांव, अशोक विहार फेस-1, नई दिल्ली-110052	श्री विकास सिक्का आर1/904, टीडीआई किंग्सबरी अपार्टमेंट्स, टीडीआई सिटि, कुण्डली सोनीपत, एवं श्री विवेक सेठ 53/68, प्रथम तल, रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	अचल सम्पत्ति नं. 69/2, ब्लॉक आर माप 100 वर्ग गज (सुपर बिल्ट अप/कार्पेट एरिया) बिना छत अधिकार के भूतल स्थित रिशभ नगरी कालोनी, मॉडल टाउन-3, दिल्ली-110009 श्री विकार सिक्का के नाम पर चौहद्दी : उत्तर में : प्लाट नं. 70/1, दक्षिण में : प्लॉट नं. 68/2, पूर्व में गली/प्रवेश, पश्चिम में : प्लॉट नं. 314	ज्ञात नहीं	भौतिक कब्जा	रू. 83,02,101.96 28.02.2019 तक एवं उस पर ब्याज	रू. 56,00

लवासा की असहमति वाली टिप्पणियों के खुलासे से आयोग का इनकार

नई दिल्ली, 24 जून (भाषा)।

निर्वाचन आयोग (ईसी) ने आरटीआइ अधिनियम के तहत चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की असहमति वाली टिप्पणियों का खुलासा करने से इनकार करते हुए कहा कि यह छूट-प्राप्त ऐसी सूचना है जिससे किसी व्यक्ति का जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

हाल में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भाषणों के जरिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाने वाली शिकायतों पर किए गए फैसलों पर लवासा ने असहमति व्यक्त की थी। चुनाव आयोग ने पुणे के आरटीआइ कार्यकर्ता विहार दुर्वे की आरटीआइ का जवाब देते हुए यह बात कही। दुर्वे ने लवासा के असहमति जताने वाली टिप्पणियों की मांग की थी।

आयोग ने सूचना के खुलासे से छूट लेने के लिए आरटीआइ अधिनियम की धारा 8 (1जी) का हवाला दिया।

This is only an advertisement for information purposes and is not a prospectus announcement.

A B INFRABUILD LIMITED

Corporate Identification Number: U45202MH2011PLC214834

Our Company was incorporated as 'A B Infrabuild Private Limited' under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated March 16, 2011 issued by the Registrar of Companies, Mumbai. Subsequently, the name of our company was changed to 'A B Infrabuild Limited' on June 20, 2018 and a fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name was issued by the Registrar of Companies, Mumbai. For details of change in name and Registered Office of our Company, please refer to section titled *"History and Certain Corporate Matters"* beginning on page 95 of the Prospectus.

Registered Office: 104, Shubhangan CHS Ltd, Jawahar Nagar, Near Railway Crossing, Goregaon (West), Mumbai-400 062
Contact Person: Mr. Mohit Soni, Company Secretary and Compliance Officer
Tel No.: +91 22 2871 2113/14 | **E-Mail ID:** cs@abinfrabuild.com | **Website:** www.abinfrabuild.com

PROMOTER OF THE COMPANY: MR. AMIT BHOLANATH MISHRA

THE ISSUE

PUBLIC ISSUE OF 44,28,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF A B INFRABUILD LIMITED ("ABINFRA" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 29 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 19 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1284.12 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 2,24,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 29 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 19 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 64.96 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 42,04,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT A PRICE OF ₹ 29 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 19 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1219.16 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 34.95% AND 33.18% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

ISSUE PROGRAMME
OPENS ON FRIDAY, JUNE 28, 2019
CLOSES ON WEDNESDAY, JULY 03, 2019

FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 29 PER EQUITY SHARE
THE ISSUE PRICE OF ₹ 29 is 2.9 TIMES OF THE FACE VALUE
MINIMUM APPLICATION SIZE OF 4,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 4,000 EQUITY SHARES THEREAFTER

RISKS TO INVESTORS

(i) The Merchant Banker associated with the Issue has handled 4 public issue in the past three years and none of them has closed below the issue price on the listing date.
(ii) Average cost of acquisition per Equity Share by Our Promoter, Mr. Amit Bholanath Mishra is ₹ 3.33 per equity share whereas Our Issue Price is ₹ 29 Per Equity Share.

In terms of SEBI Circular No. CIR/CFD/POLICYCELL/11/2015, all potential investors shall participate in the Offer only through an Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details about the bank account which will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") for the same. For details in this regard, specific attention is invited to the chapter titled *"Issue Procedure"* beginning on page 175 of the Prospectus. In case of delay, if any, in refund, the Company shall pay interest on the application money at the rate of 15% per annum for the period of delay.

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application- Make use of it !!!	* Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.	Mandatory in Public Issues from January 01, 2016 No cheques will be accepted.

UPI **Now available in ASBA for retail individual investors**

As per the Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended, as present issue is a fixed price issue, the allocation in the net offer to the public category shall be made as follows.

a) Minimum fifty percent to retail individual investor;
In this issue 50% of the Net issue to the public will be available to a minimum of 21, 04,000 due to rounding off on account of marketable lot being 4000 shares
b) Remaining to:
(i) Individual applicants other than retail individual investors; and
(ii) Other investors including corporate bodies or institutions, irrespective of the number of specified securities applied for;
c) The unsubscribed portion in either of the categories specified in (a) or (b) above may be allocated to the applicants in the other category.

The Application Forms which do not have the details of the Applicant's depository account including DP ID, PAN, UPI ID (in case of RIBs using the UPI mechanism) and Beneficiary Account Number shall be treated as incomplete and rejected. In case DP ID, Client ID and PAN mentioned in the Application Form and entered into the electronic system of the stock exchange, do not match with the DP ID, Client ID and PAN available in the depository database, the application is liable to be rejected. Applicants will not have the option of getting allotment of the Equity Shares in physical form. The Equity Shares on allotment shall be traded only in the dematerialised segment of the Stock Exchange.

CONTENTS OF THE MEMORENDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 95 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section *"Material Contracts and Documents for Inspection"* on page 225 of the Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS OF THE COMPANY: The Liability of the members of the Company is Limited by shares.

AMOUNT OF THE SHARE CAPITAL AND CAPITAL STRUCTURE: Authorised Capital of the Company is ₹ 1500 Lakhs consisting of 1,50,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each. **Pre Issue Capital:** Issued, Subscribed and Paid-up Capital of ₹ 824.14 Lakhs consisting of 82,41,447 Equity Shares of ₹ 10 each. **Post Issue Capital:** Issued, Subscribed and Paid-up Capital of ₹ 1266.94 Lakhs consisting of 126,69,447 Equity Shares of ₹ 10 each. For details of the Capital Structure, please refer to the chapter titled *"Capital Structure"* beginning on page 40 of the Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: 10,000 Equity Shares out of which 9,000 Equity Shares to Mr. Amit Bholanath Mishra and 1,000 Equity Shares to Mrs. Savita Mishra.

LISTING: The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on SME Platform of National Stock Exchange of India Limited (**"NSE EMERGE"**). In terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time. Our Company has received In-Principle Approval Letter dated September 06, 2018 from National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**) for using its name in this offer document for listing our shares on the SME Platform of NSE. For the purpose of this Issue, the designated Stock Exchange will be the NSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regualtions,2018, the Draft Offer Document was not filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, 2018, the SEBI shall not have issue any observation on the Offer Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, Investors may refer the entire *"Disclaimer Clause of SEBI"* on page 159 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (Designated Stock Exchange): As required, a copy of this Offer Document has been submitted to the National Stock Exchange of India Limited (hereinafter referred to as "**NSE**"). NSE has given vide its letter September 06, 2018 permission to the Issuer Company to use the Exchange name in its offer Document as one of the Stock Exchange on which this Issuer's securities are proposed to be listed. The Exchange has scrutinized this Offer Document for its limited internal purpose of deciding on the matter of granting the aforesaid permission to this Issuer. It is to be distinctly understood that the aforesaid permission given by NSE should not in any way deemed or construed that the offer document has been cleared or approved by NSE; nor does it any manner warrant, certify or endorse the correctness of any of the contents of this Offer Document;nor does it warrant that this Issuer Securities will be listed or will continue to be listed on the Exchange; nor does it take any responsibility for the financial or other soundness of this Issuer, its promoters, its management or any scheme or project of this Issuer.

Every person who desires to apply for or otherwise acquire any securities of this Issuer may do so pursuant to independent inquiry, investigation and analysis and shall not have any claim against the Exchange whatsoever by reason of any loss which may be suffered by such person consequent to or in connection with such subscription / acquisition whether by reason of anything stated or omitted to be stated herein or any other reason whatsoever.

IPO GRADING: Since the issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, there is no requirement of appointing an IPO Grading agency.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares offered in the Issue have neither been recommended nor approved by Securities and Exchange Board of India nor does Securities and Exchange Board of India guarantee the accuracy or adequacy of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled *"Risk Factors"* beginning on page 17 of the Prospectus.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
MARK **MARK CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED** **CIN:** U67190MH2008PTC181996 404/1, The Summit Business Bay, Sant Janabai Road (Service Lane), Off W. E. Highway, Vile Parle (East), Mumbai-400 057. **Contact Person:** Mr. Manish Gaur **Tel. No.:** +91 22 2612 3207/08 **E-Mail ID:** smeipo@markcorporateadvisors.com **SEBI Regn No.:** INM000012128 **Investor Grievance E-Mail ID:** compliance@markcorporateadvisors.com	**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** **CIN:** U99999MH1994PTC076534 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makhwana Road, Marol, Andheri (E), Mumbai-400 059. **Contact Person:** Mr. Ashok S Shetty **Tel No.:** +91 22 2847 0652/4043 0200 **E-Mail ID:** ipo@bigshareonline.com **SEBI Regn No.:** INR000001385	**MR. MOHIT SONI** **A B INFRABUILD LIMITED** 104, Shubhangan CHS Ltd, Jawahar Nagar, Near Railway Crossing, Goregaon (West), Mumbai-400 062 **Email Id:** cs@abinfrabuild.com **Contact Person:** Mr. Mohit Soni **Telephone Number:** +91 22 2871 2113/14 **Applicants can contact the Compliance Officer or the LM or the Registrar to the Issue in case of any Pre- Issue or Post-Issue related problems, such as non-receipt of Allotment Advice or credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or unblocking of funds etc.**

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: The Application Forms and copies of the Prospectus may be obtained from the Registered Office of A B Infrabuild Limited **Lead Manager:** Mark Corporate Advisors Private Limited and **Registrar to the Issue:** Bigshare Services Private Limited. Application Forms will be available at the selected location of Registered Brokers, Banker to the Issue, RTA and Depository Participants. Application Forms can also be obtained from the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. Application Forms can also be downloaded from the website of Stock Exchange at www.nseindia.com.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus shall be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of Stock Exchange at www.nseindia.com/emerge, the website of Lead Manager at www.markcorporateadvisors.com and the website of the Issuer Company at www.abinfrabuild.com

APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA) : Investors have to apply through the ASBA process. ASBA Forms can be availed by all the investors. For details of the ASBA process, please refer to the details given in the ASBA Form and the Abridged Prospectus and also refer to the section *"Issue Procedure"* beginning on the page no 175 of the Prospectus. ASBA forms can also be downloaded from the websites of the SEBI, Registered Brokers, the RTAs and CDPs.

For more details on the ASBA process, refer to the details given in the application forms and Abridged Prospectus and also refer the section *"Issue Procedure"* beginning on the page no 175 of the Prospectus.

ESCROW COLLECTION BANK AND PUBLIC ISSUE ACCOUNT BANK AND SPONSOR BANK: ICICI BANK LIMITED.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated June 18, 2019.

Investors should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors on page 17 of the Prospectus before making any investment decision.

For A B Infrabuild Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Amit Bholanath Mishra
Managing Director

Place : Mumbai
Date : June 24, 2019

A B Infrabuild Limited subject to market conditions, Public Issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai. The Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.markcorporateadvisors.com, the website of the NSE i.e. www.nseindia.com, and website of the Issuer Company at www. abinfrabuild.com . Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled *"Risk Factors"* beginning on page 17 of the Prospectus, which has been filed with ROC.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933

Raka

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE INDIA.)

MEERA MEERA INDUSTRIES LIMITED

CIN: L29298GJ2006PLC048627

Our Company was originally incorporated as "Meera Industries Private Limited" on July 05, 2006 with the Registrar of Companies, Gujarat, Dadra and Nagar Havelli as a private limited company under the provisions of the Companies Act, 1956 bearing registration no. 048627. The status of the Company was changed to public limited and the name of our Company was changed to "Meera Industries Limited" vide Special Resolution dated February 25, 2017. The fresh certificate of incorporation consequent to conversion to Public Limited Company was issued on March 09, 2017 by the Registrar of Companies, Ahmedabad. For further details, pertaining to the change in constitution, change in name and Registered Office of our Company, please see "History and Certain Corporate Matters" on page no. 108 of the Prospectus.

Registered Office: 2126, Road No. 2, GIDC, Sachin, Surat, Gujarat – 394230 **Contact Person:** Ms. Bhavisha K. Khakhkhar, Company Secretary and Compliance Officer **Tel:** + 91 261 2399114; **Fax:** +91 261 2397269; **Email:** info@meeraind.com; **Website:** www.meeraind.com

PROMOTERS OF THE COMPANY: MR. DHARMESH V. DESAI AND MRS. BIJAL D. DESAI

BASIS OF ALLOTMENT

FURTHER PUBLIC ISSUE OF 5,22,000 EQUITY SHARES OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF MEERA INDUSTRIES LIMITED ("MIL" OR THE "COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 225 PER SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 215 PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹ 1,174.50 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 30,000 EQUITY SHARES OF ₹ 10 EACH WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 4,92,000 EQUITY SHARES OF ₹ 10/- EACH IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 11.73% AND 11.06%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹ 10 AND THE ISSUE PRICE IS 22.50 TIMES OF THE FACE VALUE.
ISSUE OPENED ON: JUNE 13, 2019 AND ISSUE CLOSED ON: JUNE 18, 2019

The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE") in terms of the Regulation 281 read with Regulation 103(1) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principal approval from BSE for the listing of the Equity Shares pursuant to letter dated June 03, 2019. **BSE shall be the Designated Stock Exchange for the purpose of this Issue. The trading is proposed to be commenced on June 26, 2019 (Subject to receipt of listing and trading approvals from the BSE Limited).**

The Issue is being made through the Fixed Price process, the allocation in the Net Issue to the Public category shall be made pursuant to Regulation 281 read with Regulation 129(4) and Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time, wherein a minimum of 50% of the Net Issue of shares to the Public shall initially be made available for allotment to Retail Individual Investors. The balance of Net Issue of Shares to the public shall be made available for allotment to Individual Applicants other than Retail Individual Investors and other Investors, including Corporate Bodies / Institutions irrespective of number of shares applied for. If the Retail Individual Investor category is entitled to more than 50% on proportionate basis, they shall be allotted that higher percentage. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and the Designation Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All Investors shall participate in the Issue only through **APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT ("ASBA")** process by providing the details of their respective bank accounts in which the corresponding application amounts were blocked by Self Certified Syndicate Banks (the "SCSBs").

SUBSCRIPTION DETAILS

The Net Issue has received 231 applications for 5,41,000 Equity Shares resulting in 1.09959 times subscription. The details of the applications received in the Net Issue (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

Detail of the Applications Received

CATEGORY	Before Technical Rejections & Withdrawals		After Technical Rejections & Withdrawals	
	No. of Applications	No. of Equity Shares	No. of Applications	No. of Equity Shares
Retail Individual Applicant	161	80,500	152	76,000
Other than Retail Individual Applicant	70	4,60,500	68	4,43,000
Total	**231**	**5,41,000**	**220**	**5,19,000**

Note: The Issue also includes 30,000 Equity Shares reserved for Market Maker, which was subscribed by 1.00 times and there were no Technical Rejection & any withdrawal.

In the event of oversubscription, the allotment will be made on a proportionate basis in marketable lots. There was over subscription of 2,14,500 Equity Shares in other than Retail Individual Category & under subscription 1,70,000 Equity Shares in Retail Category. The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange – BSE Limited on June 21, 2019.

A) **Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Market Maker, at the Issue Price of ₹ 225 per Equity Share, was finalised in consultation with BSE. The category was subscribed by 1.00 times. The total number of shares allotted in this category is 30,000 Equity Shares. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category Wise)	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied in Each Category	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted
30,000	1	100.00	30,000	100.00	30,000	1:1	30,000
Total	**1**	**100.00**	**30,000**	**100.00**			**30,000**

B) **Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, at the Issue Price of ₹ 225 per Equity Share, was finalised in consultation with BSE. Pursuant to Regulation 281 read with Regulation 129(4) and Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allocated in this category is 76,000 Equity Shares. The category was subscribed by 0.3089 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category Wise)	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied in Each Category	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted
500	152	100.00	76,000	100.00	500	1:1	76,000
Total	**152**	**100.00**	**76,000**	**100.00**			**76,000**

C) **Allocation to Other than Retails Category (After Technical Rejections & Withdrawals):** The Basis of Allotment to the Non – Retail Investors, at the Issue Price of ₹225 per Equity Share, was finalised in consultation with BSE. Pursuant to Regulation 281 read with Regulation 129(4) and Regulation 253(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the total number of shares allocated in this category is 4,16,000 Equity Shares (including un-subscribed portion of 1,70,000 Equity Shares of Retail Individual Investors category). The category was subscribed by 1.0649 times. The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category Wise)	No. of Applications Received	% to Total	Total No. of Shares Applied in Each Category	% to Total	Allocation per Applicant	Ratio of Allottees to the Applicant	Total No. of Shares Allotted
1000	9	13.24	9000	2.03	500	1:1	4500
1000	(Lottery System – Serial No. of Qualifying Applicant are 1,2,3,4,5,6,8 and 9)				500	8:9	4000
1500	11	16.18	16500	3.72	1000	1:1	11000
1500	(Lottery System – Serial No. of Qualifying Applicant are 2,3,4,5,6,7,8,9 and 10)				500	9:11	4500
2000	10	14.71	20000	4.51	1500	1:1	15000
2000	(Lottery System – Serial No. of Qualifying Applicant are 2,3,4 and 5)				500	4:5	4000
2500	10	14.71	25000	5.64	2000	1:1	20000
2500	(Lottery System – Serial No. of Qualifying Applicant are 1,2,3,4,5,6 and 9)				500	7:10	3500
4500	2	2.94	9000	2.03	4000	1:1	8000
4500	(Lottery System – Serial No. of Qualifying Applicant is 2)				500	1:2	500
5000	3	4.41	15000	3.39	4500	1:1	13500
5000	(Lottery System – Serial No. of Qualifying Applicant is 2)				500	1:3	500
5500	3	4.41	16500	3.72	5000	1:1	15000
5500	(Lottery System – Serial No. of Qualifying Applicant is 3)				500	1:3	500
6000	1	1.47	6000	1.35	5500	1:1	5500
7500	4	5.88	30000	6.77	7000	1:1	28000
10000	4	5.88	40000	9.03	9000	1:1	36000
10000	(Lottery System – Serial No. of Qualifying Applicant are 1,2 and 3)				500	3:4	1500
11000	1	1.47	11000	2.48	10500	1:1	10500
12000	1	1.47	12000	2.71	11500	1:1	11500
12500	2	2.94	25000	5.64	11500	1:1	23000
12500	(Lottery System – Serial No. of Qualifying Applicant is 2)				500	1:2	500
13500	1	1.47	13500	3.05	12500	1:1	12500
18000	1	1.47	18000	4.06	17000	1:1	17000
19000	1	1.47	19000	4.29	18000	1:1	18000
22000	1	1.47	22000	4.97	20500	1:1	20500
22500	1	1.47	22500	5.08	21000	1:1	21000
25000	1	1.47	25000	5.64	23500	1:1	23500
88000	1	1.47	88000	19.86	82500	1:1	82500
TOTAL	**68**	**100.00**	**4,43,000**	**100.00**			**4,16,000**

The Board of Directors of the Company at its meeting held on June 24, 2019, has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares, as approved by the Designated Stock Exchange viz. BSE and has authorized the corporate action for the allotment of the Equity Shares to various successful applicants.

The CAN and allotment advice and / or notices shall be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories on or before June 24, 2019. Further, the instructions to Self Certified Syndicate Banks will be processed on or before June 25, 2019 for unblocking of funds. The Equity Shares allotted to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. In case the same is not received within prescribed time, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the SME Platform of BSE Limited within 6 working days from the Closure of the Issue. The trading is proposed to be commenced on June 26, 2019 subject to receipt of listing and trading approvals from BSE Limited.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated June 04, 2019 ("Prospectus").

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, **Karvy Fintech Private Limited at Website: https://karisma.karvy.com.**

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole Applicant, Serial number of the Application Form, Number of Shares Applied for and Bank Branch where the Application had been lodged and payment details at the address given below:

KARVY FINTECH

KARVY FINTECH PRIVATE LIMITED[1]
Karvy Selenium, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District
Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana
Tel No.: +91 40 6716 2222; **Fax No.:** +91 40 2343 1551
E-mail: einward.ris@karvy.com; **Website:** https://karisma.karvy.com
Contact Person: Mr. M. Murali Krishna **SEBI Registration No.:** INR000000221

[1] Karvy Fintech Private Limited has become a SEBI registered registrar to an issue under the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 pursuant to amalgamation with Karvy Computershare Private Limited with effect from November 17, 2018

For Meera Industries Limited
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Chairman & Managing Director

Place : Surat, Gujarat
Date : June 24, 2019

LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF MEERA INDUSTRIES LIMITED.

MEERA INDUSTRIES LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Ahmedabad. The Prospectus shall be available on the websites of the Company, the BSE and the Lead Manager at www.meeraind.com, www.bseindia.com and www.afsl.co.in respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including, the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 17 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold (i) within the United States to persons reasonably believed to be qualified institutional investors (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act) pursuant to Rule 144A under the U.S. Securities Act and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales occur.

Sunjeet Comm.

बिकवाली दबाव में शेयर सूचकांक 72 अंक गिरा

मुंबई, 24 जून (भाषा)।

बंबई शेयर बाजार का सूचकांक सोमवार को 72 अंक और नीचे आ गया। अमेरिका-ईरान के बीच तनाव से तेल व गैस कंपनियों के शेयर बिकवाली दबाव में रहे। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में 300 अंक तक ऊपर-नीचे झूलने के बाद अंत में 71.53 अंक या 0.18 फीसद के नुकसान से 39,122.96 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सूचकांक ने 39,021.70 अंक का निचला और 39,300.02 अंक का उच्चस्तर छुआ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24.45 अंक या 0.21 फीसद के नुकसान से 11,699.65 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 11,670.20 अंक के निचले और 11,754 अंक के स्तर तक ऊपर गया। तेल और गैस कंपनियों के अलावा धातु और वाहन कंपनियों के शेयर भी दबाव में रहे। अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता की प्रगति को लेकर अनिश्चितता से निवेशकों में बेचैनी है। सूचकांक की कंपनियों में ओएनजीसी में सबसे अधिक 3.48 फीसद का नुकसान रहा।

टाटा स्टील, वेदांता, बजाज आटो, टेकएम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस के शेयर 2.33 फीसद तक नीचे आ गए। वहीं दूसरी ओर यस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीसीएस, एसबीआइ, इंडसइंड बैंक,मारुति और आईटीसी के शेयर 2.19 फीसद तक चढ़ गए। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप में 0.32 फीसद तक की गिरावट रही। अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे की बढ़त के साथ 69.35 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। कारोबारियों ने कहा कि अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल के दाम लगातार चढ़ रहे हैं। इससे घरेलू बाजार का रुख प्रभावित हुआ।

इस बीच, ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.16 फीसद बढ़कर 64.55 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। विश्लेषकों ने कहा कि निवेशकों की निगाह जी-20 द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों के नतीजों पर है। इसके अलावा मानसून की प्रगति, आम बजट आगे बाजार की दिशा तय करेंगे।

सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के मुख्य निवेश अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजारों में शेयरों का प्रदर्शन ठीक है। उन्होंने कहा कि बातचीत शुरू करने के प्रयास और अमेरिका-ईरान तनाव में और कोई बड़ी बात नहीं होने से निवेशकों की बेचैनी कुछ कम हुई है।

भारतीयों का विदेश में जमा कालाधन 216.48 से 490 अरब डालर के बीच

तीन आर्थिक व वित्तीय शोध संस्थानों के अध्ययन पर आधारित रपट संसद में पेश

नई दिल्ली, 24 जून (भाषा)।

संसद की एक समिति की ओर से सोमवार को प्रस्तुत रपट के अनुसार भारत के नागरिकों द्वारा विदेशों में जमा अघोषित धन संपत्ति 1980 से 2010 के विभिन्न काल खंडों में 216.48 अरब डालर से 490 अरब डालर के बीच रहने का अनुमान है।

यह रपट देश के तीन प्रतिष्ठित आर्थिक और वित्तीय शोध संस्थानों, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआइपीएफपी), राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक शोध परिषद (एनसीएईआर) और राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान (एनआइएफएम) के अध्ययनों के आधार पर रखी गई है। वित्त पर स्थायी समिति की लोकसभा में पेश इस रपट के अनुसार इन तीनों संस्थानों का निष्कर्ष है कि अचल संपत्ति, खनन, औषधि, पान मसाला, गुटका, सिगरेट-तंबाकू, सर्राफा, जिंस, फिल्म और शिक्षा के कारोबार में काली कमाई या अघोषित धन का लेन-देन अपेक्षाकृत अधिक है। संसदीय समिति की 'देश के अंदर और बाहर अघोषित आय/संपत्ति की स्थिति : एक आलोचनात्मक विश्लेषण' शीर्षक वाली रपट में कहा गया है कि कमाए या जमा कराए गए कालेधन का कोई विश्वसनीय हिसाब-किताब नहीं है। इसके आकलन के लिए कोई सर्वमान्य पद्धति भी नहीं है। इस बारे में 'सभी अनुमान बुनियादी मान्यताओं और उसमें किए गए समायोजनों की बारीकियों पर निर्भर करते हैं।' रपट में कहा गया है कि 'अब तक जो भी अनुमान जारी किए गए हैं उनमें कोई एकरूपता या जांच की पद्धति और दृष्टिकोण के बारे में कोई एक राय नहीं पाई गई है।' एनसीएईआर की अध्ययन रपट के अनुसार 1980-2010 के बीच में देश से बाहर जमा कराई गया धन 384 अरब डालर से 490 अरब डालर के बीच रही होगी।

एनआइएफएम का अनुमान कि इस दौरान अवैध तरीके से देश से बार भेजी गई धन-संपत्ति 9,41,837 करोड़ रुपए या 216.48 अरब डालर के बराबर रही। संस्थान का यह भी कहना है कि अवैध तरीके से विदेश भेजा गया काला धन कुल कालेधन के औसतन दस फीसद के बराबर रहा होगा। इसी तरह एनआइपीएफपी का अनुमान है कि 1997-2009 की अवधि में गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजा गया धन देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के औसतन 0.2फीसद से 7.4 फीसद के बीच था। कालेधन पर राजनीतिक विवाद के बीच मार्च 2011 में तत्कालीन सरकार ने इस तीनों संस्थाओं को देश और देश के बार भारतीयों के कालेधन का अध्ययन/सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी दी थी।

रपट में कहा गया है कि ऐसा लगता है कि अघोषित घन संपत्ति का कोई विश्वसनीय आकलन करना बड़ा कठिन काम है। संसदीय समिति की रपट में कहा गया है, 'मुख्य आर्थिक सलाहकार का विचार है कि इन तीनों रपटों के आंकड़ों के आधार पर अघोषित संपत्ति का कोई एक साझा अनुमान निकालने की गुंजाइश नहीं है।' कांग्रेस के एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली इस स्थायी समिति ने 16वीं लोक सभा भंग होने से पहले गत 28 मार्च को ही लोक सभा अध्यक्ष को अपनी रपट सौंप दी थी। इसके बाद आम चुनाव हुए और 17वीं लोकसभा का गठन हुआ है।

समिति ने कहा है वह इस विषय में संबद्ध पक्षों से पूछताछ की प्रक्रिया में कुछ सीमित संख्या में ही लोगों से बात चीत कर सकी क्यों कि उसके पास समय का अभाव था। उसने कहा है कि इस लिए इस संदर्भ में गैर सरकारी गवाहों और विशेषज्ञों से पूछ ताछ करने की कवायद पूरी होने तक समिति की 'इस रपट को प्रथमिक रपट के रूप में लिया जा सकता है।' समिति ने कहा है कि वह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से अपेक्षा करती है कि वह काले धन का पता लगाने के लिए और अधिक शक्ति के साथ प्रयास करेगा। समिति यह भी अपेक्षा करती है कि विभाग इन तीनों अध्ययनों और कालेधन के मुद्दे पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा प्रस्तुत की गयी सातो रपटों पर आगे की आवश्यक कार्रवाई भी करेगा। रपट में कहा गया है कि बहुप्रतीक्षित प्रत्यक्ष कर संहिता को जल्द से जल्द तैयार कर उसे संसद में रखा जाए ताकि प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल और तर्कसंगत बनाया जा सके।

लोकसभा में विशेष आर्थिक जोन संशोधन विधेयक पेश

नई दिल्ली, 24 जून (भाषा)।

लोकसभा में सोमवार को विशेष आर्थिक जोन संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया जिसमें न्यासों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की जो इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा । यह अध्यादेश पिछली सरकार में लागू किया गया था।

लोकसभा में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उक्त विधेयक पेश किया। इस विधेयक के माध्यम से विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 का संशोधन करने का प्रस्ताव है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि चूंकि न्याय या अस्तित्व वित्तीय क्षेत्र में प्रचालन निकायों के बहुत ही सामान्य रूप हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 2 के खंड फ का संशोधन करना आवश्यक हो गया था।

विशेष आर्थिक जोन संशोधन विधेयक 2019 विशेष आर्थिक जोन संशोधन अध्यादेश 2019 को प्रतिस्थापित करने के लिए है और इसमें उक्त धारा के खंड 'फ' के संशोधन का उपबंध करता है जिससे 'व्यक्ति' की परिभाषा में 'न्याय' या अस्तित्व पद को सम्मिलित किया जा सके। चूंकि संसद सत्र में नहीं थी और अति आवश्यक विधान बनाया जाना आवश्यक था, इसलिए राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड 1 के अधीन विशेष आर्थिक जोन संशोधन अध्यादेश 2019 लागू किया था।

गूगल ने पिछले साल हटाए 30 लाख से अधिक फर्जी कारोबारी खाते

नई दिल्ली, 24 जून (भाषा)।

प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने पिछले साल अपनी मैप सेवा (गूगल मैप्स)से 30 लाख से अधिक फर्जी कारोबारी खातों को हटाया। कंपनी के ब्लॉग के अनुसार इन फर्जी खातों द्वारा ग्राहकों को ठगे जाने की संभावना है। गूगल ने कहा कि कई बार ये कारोबारी धोखेबाजी कर लाभ कमाने के लिए स्थानीय तौर पर लिस्टिंग करते हैं। गूगल लोगों को कारोबार से जुड़ने के लिए संपर्क सूत्र और उन तक पहुंचने का रास्ता दिखाने की सेवाएं देती है।

गूगल मैप्स के उत्पाद निदेशक ईथन रसेल ने हाल में एक ब्लॉग में कहा कि ये धोखेबाज व्यापारियों से उन सेवाओं के लिए पैसे ले लेते हैं जो असल में मुफ्त है। यह खुद को असली कारोबारी बताकर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। उन्होंने कहा कि गूगल ऐसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है जिससे उसके मंच के दुरुपयोग को बहुत हद तक रोका जा सके। रसेल ने कहा-पिछले साल हमने तीस लाख से अधिक फर्जी कारोबारी खातों को हटाया है। इनमें 90 फीसद से अधिक कारोबारी खाते ऐसे रहे जिन्हें कोई ग्राहक खोल भी नहीं सका। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 85 फीसद फर्जी खातों को हमारी आंतरिक प्रणाली ने ही हटा दिया।

ग्राहकों ने ढाई लाख से अधिक फर्जी खातों की रपट की। कंपनी ने दुरुपयोग करने वाले ऐसे करीब डेढ़ लाख से अधिक फर्जी खातों को हटा दिया जो 2017 के मुकाबले 50 फीसद अधिक है। रसेल ने कहा कि कंपनी ऐसे फर्जी खातों का हटाने के लिए और नए और बेहतर तरीकों पर काम कर रही है।

'दोपहिया व तिपहिया वाहनों को एकदम इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना आसान नहीं'

नई दिल्ली, 24 जून (भाषा)।

टीवीएस मोटर कंपनी और बजाज आटो लिमिटेड ने दो-पहिया और तीन-पहिया वाहनों को निश्चत समयसीमा के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने के नीति आयोग के प्रस्ताव को अनुचित करार दिया है।

दोनों कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल-डीजल जैसे परंपरगत ईंधन से चलने वाले इन वाहनों को सौ फीसद इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना कठिन काम बताते हुए कहा कि यह आधार, साफ्टवेयर और कार्ड की छपाई जैसा नहीं है।

टीवीएस मोटर और बजाज आटो ने नीति आयोग के तीन पहिया वाहनों को 2023 तक और दो-पहिया वाहनों को 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में तब्दील करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नीति पर्याप्त अध्ययन और पड़ताल के साथ नहीं बनाई गई है। टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक वेणु श्रीनिवासन ने कहा- यह न तो आधार जैसा है और न ही साफ्टवेयर या फिर कार्ड की छपाई करने जैसा है। आपको पूरी आपूर्ति शृंखला बनानी होगी और मौजूदा आपूर्ति शृंखला से नई शृंखला की ओर जाना होगा।

पिछले सप्ताह नीति आयोग ने वाहन उद्योग के संगठन सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैनेफैक्चरर्स (सियाम) के साथ परंपरागत दो और तीन-पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों से 2025 की समयसीमा को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के बारे में ठोस कदम के बारे में दो हफ्ते के भीतर सुझाव देने को कहा।

टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ने कहा- हमने कहा कि हमें पूरी योजना के साथ आने में चार महीने का समय लगेगा। योजना एक शहर (जहां दो-पहिया वाहनों की संख्या सर्वाधिक है) में शुरू की जाएगी और वह भी कुछ फीसद के रूप में होगा। यह समय के साथ ही पूर्ण होगा।

उन्होंने कहा- कुल दो करोड़ वाहनों, 15 अरब डालर की बिक्री और 10 लाख कर्मचारियों के साथ एकदम से एक बार में बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि पूरी चीज को पूर्ण रूप से नहीं विचारा गया। उम्मीद है कि मामले में सुतंलित रुख अपनाया जाएगा और लोग इसके प्रभाव पर विचार करते हुए विचार करेंगे। बजाज आटो के प्रबंध निदेशक राजीव बजाज ने कहा- हमारा मानना है कि सौ फीसद इलेक्ट्रिक वाहन पूर्ण रूप से अनुचित है।

सबसे अधिक बिक्री वाले दस वाहनों में मारुति सुजुकी के आठ मॉडल

नई दिल्ली, 24 जून (भाषा)।

वाहन उद्योग से जुड़े संगठन सियाम के आंकड़ों के मुताबिक इस साल मई में सर्वाधिक बिक्री वाली दस कारों में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी के आठ मॉडल शामिल हैं। हालांकि कुल मिलाकर वाहनों की बिक्री में पिछले महीने काफी गिरावट देखने को मिली है।

सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम) के मुताबिक कंपनी की लोकप्रिय हैचबैक कार स्विफ्ट पिछले महीने सबसे अधिक बिक्री वाली कारों की सूची में शीर्ष स्थान पर रही। मारुति सुजुकी ने मई में स्विफ्ट की 17,039 इकाइयों की बिक्री की। पिछले साल के इसी महीने में यह मॉडल बिक्री के मामले में चौथे स्थान पर रहा था।

दूसरे स्थान पर ऑल्टो का स्थान आता है। इस मॉडल की 16,394 इकाइयां बिकी। पिछले साल मई में भी बिक्री के मामले में यह मॉडल दूसरे स्थान पर रहा था। हालांकि मारुति की ही कॉम्पैक्ट सेडान डिजायर पिछले महीने बिक्री के मामले में तीसरे स्थान पर रही, जबकि पिछले साल मई में वह शीर्ष पर थी।

प्रीमियम हैचबैक मॉडल बलेनो सियाम की इस सूची में बिक्री के मामले में चौथे, वैगनार पांचवें और कंपनी की यूटिलिटी कार इको छठे स्थान पर रहे। इको ने लंबे अरसे बाद सर्वाधिक बिक्री वाली कारों की सूची में अपनी स्थान बनाया है।

हुंदै की एसयूवी कार क्रेटा इस सूची में सातवें, एलिट आइ20 आठवें, मारुति की अर्टिगा नौवें और विटारा ब्रिजा दसवें स्थान पर रहे। कुल-मिलाकर यात्री वाहनों की थोक बिक्री में मई में 18 साल में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। मई में वाहनों की थोक बिक्री 20 फीसद की गिरावट के साथ 2,39,347 इकाइयों पर रही। एक साल पहले मई में यह आंकड़ा 3,01,238 का रहा था।

Fullerton India

फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लि.

1बी, 4था तल, पूसा रोड, ओल्ड राजिन्दर नगर, दिल्ली-110060

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये 15 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड/प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा कर लिया गया है, की ऋणधारकों, जैसे मै. एलायन्स बुक स्प्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड, श्री सुब्रत धार, सुश्री कुन्तल धार, सुश्री अनीता कार, सुश्री जया धार, सुश्री रत्ना धार, मै. बीना बुक सप्लायर्स से फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड/प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये राशि वसूली की तिथि तक 10.11.2018 **को देय रु. 6,91,91,659.04 (रुपये छः करोड़ इक्यानवे लाख इक्यानवे हजार छः सौ उन्सठ एवं पैसे चार मात्र)** एवं उक्त राशि पर ब्याज तथा अन्य चार्जेज की वसूली के लिये 12.7.2019 को 11.00 **बजे पूर्वा. से** 1.00 **बजे अप.** तक (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो भी वहां है आधार'' पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 5,30,00,000/- (रुपये पांच करोड़ तीस लाख मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 53,00,000/- (रुपये तिड़ेपन लाख पचास हजार मात्र) है ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 10.7.2019 है तथा वृद्धि मूल्य रु. 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) होगी।

गिरवी रखी गई अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लाट नं. जी-1388 (क्षेत्रफल माप 160 वर्ग यार्ड्स) चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110019, आवासीय फ्री होल्ड सम्पत्ति पर निर्मित आवासीय सम्पत्ति।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं तथा ये विवरण हमारी/प्रतिभूत क्रेडीटर के निम्न लिंक/वेबसाईट पते (https://fullertonindia.auctiontiger.net) पर भी उपलब्ध कराई गई है।

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:

1. ई-नीलामी ''जैसा है जहां है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है आधार'' पर और 'ऑन लाइन' आयोजित की जायेगी। यह नीलामी एफआईसीसीएल के स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. ई-प्राक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा वेब पोर्टल (https://fullertonindia.auctiontiger.net) पर आयोजित होगी। ऑन लाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, ऑन लाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तें वेबसाईट https://fullertonindia.auctiontiger.net पर उपलब्ध है।
2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं जानकारी में सम्पत्ति पर कोई अधिभार नहीं है। लेकिन, अपनी बोली जमा करने से पूर्व इच्छुक बोलीदाता अधिभारों, नीलामी पर रखी गई सम्पत्ति के अधिभारों, टाइटल तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/ अधिकारों/ बकायों के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर लें। ई-नीलामी का यह विज्ञापन एफआईसीसीएल की ओर से किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धत्ता अथवा किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है अथवा उसे उसका गठनकर्ता नहीं माना जायेगा। सम्पत्ति को एफआईसीसीएल को ज्ञात अथवा अज्ञात वर्तमान तथा भविष्य के सभी अधिकारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूत क्रेडीटर किसी भी रूप में किसी तीसरी पार्टी के दावे/ अधिकारों/ बकायों के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे।
3. इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को **खाता सं. 022805000932, आईसीआईसीआई बैंक, ई-नीलामी खाता एफआईसीसीएलटी, आईएफएससी कोडः ICIC0000228** में एनईएफटी/ आरटीजीएस अथवा फ्युलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में देय किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ईएमडी का भुगतान करना होगा।
4. बोलीदाता को वैध ई मेल आईडी का धारक होना चाहिए (इच्छुक बोलीदाता के लिये ईमेल आईडी परम आवश्यक है क्योंकि संबंधित जानकारी तथा **मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा आईडी एवं पास्वर्ड का आवंटन ईमेल द्वारा ही किया जायेगा। सम्पर्कः श्री पुष्पित मारु, फोनः** 6351896834 **अथवा** 079-61200580/ 579/ 594/ 596, **ईमेल आईडीः support@.auctiontiger.net**
5. इच्छुक बोलीदाता को 10.7.2019 के 5.00 बजे अप. तक **फ्युलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, 1 बी, 4था तल, पूसा रोड, ओल्ड राजिन्दर नगर, दिल्ली-** 110060 के पास ई-नीलामी में भागीदारी के लिये अनुरोध पत्र, i) पहचान के प्रमाण (केवाईसी) जैसे मतदाता आईडी कार्ड/ ड्राइविंग लाइसैन्स/ पास्पोर्ट आदि, ii) वर्तमान पता- पत्राचार के प्रमाण, iii) बोलीदाता का पैन कार्ड, iv) वैध ई-मेल आईडी, v) बोलीदाता का सम्पर्क नंबर (मोबाईल/ लैंडलाइन) की स्वतः सत्यापित प्रतियों के साथ यूटीआर सहित ईएमडी जमा किये होने के साक्ष्य को जमा करना होगा। इन दस्तावेजों के ऑरिजिनल की स्कैन की गई प्रतियों को प्राधिकृत अधिकारी के ई-मेल आईडी bhupeder.tanwar@fullertonindia.com पर जमा किया जायेगा।
6. पोर्टल (https://fullertonindia.auctiontiger.net) पर ऑन लाईन ई-नीलामी में भाग लेने के लिये योग्य बोलीदाताओं के नामों की पहचान एफआईसीसीएल द्वारा की जायेगी। योग्य बोलीदाताओं के पैन की उचित जांच-पड़ताल के बाद मै. प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज अहमदाबाद द्वारा यूजर आईडी एवं पास्वर्ड उपलब्ध कराई जायेगी।
7. बोली जमा करने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण कर स्वयं को संतुष्ट करने का उत्तरदायित्व इच्छुक बोलीदाता का होगी। प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमति ले कर प्रतिभूत परिसम्पत्ति का निरीक्षण किया जा सकता है जिसके लिये वे 8826205836 **अथवा** 9717739880 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
8. उपरोक्त सम्पत्तियों की ई-नीलामी/ बोली पूरी तरह से बोलीदाताओं के बीच इंटर से बिडिंग द्वारा प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष वर्णित निर्धरित तिथि एवं समय पर ही की जायेगी। बोलीदाता प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष ''बोली वृद्धि राशि'' कॉलम के अंतर्गत वर्णित राशि के गुणक में ही अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं। यदि बोली ई-नीलामी की समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जायेगा। उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) को ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर जमा करने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा तथा इसकी सूचना उन्हें इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से दी जायेगी जो प्राधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूत क्रेडीटर की स्वीकृति के अधीन होगी।
9. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) बिक्री मूल्य के भाग के रूप में सुरक्षित रखी जायेगी तथा असफल बोलीदाता की ईएमडी उन्हें वापस लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि भुगतान पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की मूल्य की स्वीकृति पर तत्काल 25% बिक्री मूल्य का भुगतान करना होगा तथा शेष बिक्री मूल्य का भुगतान बिक्री के 15वें दिन या पूर्व अथवा प्राधिकृत अधिकारी की स्वेच्छा पर लिखित में विस्तारित स्वीकृत समय में किया जायेगा। सफल बोलीदाता द्वारा राशि के भुगतान में चूक करने पर पहले से जमा की गई सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जायेगी तथा सम्पत्ति की फिर से नीलामी की जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता का सम्पत्ति/ राशि के संदर्भ में कोई दावा/ अधिकार नहीं होगा।
10. संभावित योग्य बोलीदाता ई-नीलामी तिथि से पूर्व मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। न ही प्राधिकृत अधिकारी/ एफआईसीसीएल अथवा न ही मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इन्टरनेट नेटवर्क समस्या/ पावर फैल्योर/ अन्य किसी तकनीकी चूक/ फैल्योर आदि के लिये उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार आकस्मिक परिस्थितियों से बचने के लिये इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी आयोजन में सफलतापूर्वक भागीदारी के लिये यह सुनिश्चित कर लें कि वे पर्याप्त पावर बैक-अप आदि के साथ तकनीकी रूप से पूरी तरह से सुसज्जित हैं।
11. लागू होने वाले स्टाम्प शुल्क/ अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/ अंतरण चार्जेज, शुल्कों आदि तथा सभी सांविधिक/ अ-सांविधिक देयताओं, करों, रैट्स, गणना चार्जेज, किसी भी व्यक्ति को देय शुल्कों आदि का वहन क्रेता को ही करना होगा।
12. प्राधिकृत अधिकारी/ एफआईसीसीएल उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा उसे उसका कोई भी कारण बताये बिना किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा ई-नीलामी को स्थगित/ निलम्बित/ रद्द करने अथवा नीलामी प्रक्रिया से किसी भी चरण में सम्पत्ति या उसके भाग को वापस लेने का सम्प्रभु अधिकार प्राप्त है।
13. बिक्री प्रमाणपत्र केवल क्रेता/ (ओं)/ आवेदक (कों) के नाम में ही जारी की जायेगी तथा किसी अन्य नाम में जारी नहीं की जायेगी।
14. यह बिक्री वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

हस्ता./-

स्थानः दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी

तिथिः 20 जून, 2019 — फ्यूलर्टन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

VASTU HOUSING FINANCE

वास्तु हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लि.

यूनिट 203 एवं 204, 2रा तल, "ए" विंग, नवभारत इस्टेट, जकरिया बंडर रोड, सेवरी (वेस्ट), मुम्बई-400015, महाराष्ट्र, CIN No.: U65922MH2005PLC272501

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना

जैसा कि वास्तु हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लि. ने अपने प्रधान कार्यालय, मुम्बई के माध्यम से अधोलिखित ऋणधारकों/ गारन्टरों/ मॉर्टगैजरों के लिए सूचना जारी किया जिन्होंने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त साख सुविधाओं के मूलधन के पुनर्भुगतान तथा ब्याज के भुगतान में चूक की है तथा उक्त सुविधाएं गैर प्रचालन परिसम्पत्तियों में परिवर्तित हो गई है। उक्त सूचना उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी की गई, लेकिन वह उन्हें सर्व हुए बिना वापस लौट गई और इसीलिए उन्हें उसके विषय में सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किया जा रहा है।

ऋणधारक का नाम	धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि तथा राशि	गिरवी सम्पत्ति का विवरण
श्री/श्रीमती नवीन कुमार (आवेदक) एएन प्रिन्ट एंड पैक्स, जी 224, ग्राम गाजीपुर, दिल्ली, नई दिल्ली-110096 श्री/श्रीमती अंजू (सह-आवेदक) एच. नं. ई 157, पंडित चौक, मंडावली, नई दिल्ली-110092	11 जून, 2019/ रु. 34,06,576/- (चौंतीस लाख छह हजार पांच सौ छियत्तर मात्र) 31.5.2019 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ उपरोक्त राशि पर अनुबंधित दर पर एनपीए की तिथि से अप्रयुक्त ब्याज	सम्पूर्ण खसरा नं. 1299/610, ग्राम मंडावली, फाजलपुर, इलाका शाहदरा, पंडित चौक के निकट-110092 चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तरः सम्पत्ति सं. ई-158 दक्षिणः प्लॉट नं.-157-सीआर पूर्वः 20 फीट रोड पश्चिमः गव. स्कूल
श्री/श्रीमती मोहम्मद सिराजुद्दीन सैफी (आवेदक) एमए इंजीनियरिंग वर्क्स, पुलि चौकी के पीछे, सामने दिल्ली हापुर बाईपास ओवर ब्रिज, जीटी रोड, लाल कुआं, गाजियाबाद-201001 श्री/श्रीमती शबाना बेगम (सह-आवेदक) वार्ड नं. 18, पाली बाले, जीबी नगर, निकट मुस्तफा मस्जिद नोएडा, जीबी नगर-203207 श्री/श्रीमती निजामुद्दीन पीपी (गारन्टर) शरीफ अहमद, 793, नई आबादी, दादरी, दादरी-203207	11 जून, 2019/ रु. 16,20,000/- (रुपए सोलह लाख बीस हजार मात्र) 31.5.2019 को तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ उपरोक्त राशि पर अनुबंधित दर पर एनपीए की तिथि से अप्रयुक्त ब्याज	सम्पूर्ण प्लॉट नं. 108, 109, 110, 120, 121 तथा 122, ग्राम समवाली परगणा एवं तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश, सिकन्दराबाद सब्जी मंडी-203202 चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तरः रोड (20 फीट) दक्षिणः रोड (20 फीट) पूर्वः अन्य प्लॉट पश्चिमः अन्य प्लॉट

सूचना की स्थानापन्न सेवा के उपाय किए जा रहे हैं। उक्त ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों एवं/अथवा उनके गारन्टरों (जहां भी लागू हो) को सलाह दी जाती है कि इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर भुगतान करें अन्यथा इस सूचना की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कृपया जान लें कि उक्त सूचना धारा 13 (13) के अंतर्गत ऋणधारकों/ गारन्टरों/ मार्टगैजरों को सूचित करने के लिए भी यह सूचना है कि उक्त गिरवी सम्पत्ति की बिक्री/ पट्टा/ अंतरण नहीं की जाएगी।

प्राधिकृत अधिकारी
वास्तु फाइनांस

IFCI LIMITED
आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालयः आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस नई दिल्ली-110019
फोनः 011-41732000 / 41792800
वेबसाइटः www.ifciltd.com
CIN :

भविष्य में सभी चुनाव अपने बूते पर लड़ेंगे : मायावती

जनसत्ता/एजेंसी
लखनऊ, 24 जून।

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को समाजवादी पार्टी से अलग होने का औपचारिक एलान कर ही दिया। वह भी यह कह कर कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर पाना संभव नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी आइंदा किसी भी चुनाव को अपने बल पर बिना गठबंधन का सहारा लिए लड़ेगी।

एक ट्वीट के जरिए मायावती ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन समाप्त करने का औपचारिक एलान किया। अपने ट्वीट में बहनजी ने कहा, वैसे भी जगजाहिर है कि समाजवादी पार्टी के साथ सभी पुराने गिले-शिकवे भुलाने के साथ ही वर्ष 2012 से 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार के बहुजन समाज पार्टी व दलित विरोधी फैसलों, प्रमोशन में आरक्षण विरुद्ध कार्यों और बिगड़ी कानून व्यवस्था समेत कई मसलों को दरकिनार कर देश व जनहित में गठबंधन धर्म को पूरी तरह निभाया।

अपने ट्वीट में मायावती ने समाजादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का व्यवहार बहुजन समाज पार्टी को यह सोचने को मजबूर करता है कि क्या ऐसा कर के भारतीय जनता पार्टी

कहा, सपा से मिलकर भाजपा को हराना संभव नहीं

को आगे हरा पाना संभव होगा? ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में पार्टी और मूवमेंट के हित में अब बहुजन समाज पार्टी आगे आने वाले सभी छोटे-बड़े चुनाव अकेले अपने बूते पर लड़ेगी।

सत्रहवीं लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने शून्य से दस सांसदों को जिता पाने में कामयाबी हासिल की थी। जबकि समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के साथ हुए गठबंधन का तनिक भी लाभ नहीं हुआ था। सोलहवीं लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जो पांच सीटें मिलीं थीं, उतनी ही सीटें सत्रहवीं लोकसभा के चुनाव में भी उसे हासिल हुईं।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में हैं। जल्द बहुजन समाज पार्टी के साथ किए गठबंधन पर लखनऊ में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की 12 विधानसभा सीटों पर जल्द होने वाले उप चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को सबक सिखाने की रणनीति तैयार कर ली है। बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही उप चुनाव में अकेले लड़ने का एलान कर दिया था। सपा-बसपा गठबंधन को लेकर कल से आ रही खबरों पर मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए मायावती ने कहा कि बसपा की कल तमाम बैठकें हुई हैं, जिनमें मीडिया मौजूद नहीं था। उसके बाद हमने प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, इसके बावजूद बसपा प्रमुख के बारे में खबरें चलाई गईं।

सुझावों के बाद ही नई शिक्षा नीति के मसविदे को अंतिम रूप दिया जाएगा : निशंक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जून।

लोकसभा में नई शिक्षा नीति को लेकर सदस्यों की चिंताओं के बीच सरकार ने सोमवार को कहा कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसविदा मंत्रालय की वेबसाइट पर विभिन्न पक्षों की टिप्पणियों व सुझाव के लिए जारी किया गया है और इन सुझावों की जांच के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी के पूरक प्रश्न कि क्या हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाया जा रहा है, के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कहा कि अभी नई शिक्षा नीति का मसविदा तैयार हुआ है और सभी सदस्य अपने सुझाव दे सकते हैं। सरकार सभी सुझावों पर विचार करने के बाद ही नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देगी। मंत्री के जवाब पर असंतोष प्रकट करते हुए द्रमुक के सदस्यों ने कहा कि मंत्री प्रश्न का स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं।

द्रमुक नेता टीआर बालू ने कहा कि क्या सरकार पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस आश्वासन की अनुपालना का भरोसा दिलाएगी कि हिंदी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। इस दौरान सदन में थोड़ी देर के लिए नोकझोंक देखने को मिली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने द्रमुक सदस्यों से कहा कि वे इस पर चर्चा के लिए कभी और आग्रह कर सकते हैं। इससे पहले, भाजपा की प्रीतम मुंडे ने सवाल किया कि क्या नई शिक्षा नीति के तहत उर्दू को भी एक भाषा के तौर पर जगह दी जा रही है? इसके जवाब में निशंक ने कहा कि उर्दू, तमिल और दूसरी सभी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है।

निशंक ने कहा कि डॉ. के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसविदा तैयार करने के लिए गठित समिति ने मंत्रालय को 31 मई 2019 को अपना मसविदा सौंप दिया है।

झारखंड : पिटाई के शिकार व्यक्ति की मौत, 11 गिरफ्तार

सरायकेला खरसावां (झारखंड), 24 जून (भाषा)।

एक मोटरसाइकिल चुराने के संदेह पर पिछले सप्ताह कथित तौर पर कई घंटों तक बुरी तरह पिटाई के शिकार हुए एक व्यक्ति ने चार दिन बाद दम तोड़ दिया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस घटना का एक कथित वीडियो सामने आया है, जिसमें पीड़ित को 'जय श्री राम' और 'जय हनुमान' बोलने के लिए विवश किया जा रहा है।

पुलिस ने बताया कि तबरेज अंसारी की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित किया गया है। अंसारी ने 22 जून को जमशेदपुर में टाटा मेन अस्पताल में दम तोड़ दिया था।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
ओ.बी.सी. क्लसटर – आर आर एल पीबी–107, केजे–13, कविनगर, गाजियाबाद–201002, फोन : 0120-4155167, फोन नं : 9997442693, ईमेल: rrl_7624@obc.co.in

नियम – 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तगर्त निम्नलिखित दिनांकों को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

कर्जदार का नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा की तारीख	बकाया राशि (रू. में) मांग सूचना के अनुसार
शाखा: बुलंदशहर श्री राम किशोर पुत्र श्री जुगल किशोर	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मकान नं. 43, मोहल्ला: दयाल बाग, साठा, बुलंदशहर, यू.पी में स्थित, क्षेत्रफल 85.33 वर्ग मी., सब रजिस्ट्रार बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर, यू.पी में पंजीकृत, चौहद्दी : पूरब में – श्रीमती रामेशवरी देवी का मकान, पश्चिम में – श्री हुकुम सिंह का मकान, उत्तर में – रोड, दक्षिण में – श्रीमती बरफी देवी का मकान	06-02-2019 20-06-2019	₹ 4,38,122.00 दिनांक 01.02.2019 से होने वाला ब्याज एवं अन्य प्रभार
शाखा: दिवाकर मॉडल, राजिन्दर नगर, गाजियाबाद मैसर्स सोनाली बुटीक (प्रोप. गीता शुक्ला) और गारंटर– श्री विनय शुक्ला पुत्र श्री महावीर प्रसाद शुक्ला	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि दुकान नं. 17 (भूतल), प्लॉट नं. 4/42ए, सैक्टर–5, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद, यू.पी में स्थित, क्षेत्रफल 16.40 वर्ग मी., सब–रजिस्ट्रार – III, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, यू.पी में पंजीकृत, यह सम्पत्ति श्री विनय शुक्ला के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – 40फीट चौडी रोड, पश्चिम में – कॉमन पार्किंग, उत्तर मे – 40फीट चौडी रोड, दक्षिण में – दुकान नं. 18	28-03-2019 24-06-2019	₹ 7,20,080.66 दिनांक 01.03.2019 से होने वाला ब्याज एवं अन्य प्रभार
शाखा: आईएमएस गाजियाबाद श्रीमती रूपम पत्नी राम विनय सिंह तथा गारंटर श्री रामविनय सिंह पुत्र श्री फूलेना प्रसाद सिंह	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी मकान नं. आर–7/डी–17, प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के) ई. डब्ल्यू.एस. कर्वड क्षेत्रफल 56.79 वर्ग मी., रिहायशी कॉलोनी, राजनगर, गाजियाबाद, सब रजिस्ट्रार –II, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, यू.पी में पंजीकृत, चौहद्दी – पूरब में – मकान नं. डी–19, पश्चिम में – भूतल पर 80फीट चौडी रोड, उत्तर में – भूतल पर खुला स्पेस, दक्षिण में – भूतल पर 40फीट चौडी रोड	05-04-2019 19-06-2019	₹ 9,00,547.13 and interest & other charges thereon w.e.f. 01-04-2019

दिनांक 24-06-2019, स्थान : गाजियाबाद/बुलंदशहर
प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

TECHNOFAB ENGINEERING LIMITED

CIN: L74210DL1971PLC005712
REGD. OFF: 913, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi – 110 019, India,
Tel : +91-11-26411931/5961, Fax : +91-11-26221521, Website : www.technofabengineering.com, Email : info@technofabengineering.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

(₹ in Lacs except shares and EPS)

S. No.	Particulars	STANDALONE					CONSOLIDATED	
		Quarter Ended			Year Ended		Year Ended	
		31.03.2019 (Audited)	31.12.2018 (Unaudited)	31.03.2018 (Audited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2018 (Audited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2018 (Audited)
1	Total Income from Operations	7,169.40	8,657.99	16,686.12	37,036.85	43,484.97	37,036.85	43,510.34
2	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax and Exceptional items)	(5,331.63)	(30.68)	956.56	(4,416.68)	2,093.33	(3,975.71)	2,202.55
3	Net Profit / (Loss) for the period (Before tax)	(5,331.63)	(30.68)	956.56	(4,416.68)	2,093.33	(3,975.71)	2,202.55
4	Net Profit / (Loss) for the period After Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(3,507.64)	(30.02)	629.87	(2,915.49)	1,354.98	(2,564.90)	1,444.70
5	Net profit for the period	(3,507.64)	(30.02)	629.87	(2,915.49)	1,354.98	(2,564.90)	1,444.70
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (After Tax) and other Comprehensive Income (After Tax)]	(3,509.30)	(26.45)	638.66	(2,907.44)	1,372.45	(2,556.85)	1,462.16
7	Paid-up equity share capital (10,490,000 Equity Shares of Rs. 10/- each.)	1,049.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00
8	Reserves (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet	-	-	-	23,584.71	26,745.08	24,651.79	27,461.58
9	Earnings Per Share (EPS) (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each)							
	-Basic	(33.44)	(0.29)	6.00	(27.79)	12.92	(24.45)	13.77
	-Diluted	(33.44)	(0.29)	6.00	(27.79)	12.92	(24.45)	13.77

Notes:-
The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results is available on the Stock Exchanges websites i.e. (www.bseindia.com) and (www.nseindia.com) and also available on the Company's Website www.technofabengineering.com.

For and on behalf of the Board of Directors of
Technofab Engineering Limited

Arjun Gupta
Managing Director
DIN-00012092

Place: FARIDABAD
Date : 24th June 2019

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड CIN: U67190MH2007PTC168303

पंजीकृत कार्यालय: दानी कॉर्पोरेट पार्क, 5वीं मंजिल, 158, सी.एस.टी. रोड, कलिना, सांताक्रुज (पू), मुंबई – 400098, फोन: 022–67412314, फैक्स: 022–67412313
ईमेल: info@phoenixarc.co.in वेबसाइट: www.phoenixarc.co.in

आनॅलाइन ई–निलामी सम्पत्ति की ब्रिक्री

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वितीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

बजाज फाइनेंस लिमिटेड (बीएफएल) ने असाइनमेंट समझौता दिनांक 03.12.2018 के द्वारा फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (फीनिक्स ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए वित्त वर्ष 19–5 स्कीम I) (PARC) के लिए के पक्ष में ऋण सौंपा है तथा एतदद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है, को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित प्रतिभूत क्रैडीटर अर्थात् कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, के पास गिरवी/चार्जड अचल सम्पति जिसका **23.05.2019** को पीएआरसी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा ले लिया गया है की, लोन खाता संख्या **4010HL07191340** में बैंक के बकाये की वसूली के लिये **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो भी है"** तथा **"जो कुछ भी वहां है"** आधार पर बिक्री की जायेगी।

ज्ञात अधिभार, यदि कोई हो के साथ अचल संपत्ति का विवरण: प्लॉट नं. 924, सैक्टर–15ए, तहसील एवं जिला फरिदाबाद, मापक्षेत्र 424.66 वर्ग गज।

उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) का नाम और पता	1. ई–नीलामी की तिथि एवं समय 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 3. संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य 2. संपत्ति का ईएमडी 3. बोली वृद्धि
श्री नीरज चौधरी पुत्र श्री राकेश मोहन चौधरी और श्रीमती मोनिया चौधरी पत्नी श्री नीरज चौधरी दोनों का पता मकान नंबर –781, सेक्टर 17– ए, गुड़गांव हरियाणा– 122001 **ऋण खाता संख्या: 4010HL07191340** **कुल बकाया राशि: सम्पूर्ण भुगतान तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ 07.02.2018 से संविदात्मक दर से आगे के ब्याज के साथ 08.02.2018 को रु. 2,30,93,381/– (रुपये दो करोड़ तीस लाख तिरानवे हजार तीन सौ इक्यासी)**	**1) ई–नीलामी तिथि:** 30 जुलाई 2019 को दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ **2.) केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि:** 29 जुलाई, 2019 के सायं 5.00 बजे (आईएसटी) तक **3.) निरीक्षण की तिथि:** 15 जुलाई, 2019 को सुबह 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे (आईएसटी) तक	**आरक्षित मूल्य –** रु. **1,75,00,000/–** (रुपए एक करोड़ पचहत्तर लाख केवल) **धरोहर राशि–रु. 17,50,000/–** (रुपए सत्रह लाख पचास हजार केवल) **बोली वृद्धि –रु. 1,00,000/–** (रुपए एक लाख केवल) और उसके गुणकों में

धरोहर राशि का भुगतान **"फीनिक्स ट्रस्ट वित्त वर्ष 19–5 स्कीम I"** के पक्ष में देय नई दिल्ली में भुगतान योग्य डीडी द्वारा अथवा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड खाता संख्या **8612768219** और आईएफएससी कोड– **KKBK0000631**, शाखा कलिना, मुंबई में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा किया जायेगा।

बिक्री के अधीन परिसंपत्तियों के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण/अपेक्षा के लिए, बोलीदाता **कुमारी अंकिता शर्मा (+91 9999868258 और 0120–6173766) और कुमारी अनिशा शिंदे (022–68492441) या श्री कुलदीप गुप्ता (+91 8588870051 और 0120–6173748)** से संपर्क कर सकते हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, फीनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड की वेबसाईट अर्थात **www.phoenixarc.co.in** एवं/अथवा **https://phoenixarc.auctiontiger.net.** में दिये गए लिंक **http://phoenixarc.co.in/saleauction.php?id=ndmw** देखें।

प्राधिकृत अधिकारी
फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड
(फीनिक्स ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए वित्त वर्ष 19–5 स्कीम I)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25.06.2019

{ expleo }
EXPLEO SOLUTIONS LIMITED

(formerly known as SQS India BFSI Limited)
Corporate Identity Number (CIN): L64202TN1998PLC066604
Registered Office: 6A, Sixth Floor, Prince Infocity II, No. 283/3 & 283/4, Rajiv Gandhi Salai (OMR), Kandanchavadi, Chennai – 600 096, Tamil Nadu, India
Tel: +91 44 4392 3200; **Fax:** +91 44 4392 3258; **E-mail:** investor.sqsbfsi@sqs.com; **Website:** www.sqs-bfsi.com;
Contact Person: Mr. S. Sampath Kumar, Company Secretary and Compliance Officer

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF EXPLEO SOLUTIONS LIMITED (FORMERLY KNOWN AS SQS INDIA BFSI LIMITED) ("COMPANY")

This post buyback public announcement (**"Post Buyback Public Announcement"**) is being made pursuant to Regulation 24(vi) and other applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018, as amended (**"Buyback Regulations"**) regarding completion of the Buyback. This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated March 29, 2019 and published on April 1, 2019 (**"Public Announcement"**) and the Letter of Offer dated May 20, 2019 (**"Letter of Offer"**). All capitalized terms, unless defined herein, shall have the meaning ascribed to them in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. THE BUYBACK

1.1 Expleo Solutions Limited (**"Company"**) had announced the Buyback of not exceeding 4,60,896 (Four Lakhs Sixty Thousand Eight Hundred and Ninety Six) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each (**"Equity Shares"**), representing 4.30% of the total number of Equity Shares of the paid-up Equity Share capital of the Company from the shareholders or beneficial owners of Equity Shares of the Company as on the record date i.e. April 12, 2019 (**"Record Date"**), on a proportionate basis, through the "Tender Offer" route at a price of Rs. 550/- (Rupees Five hundred and fifty only) per Equity Share, payable in cash, for an aggregate amount not exceeding Rs. 25,34,92,800/- (Rupees Twenty Five Crores Thirty Four Lakhs Ninety Two Thousand Eight Hundred only) (**"Buyback Offer Size"**) excluding the Transaction Costs (**"Buyback"**). The Buyback Offer Size represents 25% of the aggregate of the fully paid-up share capital and free reserves, of the Company as per the audited standalone financial results for the financial year ended March 31, 2018.

1.2 The Company adopted the tender offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by the SEBI vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with the "Streamlining the Process for Acquisition of Shares pursuant to Tender-Offers made for Takeovers, Buy Back and Delisting of Securities" as prescribed under the SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, including any amendments thereof, issued by Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**).

1.3 The tendering period for the Buyback Offer opened on Thursday, May 30, 2019 and closed on Thursday, June 13, 2019.

2. DETAILS OF THE BUYBACK

2.1 The Company bought back an aggregate of 4,60,896 (Four Lakhs Sixty Thousand Eight Hundred and Ninety Six) Equity Shares under the Buyback, at a price of Rs. 550/- (Rupees Five hundred and fifty only) per Equity Share.

2.2 The total amount utilized in the Buyback is Rs. 25,34,92,800/- (Rupees Twenty Five Crores Thirty Four Lakhs Ninety Two Thousand Eight Hundred only) excluding any expenses incurred or to be incurred for the buyback like filing fee payable to the SEBI, advisors' fees, public announcement publication expenses, printing and dispatch expenses, transaction costs, viz. brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and services tax, stamp duty, etc.

2.3 The Registrar to the Buyback i.e. Cameo Corporate Services Limited (**"Registrar"**), considered 4,312 valid bids for 29,38,163 (Twenty Nine Lakhs Thirty Eight Thousand One Hundred and Sixty Three) Equity Shares in response to the Buyback, resulting in the tender of approximately 6.37 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar are as follows:

Category of Eligible Shareholder	Number of Equity Shares reserved in the Buyback	Number of valid bids	Total Equity Shares validly tendered	% Response
Reserved category for Small Shareholders	87,793	3,653	3,11,089	354.34%
General category for all other Eligible Shareholders	3,73,103	659	26,27,074	704.11%
Total	**4,60,896**	**4,312**	**29,38,163**	**637.49%**

2.4 All valid bids were considered for the purpose of acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection was dispatched by the Registrar to the eligible Equity Shareholders on or before Saturday, June 22, 2019.

2.5 The settlement of all valid bids was completed by Clearing Corporation on Friday, June 21, 2019. The Clearing Corporations have made direct funds payout to Eligible Shareholders whose shares have been accepted under the Buyback. If bank account details of any Eligible Shareholders holding Equity Shares in dematerialized form were not available or if the funds transfer instructions were rejected by the Reserve Bank of India or relevant bank, due to any reason, then the amounts payable to the Eligible Shareholders will be transferred to the concerned Seller Member for onward transfer to such Eligible Shareholders.

2.6 Equity Shares held in dematerialized form accepted under the Buyback were transferred to the Company Demat Account on Friday, June 21, 2019. The unaccepted dematerialized Equity Shares have been returned to respective Seller Member/custodians by the Clearing Corporations on Friday, June 21, 2019. There were no Equity Shares in physical form which were tendered in the Buyback.

2.7 The extinguishment of 4,60,896 (Four Lakhs Sixty Thousand Eight Hundred and Ninety Six) Equity Shares accepted under the Buyback comprising:

2.7.1 4,60,896 (Four Lakhs Sixty Thousand Eight Hundred and Ninety Six) Equity Shares in dematerialized form are currently under process and shall be completed on or before Friday, June 28, 2019.

2.7.2 There were no Equity Shares in physical form which were tendered in the Buyback and hence, there was no extinguishment of Equity Shares in physical form.

2.8 The Company, and its respective directors, accept full responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and also accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The capital structure of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Particulars	Pre-Buyback		Post-Buyback	
	No. of Equity Shares	Amount (in Rs. million)	No. of Equity Shares	Amount (in Rs. million)
AUTHORISED SHARE CAPITAL	1,20,00,000 Equity Shares of Rs. 10 each	120.00	1,20,00,000 Equity Shares of Rs. 10 each	120.00
Total		**120.00**		**120.00**
ISSUED, SUBSCRIBED AND FULLY PAID-UP SHARE CAPITAL	1,07,13,381 Equity Shares of Rs. 10 each	107.13	1,02,52,485* Equity Shares of Rs. 10 each	102.52*
Total		**107.13**		**102.52***

**Subject to extinguishment of 4,60,896 (Four Lakhs Sixty Thousand Eight Hundred and Ninety Six) Equity Shares*

3.2 Details of Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted under the Buyback are as under:

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares accepted under the Buyback	Equity Shares accepted as % of total Equity Shares bought back (%)	Equity Shares accepted as % of total post Buyback Equity Share Capital of the Company
1.	Rajasthan Global Securities Pvt Ltd	50,279	10.91	0.49
2.	Kalpraj Damji Dharamshi	22,850	4.96	0.22
3.	Hemang Raichand Dharamshi	19,585	4.25	0.19
4.	Aparna Jain	13,770	2.99	0.13
5.	Ravindra Raichand Dharamshi	13,057	2.83	0.13
6.	Nihar Nilekani	11,768	2.55	0.11
7.	Harsha Hemang Dharamshi	8,487	1.84	0.08
8.	Celestina Daniel	7,789	1.69	0.08
9.	Rajiv Kuchhal	7,532	1.63	0.07
10.	Zaki Abbas Nasser	7,181	1.56	0.07
11.	Seema Dilip Vora	6,924	1.50	0.07
12.	Panbai Valji Gala	6,528	1.42	0.06
13.	Sachin Kasera	6,528	1.42	0.06
14.	Suchithra E T	5,947	1.29	0.06
15.	Joseph Juvanayakam Daniel	5,268	1.14	0.05

3.3 The shareholding pattern of the Company (i) pre-Buyback as on the Record Date (i.e. April 12, 2019); and (ii) after the completion of the Buyback is set out below:

Category	Pre-Buyback		Post-Buyback*	
	Number of Equity Shares	% of Shareholding	Number of Equity Shares	% of Shareholding
Promoter and Promoter Group	57,58,804	53.75	57,58,804	56.17
Foreign Investors (including Non Resident Indians/FIIs/FPIs/ Foreign Nationals/OCBs)	3,54,302	3.31	44,93,681	43.83
Financial Institutions/Banks/NBFCs and Mutual Funds/ Insurance Companies	2,000	0.02		
Others (Resident Individuals, Bodies Corporate, Clearing Members, Trust, and HUF)	45,98,275	42.92		
Total	**1,07,13,381**	**100.00**	**1,02,52,485**	**100.00**

**Subject to extinguishment of 4,60,896 Equity Shares*

4. MANAGER TO THE BUYBACK

ICICI Securities

ICICI SECURITIES LIMITED
ICICI Centre, H.T. Parekh Marg,Churchgate, Mumbai – 400 020, Maharashtra, India
Tel: +91 22 2288 2460; **Fax:** +91 22 2282 6580; **Email ID:** sqsindiabfsi.buyback@icicisecurities.com; **Website:** www.icicisecurities.com
Investor grievance e-mail: customercare@icicisecurities.com; **Contact Person:** Mr. Shekher Asnani/Mr. Rishi Tiwari; **SEBI Registration No.:** INM000011179

5. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement and confirms that this Post Buyback Public Announcement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of EXPLEO SOLUTIONS LIMITED (formerly known as SQS India BFSI Limited)

Sd/-
Mr. Balaji Viswanathan
Managing Director & CEO
DIN: 06771242

Sd/-
Prof. K. Kumar
Deputy Chairman & Director
DIN: 02343860

Sd/-
Mr. S. Sampath Kumar
Company Secretary and Compliance Officer|
ICSI Membership No. FCS 3838

Date: June 24, 2019
Place: Chennai

CONCEPT

जनसत्ता
महासमर
विश्व कप -2019
25 जून, 2019 16

दिलचस्प आंकड़े

रन	13472	सबसे ज्यादा रन शाकिब अल हसन
विकेट	410	
छक्के	247	उच्चतम स्कोर डेविड वार्नर
अर्धशतक	73	

विश्व कप डायरी

वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों पर अलग तरह का दबाव होगा : चहल

मैनचेस्टर, 24 जून (भाषा) ।

भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल का मानना है कि टी-20 लीग में जबर्दस्त बल्लेबाजी करने वाले कैरेबियाई बल्लेबाजों के लिए भारत के खिलाफ विश्व कप के मैच में परिस्थितिजन्य दबाव' अलग किस्म का होगा। वेस्ट इंडीज सेमी फाइनल में प्रवेश की दौड़ से लगभग बाहर है और चोट के कारण रसेल के टूर्नामेंट से बाहर होने से उसे झटका लगा है।

अब तक विश्व कप के चार मैचों में सात विकेट ले चुके चहल ने कहा, अपने देश के लिए खेलना आइपीएल खेलने से एकदम अलग है। इसमें मैच जीतने का दबाव उन पर भी उतना ही होगा जितना हम पर है । वे जीत के लिए बेचैन हैं और फार्म वापिस पाने की कोशिश में जुटे हैं। हालात एकदम अलग हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ कम स्कोर वाले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने अपनी उपयोगिता साबित की।

चहल ने कहा, हमने 230 से कम रन बनाए थे जिसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू हैं।

विंडीज को झटका, रसेल टीम से बाहर

मैनचेस्टर, 24 जून (भाषा)।

वेस्ट इंडीज को भारत के खिलाफ महत्त्वपूर्ण मैच से पहले सोमवार को करारा झटका लगा जब उसके हरफनमौला आंद्रे रसेल घुटने की चोट के कारण विश्व कप के बाकी मैचों से बाहर हो गए। रसेल की जगह सुनील अंबरीश को वेस्ट इंडीज की टीम में शामिल किया गया है। आइसीसी ने पुष्टि की है कि विश्व कप तकनीकी समिति ने आंद्रे रसेल की जगह सुनील अंबरीश को टूर्नामेंट के बाकी मैचों के लिए वेस्ट इंडीज की टीम में शामिल करने की मंजूरी दे दी है।

शाकिब ने दिलाई बांग्लादेश को आसान जीत

अर्धशतक व पांच विकेट का बनाया अनोखा डबल, अफगानिस्तान को 62 रन से हराया

साउथम्पटन, 24 जून (भाषा) ।

शाकिब अल हसन ने अर्धशतक और पांच विकेट का अनोखा डबल बनाया जबकि मुशफिकुर रहीम ने बड़ी अर्धशतकीय पारी खेली जिससे बांग्लादेश ने सोमवार को यहां अफगानिस्तान को 62 रन से शिकस्त देकर विश्व कप के सेमी फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा।

बांग्लादेश ने रहीम (87 गेंदों पर 83 रन) और शाकिब (69 गेंदों पर 51 रन) के अर्धशतकों की बदौलत पहले बल्लेबाजी का न्योता पाने पर सात विकेट पर 262 रन बनाए। शाकिब ने बाद में गेंदबाजी में अपने करिअर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दस ओवर में 29 रन देकर पांच विकेट लिए तथा अफगानिस्तान को 47 ओवर में 200 रन पर आउट करने में अहम भूमिका निभाई। बांग्लादेश की यह सात मैचों में यह तीसरी जीत है जिससे उसके सात अंक हो गए हैं और वह पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। अफगानिस्तान की यह लगातार सातवीं हार है। पिच धीमा खेल रही थी और ऐसे में रन बनाना आसान नहीं था। अफगानिस्तान के आफ स्पिनर मुजीब उर रहमान (39 रन देकर तीन) ने भी बल्लेबाजों को बांधे रखा लेकिन राशिद खान (दस ओवर में 52 रन) प्रभाव नहीं छोड़ पाए। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों में समीउल्लाह शिनवारी ने नाबाद 49 और कप्तान गुलबदीन नायब ने 47 रन बनाए। नायब खुद पारी का आगाज करने के लिए उतरे। उन्होंने रहमत शाह (24) के साथ पहले विकेट के लिए 49 रन की साझेदारी निभाई लेकिन स्पिनरों के आक्रमण पर आने के बाद उनकी परेशानी शुरू हो गई। रहमत ने शाकिब के पहले ओवर में ही अपनी गलती से विकेट गंवाया। शाकिब ने इसके बाद नायब और मोहम्मद नबी (शून्य) को तीन गेंद के अंदर आउट करके अफगानिस्तान को करारे झटके दिए। इस बीच मोसादेक हुसैन (25 रन देकर एक) ने हशमुतुल्लाह शाहिदी (11) को स्टंप आउट कराया। शाकिब ने आफ साइड पर मजबूत क्षेत्ररक्षण लगाया और नायब को शार्ट कवर पर कैच कराकर उन्हें अर्धशतक तक नहीं पहुंचने दिया। इसके बाद उन्होंने नबी के बल्ले और पैड के बीच से गेंद निकालकर गिल्लियां बिखेरी। शाकिब ने अशगर अफगान (20) के रूप में अपना चौथा विकेट लिया जिन्होंने गेंद हवा में लहराई। इसके बाद उन्होंने अपने तीसरे स्पैल में आकर शिनवारी और नजीबुल्लाह जादरान (23) के बीच 56 रन की साझेदारी तोड़ी। तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान (32 रन देकर दो) और मोहम्मद सैफुद्दीन (33 रन देकर एक) ने इसके बाद पुछल्ले बल्लेबाजों को समेटा। इससे पहले बांग्लादेश की तरफ से कोई बड़ी साझेदारी नहीं निभाई गई।

● बांग्लादेश की यह सात मैचों में यह तीसरी जीत है जिससे उसके सात अंक हो गए हैं और वह पांचवें स्थान पर पहुंच गया है।

पांच विकेट लेने के बाद शाकिब को साथी खिलाड़ी बधाई देते हुए ।

दूसरे हरफनमौला बनें : शाकिब युवराज सिंह (बनाम आयरलैंड, 2011) के बाद विश्व कप में अर्धशतक और पांच विकेट का डबल पूरा करने वाले दूसरे हरफनमौला बनें। यही नहीं शाकिब किसी एक विश्व कप में 400 से अधिक रन और दस या इससे अधिक विकेट लेने वाले पहले आलराउंडर भी बने। शाकिब ने 69 गेंदों पर 51 रन की पारी खेलने के बाद गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 10 ओवर में 29 रन देकर पांच विकेट हासिल किए।

आस्ट्रेलिया-इंग्लैंड के बीच टक्कर आज

मैच का समय
दोपहर तीन बजे से

लंदन, 24 जून (भाषा) ।

पिछले मैच में श्रीलंका से हारने के बाद इंग्लैंड की टीम अपनी गलतियों से सबक लेकर चिर प्रतिद्वंद्वी आस्ट्रेलिया के खिलाफ मंगलवार को विश्व कप के ग्रुप मैच में उतरेगी तो दर्शकों को रोमांचक मुकाबले की सौगात मिलने की गारंटी रहेगी।

क्रिकेट के मक्का लार्ड्स पर होने वाला यह मैच वेसे भी खास था लेकिन पिछले मैच में इंग्लैंड की 20 रन से हार के बाद इसका रोमांच दुगुना हो गया है। हेडिंग्ले में जीत के लिए 233 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम 212 रन पर आउट हो गई थी। ग्रुप चरण में उसे पाकिस्तान ने भी हराया था लेकिन मेजबान टीम शीर्ष चार में बनी हुई है और सेमी फाइनल में प्रवेश की प्रबल दावेदार है। पहली बार विश्व कप जीतने की कोशिश में जुटी इंग्लैंड टीम हालांकि अब कोई कोताही नहीं बरत सकती। उसे आगामी मैचों में आस्ट्रेलिया, भारत और न्यूजीलैंड से खेलना है जिन्हें वह 1992 के बाद विश्व कप में नहीं हरा सका है। पिछले विश्व कप से पहले दौर में बाहर होने के बाद से इंग्लैंड विश्व रैंकिंग में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर नंबर वन तक पहुंचा। उसने इन चार साल में दो बार वनडे क्रिकेट का सर्वोच्च स्कोर बनाया।

क्रिकेट आंकड़ों के विशेषज्ञ क्रिकविज की रिसर्च के अनुसार इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 सेमी फाइनल में पाकिस्तान से हारने के बाद जिन सबसे कठिन वनडे पिचों पर खेला है, उन पर पांच मैच गंवाए हैं। दूसरी ओर बल्लेबाजों की मददगार पिचों पर 11 में से नौ मैच जीते हैं। पिछले दो मैचों में फिटनेस समस्या के कारण बाहर हुए जैसन राय की कमी इंग्लैंड को बुरी तरह खल रही है।

दूसर ओर आस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच और डेविड वार्नर शानदार फार्म में हैं।

जॉनी बेयरस्टो
अभ्यास सत्र के दौरान।

● आस्ट्रेलिया को हराकर जीत की राह पर लौटना चाहेगा इंग्लैंड ● क्रिकेट के मक्का मैदान पर होगा रोचक मुकाबला

विश्व क्रिकेट के नए धोनी हैं बटलर : लैंगर

लंदन, 24 जून (भाषा) ।

आस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर ने सोमवार को जोस बटलर की जमकर तारीफ की और इंग्लैंड के इस बल्लेबाज को विश्व क्रिकेट का नया महेंद्र सिंह धोनी बताया।

विकेटकीपर बल्लेबाज बटलर ने बल्लेबाजी में अपनी आक्रामक शैली से सफलताएं हासिल की हैं और लैंगर का मानना है कि वह पूर्व भारतीय कप्तान धोनी के उत्तराधिकारी बन सकते हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ फिनिशर में से एक माना जाता है। लैंगर ने कहा, जोस अविश्वसनीय खिलाड़ी हैं। मुझे उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखना पसंद है। वह विश्व क्रिकेट का नए धोनी हैं। आस्ट्रेलियाई कोच ने इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप मैच की पूर्व संध्या पर कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस मैच (मंगलवार को होने वाले) में शून्य पर आउट हो जाए लेकिन मैंने उसे समरसेट की तरफ से खेलते हुए देखा है। वह अविश्सनीय खिलाड़ी और बेजोड़ फिनिशर हैं।

'बुमराह के कारण योजना के मुताबिक गेंदबाजी कर पाया'

साउथम्पटन, 24 जून (भाषा) ।

अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में हैट्रिक लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा कि बुमराह ने 49वें ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की जिससे वह मुकाबले की आखिरी छह गेंदों को अपनी योजना के मुताबिक फेंक पाए।

चोटिल भुवनेश्वर कुमार की जगह पाने वाले शमी विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ चार विकेट चटकाए। अफगानिस्तान को जीत के लिए 12 गेंद में 21 रन चाहिए थे लेकिन बुमराह ने 49वें ओवर में सिर्फ पांच रन दिए जिसके बाद शमी के सामने 16 रन बचाने की चुनौती थी।

शमी ने बीसीसीआइ डॉट टीवी पर बुमराह से कहा, मुझे आप पर भरोसा था कि आप ज्यादा रन (49वें ओवर में) नहीं देंगे। अंदर से मुझे लग रहा था कि 16 रन मेरे लिए काफी है। इस लिए मैच अपनी योजना के मुताबिक गेंदबाजी कर पाया। उन्होंने कहा, अगर इससे कम रनों का बचाव करना होता तो मुझे अपनी योजना को लागू करने में परेशानी आती। चेतन शर्मा विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय हैं जिन्होंने 1987 में यह उपलब्धि हासिल की थी।

शमी ने कहा, ऐसा कर के अच्छा लग रहा। हैट्रिक लेना बड़ी बात है और विश्व कप में ऐसा करना और भी बेहतर है। हमने बीच के ओवरों में थोड़े ज्यादा रन दिए लेकिन मुझे भरोसा था कि अंतिम 10 ओवरों में हम मैच का रूख पलट देंगे।

इंग्लैंड की मदद कर रहा है गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर

लंदन, 24 जून (भाषा) ।

इंग्लैंड को आस्ट्रेलिया के खिलाफ महत्त्वपूर्ण मुकाबले से पहले एक तेंदुलकर मदद पहुंचा रहा है लेकिन यह बल्लेबाजी में रिकार्डों का बादशाह नहीं बल्कि गेंदबाजी में तेजी से उभरता एक युवा खिलाड़ी है।

अपने प्रतिष्ठित 'सरनेम' की ख्याति को बरकरार रखने का उद्देश्य लेकर तैयारियां कर रहे अर्जुन तेंदुलकर ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले विश्व कप मैच से पहले इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए नेट पर तेज गेंदबाजी की।

नारंगी रंग की टी शर्ट पहनकर उतरे अर्जुन ने इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजी सलाहकार सकलैन मुश्ताक की देखरेख में गेंदबाजी की। यह पहला अवसर नहीं है जबकि अर्जुन ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए नेट पर गेंदबाजी की। इससे पहले 2015 में पंद्रह वर्षीय खिलाड़ी के रूप में वह इंग्लैंड के नेट गेंदबाजों में शामिल थे जिन्होंने आस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज टैस्ट की तैयारियों में मदद की थी। उन्नीस साल के अर्जुन ने पिछले सप्ताह एमसीसी यंग क्रिकेटर्स की तरफ से सर्रे सेकेंड इलेवन के खिलाफ दो विकेट लिए थे।

भारत की सफलता की कुंजी बुमराह के हाथ में : क्लार्क

मैनचेस्टर, 24 जून (भाषा) ।

आस्ट्रेलिया के 2015 विश्व कप विजेता कप्तान माइकल क्लार्क का मानना है कि जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत विश्व कप जीत सकता है लेकिन आस्ट्रेलिया के लिए वही काम डेविड वार्नर का बल्ला कर सकता है।

क्लार्क ने एजंसी को दिए साक्षात्कार में बताया कि भारत और आस्ट्रेलिया शीर्ष तीन में होंगे लेकिन यह भी कहा कि केविन पीटरसन और माइकल वान चाहे जो कहें, कप इंग्लैंड नहीं जीतने वाला। क्लार्क ने कहा, बुमराह के पास सब कुछ है। वह फिट और स्वस्थ हैं। वह विश्व कप में भारत की सफलता की कुंजी होंगे। उन्होंने कहा कि बुमराह को आस्ट्रेलिया खासकर वार्नर से चुनौती मिलेगी जो छह मैचों में 447 रन बना चुके हैं। उन्होंने कहा, मुझे वार्नर से इसी तरह के प्रदर्शन की अपेक्षा थी क्योंकि वह असाधारण खिलाड़ी हैं। वह टीम का एक्स फैक्टर हैं। आस्ट्रेलिया यदि विश्व कप जीतता है तो डेविड वार्नर सबसे ज्यादा रन बनाएंगे।

यह पूछने पर कि बुमराह इतने खतरनाक गेंदबाज क्यों हैं, क्लार्क ने कहा, नई गेंद से वह स्विंग और सीम दोनों ले सकते हैं। बीच के ओवरों में जब मदद नहीं मिलती तब वह अतिरिक्त रफ्तार से बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। उन्होंने कहा, वह 150 की रफ्तार से गेंद डाल सकते हैं। उनके यार्कर शानदार हैं और रिवर्स स्विंग मिलने पर वह जीनियस हैं। क्लार्क ने कहा, एक कप्तान को ऐसा ही गेंदबाज चाहिए जो जरूरत के समय विकेट दिलाए। वह गेंदबाजी की शुरुआत कर सके, 35वां ओवर डाल सके और डैथ ओवर भी। जो भारत को विश्व कप फाइनल जिता सके।

भारत के खिलाफ धीमी बल्लेबाजी के लिए वार्नर की आलोचना हुई थी लेकिन क्लार्क ने कहा कि वह हालात के अनुरूप ढलकर खेल रहा है।

अख्तर ने आजम से कहा, अपने आदर्श कोहली की तरह खेलना सीखो

लंदन, 24 जून (भाषा) ।

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने सोमवार को कहा कि विराट कोहली के प्रशंसक बाबर आजम को अपने आदर्श की तरह खेलना सीखना चाहिए और भारतीय कप्तान की तरह मैच के हालात से सामंजस्य बैठाकर अच्छी शुरुआत को बड़ी पारियों में बदलना चाहिए।

अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले वीडियो में कहा, मैं बाबर आजम से कहना चाहता हूं कि अगर आप विराट कोहली को अपना आदर्श मानते हो तो उनकी तरह खेलना भी सीखो।

विश्व की नंबर एक महिला खिलाड़ी बनीं बार्टी

बर्मिंघम, 24 जून (एएफपी) ।

एशलीग बार्टी ने रविवार को यहां बर्मिंघम डब्लूटीए खिताब जीतकर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज होने वाली दूसरी आस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी बन गईं।

फ्रेंच ओपन चैंपियन बार्टी ने फाइनल में जुलिया गार्जेस को 6-3, 7-5 से हराया। उनसे पहले यावोनी गुलागोंग कावली 1976 में दो सप्ताह के लिए शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाली पहली आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बनी थी। बार्टी ने जापान की नाओमी ओसाका को महिला रैंकिंग में शीर्ष से हटाया। टेनिस आंस्ट्रेलिया के प्रमुख क्रेग टिले ने इसे उल्लेखनीय ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। उन्होंने कहा, इस उपलब्धि को हासिल करना वास्तव में काफी मुश्किल है। यह शानदार है। गुलागोंग ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि बार्टी का खेल का विकास कमाल का रहा है। उन्होंने कहा, मैं उसे जानती हूं, वह इस बारे में विनम्र है। वह सिर्फ टेनिस कोर्ट पर वापसी कर अच्छे हिट लगाना चाहती हैं। वह नंबर एक की योग्य हैं और फ्रेंच ओपन की जीत से उसका आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा।

गुणेश्वरन अंताल्या ओपन के दूसरे दौर में

नई दिल्ली, 24 जून (भाषा) ।

भारत के शीर्ष पुरुष एकल खिलाड़ी प्रजनेश गुणेश्वरन ने सोमवार को तुर्की के अंताल्या में सर्बिया के यांको टिप्सरेविच को सीधे सेटों में हराकर अंताल्या ओपन एटीपी 250 टूर्नामेंट के दूसरे दौर में जगह बनाई।

एटीपी रैंकिंग में दुनिया के 94वें नंबर के खिलाड़ी गुणेश्वरन ने पहले दौर के मुकाबले में 286वें नंबर के टिप्सरेविच के खिलाफ 6-0, 7-6 से जीत दर्ज की। दूसरे दौर में गुणेश्वरन का सामना अमेरिकी क्वालीफायर जेसी अरागोन और स्पेन के रोबर्टो कारबालेस बेइना के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। दूसरी तरफ लंदन में विंबलडन के पुरुष एकल क्वालीफायर में रामकुमार रामनाथन ने पुरुष एकल क्वालीफायर के दूसरे दौर में जगह बनाई लेकिन साकेत माइनेनी हारकर बाहर हो गए। रामनाथन ने पहले दौर में स्लोवेनिया के लुकास लेको को हराया।

हेनरी के गोल से फ्रांस क्वार्टर फाइनल में

फीफा महिला विश्व कप

वालेंसिएनेस (फ्रांस), 24 जून (एएफपी) ।

कप्तान अमानदिने हेनरी के अतिरिक्त समय में किए गए गोल की मदद से मेजबान फ्रांस ने खिताब के दावेदार ब्राजील को फीफा महिला विश्व कप के प्री-क्वार्टर फाइनल में रविवार को यहां 2-1 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना मौजूदा चैंपियन अमेरिका और स्पेन के बीच खेले जाने वाले अंतिम-16 मुकाबले के विजेता से होगा।

मैच का पहला हाफ गोल रहित रहा हालांकि वालेरी गौविन के गेंद को गोल पोस्ट में डाल कर फ्रांस को बढ़त दिला दी थी लेकिन वीएआर समीक्षा प्रणाली से उसे रद्द कर दिया गया। दूसरे हाफ के सातवें मिनट (मैच के 52वें मिनट) में गौविन ने कादिदिएतू दियानी की मदद से गोल कर टीम का खाता खोला। ब्राजील ने हालांकि इसके 11 मिनट के बाद बराबरी का गोल दाग दिया। क्रिस्टियाने का हेडर गोल पोस्ट से टकरा गया था लेकिन रिबाउंड में थिएसा ने गोल कर दिया। तय समय में मैच बराबरी पर रहने के बाद अतिरिक्त समय तक खिंचा। मैच के 106वें मिनट में हेनरी के गोल से 24,000 दर्शकों से भरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा।

एक अन्य प्री-क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की टीम ने कैमरून को 3-0 से हराकर पांचवीं बार इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की।

कप्तान अमानदिने हेनरी गोल करने के बाद।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 219, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।